राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 4 सोलहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तीसरा दिवस संख्या: 2

बुधवार,

3 सितम्बर 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार
जवाहरसिंह बेढ़म, श्री, राज्य मंत्री, गृह एवं टीकाराम जूली, श्री, नेता, प्रतिपक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष: राम-राम-राम-राम। जय श्री राम। विराजिये। प्रश्न काल शुरू हो उसके पहले मैं दो सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा। परसों एक तारीख को गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर बेढ़म जी का जन्मदिन था, उन्होंने अपन को लड्डू खिलाये इसलिये उनको बधाई और आज विपक्ष के नेता, श्री टीकाराम जूली जी का आफिशियल जन्मदिन हे। इनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): डिप्टी सी.एम. साहब का भी 31 को जन्मदिन था।

श्री अध्यक्ष: यह आज लड्डू खिलायेंगे तो इनको भी बधाई दे देंगे।

प्रश्न काल। श्री संजीव कुमार।

तारांकित प्रश्नोत्तर
भादरा महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

1. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय भादरा (हनुमानगढ़) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): राजकीय महाविद्यालय भादरा (जिला हनुमानगढ़) को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी) में क्रमोन्नत किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा किसी भी राजकीय महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा क्या राजकीय महाविद्यालय भादरा इन निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि क्रमोन्नत करने के कोई मापदण्ड नहीं हैं, लेकिन यू.जी. में बच्चों की संख्या के आधार पर किया क्रमोन्नत किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य की बात है कि उस महाविद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी क्रमोन्नत का काम अगले सेशन में किया जायेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी से इनके महाविद्यालय को क्रमोन्नत किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय भादरा में करीब 700-800 से अधिक छात्र और इनके साथ-साथ जो निजी महाविद्यालय हैं इनको जोड़कर हजारों छात्र-छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिये 60-70 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है या हरियाणा प्रदेश में जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): निजी शिक्षण संस्थाओं में मंहगी पढ़ाई स्नातकोत्तर की उनको करनी पड़ती है तो मैं आपके माध्यम से छात्रों की परेशानी को देखते हुए मंत्री महोदय से निवेदन पूछना चाहूंगा कि कब तक इस भादरा के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कह दिया कि जब भी अगले सेशन में क्रमोन्नत किये जायेंगे तो इनके महाविद्यालय को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ..(व्यवधान).. इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्रमोन्नत करने के मापदण्ड नहीं हैं क्या डिपार्टमेंट में?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): यू जी के मापदण्ड हैं लेकिन पी.जी.क्रमोन्नत करने के ऐसे नहीं हैं। बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कुछ तो होगा न। ऐसे नहीं कह सकते कि मापदण्ड ही नहीं हैं। चाहे बच्चों का हो, चाहे कुछ भी हो, मापदण्ड तो होंगे ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मापदण्ड नहीं हों और जो मर्जी हो, वो हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त यादव।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): संजीव जी ने धन्यवाद दे दिया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): धन्यवाद दे दिया। घोषणा कर दी तो मैंने धन्यवाद दे दिया।

श्री अध्यक्ष: दूसरे वाले सदस्य ने दे दिया। डॉ. जसवन्त यादव।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बर्डोद व मांढण हेतु भूमि का चिन्हीकरण

2. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बर्डोद व मांढण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त संस्थानों के लिये भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़) (1) जी हां। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बर्डोद- कोटपूतली बहरोड बजट घोषणा 2025-26 में स्वीकृत है। परिशिष्ट 1 संलग्न है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांढण- बहरोड, अलवर बजट घोषणा 2022-23 में स्वीकृत है। परिशिष्ट 2 संलग्न है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांढण एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बर्डोद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैम्प राजकीय आईटीआई नीमराना में संचालित है।

श्रीमान् जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड़ के कार्यालय आदेश क्रमांकः- राजस्व/आंवटन(शिक्षा)/आईटीआई मांढ़ण/2025 /1992 दिनांक 02.07.2025 द्वारा आ0ख0नं0 707/785 रकबा 4.00 है0 में से 2.00 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम हुडिया खुर्द तहसील मांढण की भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के तहत राजकीय आई टी आई. मांढण की स्थापना हेतु निःशुल्क आंवटित कर दी गई है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बर्डोद हेतु भूमि का चिन्हीकरण ग्राम बर्डोद के नजदीक ग्राम कारोड़ा में किया गया है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के पत्र क्रमांक 886 दिनांक 25.07.2025 द्वारा ग्राम बर्डोद के नजदीक ग्राम कारोड़ा के आराजी खसरा नम्बर 677 रकबा 1.40 है. किस्म चारागाह में से भूमि आंवटन के नवीन प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ को प्रेषित किये है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांढण में प्रवेश सत्र 2022-23 से एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बर्डोद में प्रवेश सत्र 2025-26 से संचालित है। संचालित व्यवसाय की सूची संलग्न परिशिष्ट 3 पर है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं और पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को कि इन्होंने मेरे यहां दो-दो आई टी आई दे दी। इससे बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जमीन कब तक अलॉट हो जायेगी, क्योंकि पत्र लिखना, पत्र

चलना यह तो बहुत बार हो चुका है। मुझे कोई टाइम बाउंड बतायेंगे कि कब तक इसका शिलान्यास हो जायेगा? मेरा बस यही प्रश्न है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैं यही कह सकता हूं कि जसवन्त जी, जो वहां के विधायक हैं, हमारे विभाग के पहले मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने यह बात कही कि पत्र चलता है उसके लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो दो आई टी आई हैं, उनमें से एक आई टी आई पिछली सरकार ने सैंक्शन की थी। लेकिन उसकी जमीन जो चिह्नित हुई थी, वह 2022 के अन्दर जो जमीन चिह्नित हुई थी वह रिजेक्ट हो गयी लेकिन 2022 से लेकर दिसम्बर, 2023 तक कोई नई जमीन का चिन्हिकरण नहीं किया गया। हमारी सरकार के आते ही छह अलग-अलग स्थान चिह्नित किये गये जिनको रिजेक्ट किया गया और उसके बाद में सातवां स्थान हमने चिह्नित किया। कहने का मतलब है कि हमारे डेढ़ वर्ष के अन्दर ही हमने कई स्थान जो कलेक्टर ने बताये उनको हमने देखा, रिजेक्ट किया। हमारा विभाग उनके पीछे पडा हुआ था, तब जाकर सातवीं जमीन अलॉट हुई जिसको हमने स्वीकार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कहना चाहता हूं कि केवल कोई विधायक ही नहीं जो चाहते हैं कि आई टी आई उनके पास आये, यह हमारा स्किल विभाग है जो चाहता है कि हमारा आई टी आई वहां पर आये। इस कारण से हम वहां पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो दूसरा आई टी आई है, बहुत जल्द इसको भी स्वीकृति मिल जायेगी।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हो गया। मुझे कोई टाइम बाउण्ड बता सकते हैं कि एक साल में, छह महीने में, कब हो जायेगा? इतना सा जवाब बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्रीजी, देना चाहेंगे? वैसे तो उत्तर आ गया। अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई।

फलौदी में नलकूप संचालन एवं संधारण हेतु निविदा

3. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि फलौदी जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 01 अगस्त, 2025 की समयावधि में ऐसे नलकूपों की भी निविदा निकाली गयी है, जो दोष दायित्व अवधि (DLP) के अन्तर्गत आते हैं? दोष दायित्व अवधि (DLP) से पूर्व ही संचालन एवं संधारण की निविदा में उक्त नलकूपों को सम्मिलित करने हेतु संबंधित अधिकारियों पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): फलोदी जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 01 अगस्त, 2025 की समयावधि में नलकूपों के संचालन एवं संधारण हेतु कुल 63 निविदाएं आमंत्रित की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विभागीय नियमानुसार दोष दायित्व अवधि (DLP) वाले नलकूपों के संधारण कार्य

की जिम्मेदारी नलकूप निर्माण करने वाले संवेदक की होती है। फलोदी जिले में दोष दायित्व अवधि (DLP) वाले नलकूपों के संधारण कार्य का भुगतान उक्त 63 निविदाओं में किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिला है। मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है पूछिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भारत-पाकिस्तान बार्डर पर पड़ता है और वहां थार में पानी की क्या स्थिति होती है, वहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नाकारा ट्यूबवैल और कोलेप्स ट्यूबवैल की संख्या बढ़ी है अब उनको अगर ठीक नहीं किया जायेगा तो पानी की बहुत समस्या होगी आगे गर्मी के सीजन में और माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास जब हम गये थे तब चर्चा चली थी और विषय रखा भी था। मेरा आपसे निवेदन है कि इन नाकारा ट्यूबवैलों को आप कब तक स्वीकृत करवाकर चालू करवा देंगे ताकि आने वाली गर्मियों में कोई समस्या नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र फलौदी में 95 नलकूप ऐसे थे जो सूख गये थे। उनमें से 63 नलकूप निर्माण बजट उपलब्धता देकर हम इनको ठीक करायेंगे। 32 नलकूप ऐसे हैं जहां पर भूजल है या नहीं, इसकी जांच करने के बाद में बहुत जल्दी ठीक करवायेंगे। इसके अलावा भी चैक करेंगे। इस बार ईश्वर की मेहरबानी की वजह से बहुत वाटर लेवल बढ़ेगा। जहां जहां भी कोई खराबी होगी वहां हण्डरेड पर्सेंट ठीक करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा दूसरा प्रश्न पूछता हूं। मेरे यहां नगरपालिका क्षेत्र है बाप और बाप नगरपालिका क्षेत्र में एक एस.आर है यानी एक उच्च जलाशय है और तीन गांव उससे पानी पीते हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर पानी की इतनी विकट समस्या रहती है कि रोजाना कोई न कोई घड़ा लेकर जा रहा है कहीं कुछ लेकर जा रहा है। कहीं टैंक लेकर सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति के निवारण के लिये कम से कम दो एस.आर. उस नगरपालिका क्षेत्र में, गांव के क्षेत्रों के लिये अगर आप स्वीकृत करेंगे तब जाकर पानी की समस्या का निवारण होगा। क्या आप बाप नगरपालिका क्षेत्र में एस.आर.स्वीकृत करने का मानस रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी की व्यवस्था चाहे गांवों में हो, शहरों में हो, इसके लिये देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी ने जल जीवन मिशन गांवों के लिये चालू किया। शहरों के लिये अमृत-2 योजना में जितनी भी पुरानी लाइनें थीं वहां पर 2053 तक पानी कैसे नियमित मिलता रहे, यह योजना

चालू की।

jyg/rtm/03.09.25/1b/11.10

माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि इनके एक या दो, जो भी मांग है, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं, यह परमिशन आपको नहीं है। अंकित नहीं। बीच में कोई नहीं बोले। अपनी व्यवस्था है, पूरक प्रश्न, जो प्रश्न पूछने वाला है, वो दो पूछ लेगा, विपक्ष का नेता यदि उसमें बतायेंगे तो वो प्रश्न खड़ा करेंगे, और कोई नहीं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करता हूं कि इनकी जो भी बात है नगरपालिका की, मैं इनके लिए सर्वे करवाकर, एक या दो, जहां भी एसआर की जरूरत है, वो हम बनाकर देंगे।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): धन्यवाद, माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न हो गये।

अगला प्रश्न, श्री डूंगरराम गेदर।

जालंधर की फैक्ट्रियों से नहरों में आ रहे दूषित जल की रोकथाम

4. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि जालंधर (पंजाब) की फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक युक्त अपशिष्ट जल राजस्थान की नहरों में आता है? यदि हां, तो उक्त जल को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक कौन-कौनसे प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) (जल संसाधन मंत्री के स्थान पर): जी हां। जालंधर (पंजाब) की फैक्ट्रियों का रसायनयुक्त अपशिष्ट पानी सतलज नदी में गिरता है, जो हरिके बैराज के माध्यम से राजस्थान की नहरों में प्रवाहित होता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदूषित पानी को रोकने के लिए अब तक किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है मुझे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): लेकिन आधा-अधूरा मिला है। मैं आपके संरक्षण में यह चाहता हूं कि मैंने ऑनलाइन 12.08.2025 को प्रश्न लगाया। जिसके अन्दर मैंने 4 पोइंट लिखकर दिये, सब्जेक्ट के अन्दर भी मैंने जालंधर कैमिकल युक्त पानी का नहरों पर प्रभाव। भाखड़ा सिंचाई परियोजना सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई संरचनाओं की स्थिति के बारे में लिखा। लेकिन प्रश्न जो आगे भेजा गया विधान सभा की ओर से वो मात्र पहला जो पोइंट है उसको ही आधा भेजा गया है, बाकी सारे के सारे तीन प्रश्न ऑनलाइन लगाये हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे तीन प्रश्न आगे भेजे ही नहीं गये हैं जिनके उत्तर कहां से आयेंगे मेरे पास?

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो। अनुमति नहीं है। बैठिये। अंकित नहीं, अनुमति नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अध्यक्ष: उनको अनुमति है। मैं आपको बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... हां।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की ग्राह्यता के सम्बन्ध में स्पीकर साहब के अधिकार को कोई सदस्य चुनौती नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। ...(व्यवधान)... कोई नहीं। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं। ...(व्यवधान)... बैठिये, ऐसे आपके प्रश्न नहीं आयेंगे।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): 000

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दी है। ...(व्यवधान)... यह मेरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ...(व्यवधान)... मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठिये। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? वो तो बिना पूछे बोल रहे हैं, आप किससे पूछकर बोल रहे हो? ...(व्यवधान)...

माननीय सदस्य, जब आप प्रश्न लगाते हैं, उसके बाद सम्बन्धित विभाग उस पर टिप्पणी करता है। यदि सही होती है तो उनकी टिप्पणी मान ली जाती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। अग्राह्य से लेकर के कोई मुद्दा लम्बा है, कोर्ट में विचाराधीन है, कहीं और है तो यह निर्णय मेरा है। आपको इस पर कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछिये, बाकी आप चेम्बर में आकर मिलिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सर, आप संज्ञान लें, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मंत्रीजी के संज्ञान में नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने उसको निरस्त किया है, मैंने उसको निरस्त किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, 50-50 पेज की भी रिपोर्ट आयी है। अब तो सब ऑनलाइन है, अब तो सब ऑनलाइन चलता है। पूरा जवाब आने दो न।

श्री अध्यक्ष: यह यहां का मुद्दा नहीं है, माननीय सदस्य को कहा है चेम्बर में आकर चर्चा करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे सारे प्रश्नों को अग्राह्य कहकर लौटाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा निवेदन है कि यह कोई पहला क्वेश्चन नहीं है। हमेशा क्वेश्चन लगते हैं।

श्री अध्यक्षः मैंने अग्राह्य किया है, मैने दे दी व्यवस्था। मैंने व्यवस्था दे दी, आपको इस पर कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो माननीय सदस्य, पूछिये, यह आपका अधिकार है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि पिछले डेढ़ साल में यानी इस पानी को रोकने के लिए, जो गंदा पानी जालंधर की फैक्ट्रियों के माध्यम से आ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं? एक।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब से सतलुज नदी में जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, इसके लिए इसकी कमेटी बनी थी 2018 में, इस कमेटी में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा इसमें श्री बलवीर सिंह सीचेवाल, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड का प्रतिनिधि, नोडल ऑफिसर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड तथा पंजाब अरबन डवलपमेंट विभाग के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया था। ये सब करके पंजाब सरकार को डाइरेक्शन दिया था कि आप इसका पानी शुद्ध करने के लिए एस टी पी वगैरह बनायें, इनमें से लगभग 57 एस टी पी का तो काम चल रहा है, बन चुकी है और लगभग 10 एसटीपी का निर्माण चालू है। ये कम्पलीट होने के बाद में इसमें जो गंदा पानी आने की शिकायत है वो नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्षः आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो पुरानी बात बता रहे हैं, 2022 में ये हुआ, 2018 में ये हुआ, 2011 में ये हुआ। मैं तो डेढ़ साल की बात पूछ रहा हूं साहब, प्रश्न में।

श्री अध्यक्षः कुछ कहना है? ...(व्यवधान)... विराजो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पानी आता है वो पंजाब से आता है, पंजाब के अन्दर बोर्ड ने उनको डाइरेक्शन दे रखा है और बार-बार पंजाब सरकार को लिख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। पूरा होने के बाद में गंदा पानी रुकेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा। ...(व्यवधान)... बैठिये आप। दो पूरक प्रश्न हो गये आपके। ...(व्यवधान)... दो हो गये। नो, हो गये आपके। ...(व्यवधान)... आपके नेता बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... आपके नेता बोल रहे हैं, आप नेता को नहीं मानते हो क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नेता को ही मान रहे हैं साहब। उनके ही दो क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, एक ही पूरा हुआ है, वो भी पूरा जवाब नहीं दे पाये।

मेरा सीधा-सा प्रश्न है कि आपने आखिरी बार इस पानी की कब जांच करायी थी? कैंसर से जो लोग मर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने पंजाब सरकार का नाम लिया तो आपने पंजाब सरकार के साथ क्या कदम उठाये हैं और क्या आपने एनजीटी में कोई इसके लिए पीआईएल भी दायर की है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)... यह काम मेरा है, मैं कर रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ...(व्यवधान)... आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर कैनाल की आरडी 368 पर, राजस्थान पंजाब बोर्डर पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस से इंदिरा गांधी फीडर एवं बीकानेर कैनाल के माध्यम से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले पानी के पीएच वाटर टेम्प्रेचर डिसोर्ड ऑक्सीजन, बायो कैमिकल ऑक्सीजन, डिमाण्ड बीओडी कैमिकल ऑक्सीजन, डिमाण्ड सीओडी डिसार्ड, अमोनिया, नाइट्रेट एण्ड क्लोराइड पैरामीटर्स की ऑनलाइन सूचना प्रत्येक घण्टे के अंतराल पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर एवं जल संसाधन कार्यालय हनुमानगढ़ में स्थापित कण्ट्रोल रूम में प्रदर्शित हो रहे हैं। जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, जिसमें पीएचईडी को पेयजल हेतु सप्लाई किये जाने वाले रॉ वाटर के सभी पैरामीटर्स निर्धारित सीमा में पाये गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः चलिये। ...(व्यवधान)... आप प्रश्न का उत्तर तो सुन लो। ...(व्यवधान)... आप बैठिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न तो पूछ लेने दो।

श्री अध्यक्षः दो पूछ लिये। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): प्रत्येक घण्टे में इसकी जांच होकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग चलती है। इससे ज्यादा क्या हो, हर घण्टे में जांच कर रहे हैं इसकी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ...(व्यवधान)...

अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा। ...(व्यवधान)... श्री फूल सिंह मीणा। ...(व्यवधान)...

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): प्रश्न संख्या 502

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)... बता दिया मैंने। उनके पास जो उत्तर था। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर बैठे-बैठे नारे)

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के जनजाति छात्रावासों का पुनरुद्धार

5. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के किन-किन जनजाति छात्रावासों में बिस्तर. शौचालय एवं भवन आदि का अभाव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छात्रावासों में अधीक्षक एवं रसोइयों के पद रिक्त होने के कारण छात्रों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है?

(3) क्या सरकार बजट जारी कर उक्त छात्रावासों के पुनरुद्धार की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां. तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में छात्रावासों में 01 अधीक्षक का पद रिक्त है, जिसमें नजदीकी छात्रावास में कार्यरत अधीक्षक को कार्य व्यवस्थार्थ अतिरिक्त चार्ज देकर सभी छात्रावासों में अधीक्षक लगाये गये है, ताकि छात्रों की उपस्थिति प्रभावित नहीं हों तथा छात्रावासों में रसोइये प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जॉब बेसिस पर लगे हुए है।

(3) जी हां। अनुसूचित क्षेत्र में स्थित आश्रम छात्रावासों के पुनरुद्धार हेतु संबंधित जिले के जिला परिषद/उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यों की आवश्यकता, उपादेयता, बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति जारी कर, कार्य करवाये जाते है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं आग्रह करता हूं कि जिन छात्रावासों में बिस्तर और टॉयलेट में यदि कहीं कमी है तो आपने बताया है कि हम इसको पूरा करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि 2013 और 2018 के बीच में बायोमीट्रिक मशीन चालू की थी जो पूर्व सरकार में बंद हो गयी थी, अभी तक भी वो चालू नहीं हुई है। ...(व्यवधान)... आपकी सरकार ने बंद की थी, पांच साल निकाल दिये, पांच साल। ...(व्यवधान)... पांच साल से बंद है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आप उसको पुन: चालू करने का विचार रखते हैं, रखते हैं तो कब तक? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है क्योंकि बच्चे आते हैं, कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं और वहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं होती हैं।

MLS/RTM/03.09.2025/11:20/1c

अगर पारदर्शिता से पॉस मशीन चालू हो जाये तो निश्चित रूप से हम देख पाएंगे कि कितने बच्चे हैं। उसका भी ध्यान रखेंगे। अगर बन्द हुई है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसको निश्चित रूप से दिखाकर शुरू करने का प्रयास करेंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बालिका छात्रावास में वार्डन रात में नहीं रहती है। उन्हें पाबन्द करें, क्योंकि बालिका छात्रावास में महिला वार्डन के नहीं रहने से रात में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था रहेगी?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वार्डन को वहां रहने के सख्त निर्देश हैं। उन्हें वहां रहना चाहिये। यदि आप कह रहे हैं कि महिला वार्डन नहीं रहती है ...(व्यवधान)... आप पूरा जवाब तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: अरे सुनें तो सही। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप शिकायत देंगे, तब हम कार्यवाही करेंगे न। उसके बाद में हमारे हॉस्टल्स में चौकीदार भी हैं। वे पूरा टाइम वहीं रहते हैं। आपने मुझसे वार्डन के वहां नहीं रहने की शिकायत की है। निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

गलत राजस्व इन्द्राजों का दुरुस्तीकरण

06. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गलत राजस्व इन्द्राजों को अभियान चलाकर दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन प्रकरणों की राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई की जाकर दुरुस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ये जो गलत इन्द्राज के प्रकरण हैं, ये बहुत लम्बे समय से चले आ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यह है कि कितने प्रकरण लम्बित हैं?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इनमें से श्मशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक स्थान, चाहे कुआं हो, बावड़ी हो, हथाई हो, जिनके रास्ते विलोपित हो गये हैं, ऐसे प्रकरण कितने हैं और क्या सरकार अभियान चलाकर, आपने अभी तो यह कह दिया कि कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, यह प्रस्ताव कहां से आयेगा, दिल्ली से आयेगा क्या? यह आपको ही बनाना है, आपके विभाग को बनाना है। आपके राजस्व अधिकारी चाहते हैं कि जनता इनके यहां अदालतों में चक्कर काटती रहे, 40-40, 50-50 साल हो गये।

दूसरा, श्मशान के लिए अगर कोई विवरण गलत इन्द्राज हो गया तो उसके लिए कौन जायेगा? माननीय मंत्री जी, जब राजस्व न्यायालय में सार्वजनिक स्थानों के लिए कोई जायेगा नहीं तो उनका दुरुस्तीकरण कैसे होगा? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर एवं प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे, माननीय सचेतक, आपको तो नियंत्रित करना है, फिर भी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान)... के तहत इन्द्राज दुरुस्ती एवं राजस्थान लैंड रिकॉर्ड रूल्स, 1957 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने पूछ लिया, फिर आपका एक पूरक प्रश्न और पूछना आप।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान)... के नियम 166 के तहत लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध करने की कार्यवाही निरन्तर रूप से चलती आ रही है। भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा सर्वे, री-सर्वे, भू-संक्रिया के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान रही गलतियों के शुद्धिकरण को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत विभिन्न राजस्व न्यायालयों, उपखण्ड अधिकारियों द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्व अभियान चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु अगर ऐसी कोई भी स्थिति आये तो उसके लिए उपखण्ड कार्यालय के माध्यम से इसका निवारण किया जायेगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कितने प्रकरण आपके यहां लम्बित हैं और सार्वजनिक स्थानों से सम्बन्धित अगर कोई प्रकरण हैं, जिनमें कोई एप्लीकेंट नहीं हैं, श्मशान से सम्बन्धित, कब्रिस्तान से सम्बन्धित, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक रास्ते, जिनमें कोई एप्लीकेंट न्यायालय में नहीं जा रहा है, क्या उनका सरकार दुरुस्तीकरण नहीं कराना चाहती? क्या सरकार जनता को इसी तरह तकलीफ में रखना चाहती है? क्या राजस्व न्यायालयों में इसी तरीके से 50-50 सालों तक लोग धक्के खाते रहेंगे? ...(व्यवधान)... आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जवाब देने दीजिये न मंत्री जी को। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने प्रश्न क्या किया है और यहां क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न क्या है आपका, यह तो देखें। प्रश्न क्या है, पूछ कुछ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामकेश (गंगापुर): ऐसे कितने प्रकरण लम्बित हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आज आप कर रहे हैं। बैठिये। ...(व्यवधान)... रामकेश जी, आप बैठ जाइये, आपका प्रश्न आ गया। मंत्री जी का उत्तर सुनें।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किये हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके माध्यम से मैं सदन को, चूंकि अभी सूची नहीं है...।

श्री रामकेश (गंगापुर): संख्या बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: संख्या का प्रश्न आपने नहीं पूछा है। आपने केवल दुरुस्तीकरण का पूछा है। हां या न में उत्तर पूछा है। फिर भी मैंने दो पूरक प्रश्न दिये। ...(व्यवधान)... नहीं, अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत। ...(व्यवधान)... आपने प्रश्न ही एक लाइन का पूछा है। आपको मैंने दो-दो पूरक प्रश्न दे दिये। ...(व्यवधान)... आपको किसने कहा? यह आपका काम नहीं है। जब आप अध्यक्ष बन जाएं, तब बात करना। ...(व्यवधान)... आपको कहा किसने? आपको आना है तो आप अपना प्रश्न लगाइये। आपको मना नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, इन्होंने 4 खण्ड में पूछा था। आपकी

परमिशन से ही 3 खण्ड हटा दिये, सिर्फ 1 ही खण्ड रखा है। उस 1 खण्ड का भी मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दे दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं दे पाये, नहीं दे पाये। ...(व्यवधान)... आप दुबारा दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चलो दे दिया, मान लेते हैं। अब दुबारा दिलवा दें क्या दिया है। अब दिलवा दें, हम सुन लेते हैं साहब।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... बैठे-बैठे नहीं। श्री हरिसिंह रावत।

भीम नगरपालिका में रिक्त पद

07. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगरपालिका भीम के कार्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गयी है? यदि हां तो कब व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगरपालिका में सभी पदों को सृजित/स्वीकृत कर पदानुसार सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है? यदि हां तो कब व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... माननीय नेता प्रतिपक्ष, विराजिये।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी नहीं।

नवगठित नगरपालिका भीम के कार्यालय के लिए नवीन भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में नगरपालिका भीम में कोई भी पद स्वीकृत नहीं है।

नगरपालिका भीम में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के साथ-साथ अधीनस्थ सेवा के निम्न संवर्गों के पद सृजन/स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:-

01.	अधिशाषी अधिकारी-चतुर्थ	01
02.	सहायक राजस्व निरीक्षक	01
03.	कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)	01
04.	कनिष्ठ लेखाकार	01
05.	ठोस कचरा प्रबन्धक	01
06.	वरिष्ठ प्रारूपकार	01
07.	वरिष्ठ सहायक	01
08.	कनिष्ठ सहायक	02

वर्तमान में कार्य व्यवस्था के लिए श्री कृष्ण कुमार छाबा को अधिशासी अधिकारी-चतुर्थ के पद पर पदस्थापित किया गया है एवं निकटतम नगरपालिका देवगढ़ के कनिष्ठ अभियन्ता,

वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक को अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी?

दूसरा, नगरपालिका भीम की पूर्ववर्ती सरकार ने वोट हासिल करने के लिए आनन-फानन में केवल घोषणा मात्र कर दी थी। सभी नवीन नगरपालिकाओं की स्थिति एक जैसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके द्वारा ये पद सृजित कर दिये जाएंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नगरपालिका भीम नवगठित नगरपालिका है, जिसका गठन दिनांक 10.07.2023 को किया गया था। वर्तमान में नगरपालिका कार्यालय पुराने ग्राम पंचायत कार्यालय में ही संचालित है। राज्य के 79 नगरीय निकायों में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के अधिशासी अधिकारी चतुर्थ का 1 पद, साथ ही अधीनस्थ सेवा के सहायक राजस्व निरीक्षक का 1 पद, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का 1 पद, कनिष्ठ लेखाकार का 1 पद, ठोस कचरा प्रबन्धक का 1 पद, वरिष्ठ प्रारूपकार का 1 पद, वरिष्ठ सहायक का 1 पद और कनिष्ठ सहायक के 2 पदों का सृजन करने हेतु पूर्व में दिनांक 02 मई 2025 को पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गयी थी।

उक्त पत्रावली पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाकर पत्रावली विभाग को लौटा दी गयी थी। वित्त विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् पुनः दिनांक 25 अगस्त 2025 को वित्त विभाग को भिजवायी गयी, जो वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर ही विचाराधीन है। वर्तमान में नगरपालिका भीम में कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। कार्य व्यवस्था के लिए जैसा मैंने बताया, हमने लगा रखा है, जैसे ही वित्त विभाग से स्वीकृति आयेगी, हम आपकी नगरपालिका के साथ-साथ बाकी नगरपालिकाओं में भी कर्मचारियों का पदस्थापन कर देंगे।

Mkd/rtm/03.09.2025/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा।

उपभोक्ताओं हेतु स्मार्ट मीटर

8. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा) (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के स्थान पर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किन-किन संस्थाओं को किस आधार पर दिया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उपभोक्ताओं के स्थापित मीटर का उपयोग किस कार्य में अथवा उनकी कीमत का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2020 इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित ''रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम'' (RDSS) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के तीनों विद्युत निगमों की कार्य योजना को तत्कालीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2022 को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। जिसके पश्चात RDSS योजना की डीपीआर नोडल एजेंसी Rural Electrificaiton Corporation Limited (RECL) द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2022 को स्वीकृत हुई।

प्रदेश में इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना में नवम्बर, 2020 से मार्च, 2024 तक कुल 5 लाख 39 हजार 413 स्मार्ट मीटर लगाये गये।

प्रदेश में रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) योजना में दिनांक 22.08.2025 तक 5 लाख 31 हजार 670 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं।

जिलेवार एवं श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्यादेश खुली प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर दिया गया। जयपुर डिस्कॉम के कार्यादेश दिनांक 20.08.2018 व दिनांक 24.08.2018, अजमेर डिस्कॉम के कार्यादेश दिनांक 15.07.2019 एवं जोधपुर डिस्कॉम के कार्यादेश दिनांक 01.08.2019 को जारी किये गये थे। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

तत्कालीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2022 को अनुमोदन के पश्चात RDSS योजना में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा standard bidding Document दिनांक 20.08.2022 को जारी किया गया। तत्पश्चात bidding Document में निर्धारित एवं स्वीकृत शर्तों के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली हेतु 10 पैकेज में दिनांक 16 जनवरी, 2023 को निविदा आमंत्रित की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 27.03.2023 की पालना में निविदा प्रक्रिया रोक दी गई। जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2023 द्वारा स्थगन आदेश हटाने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूर्व की शर्तो अनुसार कार्यादेश जारी किये गये हैं। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में स्थापित मीटर जांच में सही पाये जाने पर उन फीडर अथवा उपखंड कार्यालयों जहां, स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया है, वहां पर जारी होने वाले नये कनेक्शन एवं खराब/जले हुए मीटरों बदलने हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित

है।

प्रदेश में उपभोक्ताओं के निःशुल्क स्मार्ट मीटर की स्थापना प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। अकार्यशील व अवधिपार मीटरों को नियमानुसार नीलामी द्वारा स्क्रैप के रूप में निपटारा किया जायेगा। जिसकी आय सम्बन्धित डिस्कॉम के राजस्व खाते में जमा की जाएगी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मुझे जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्षः चलिये। विराजिये, माननीय मंत्री जी। पूरक प्रश्न। अब उत्तर मिल गया है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं चाहता हूं कि सदन के सामने सारा जवाब आये।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी अपने यहां व्यवस्था है कि यदि सदस्य कहता है कि उत्तर आ गया है तो वे उनका पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति सदन के सामने आये तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्षः आप विराजो। आप अपने उत्तर में जो कुछ देना चाहते हैं, दे देना। यह व्यवस्था है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैं पहला सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा हूं। दिनांक 22 अगस्त, 2025 को आप न्यू कनेक्शन जो स्मार्ट मीटर से कर रहे थे। आपने उसकी अनिवार्यता खत्म की। क्या आपने यह सिर्फ नगर निगम और पंचायत चुनाव को देखकर की है? और इसी में उस कम्पनी का क्या होगा, जिसको आपने 14 हजार करोड़ के टेंडर दिये हैं? उस कम्पनी का क्या होगा? यह आप बताये। आप सिर्फ इलेक्शन तक अनिवार्यता खत्म कर रहे हैं या परमानेंटली खत्म कर रहे हैं? यह आश्वासन आप सदन में देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, अब आप बोलिये। जो आपको बोलना है, बोलिये। आप पूरा उत्तर दीजिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2020 से इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 'रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के तीनों विद्युत निगमों की कार्य योजना को तत्कालीन राजस्थान सरकार...। आप पूरा सुनिये। मैं उसका भी जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्षः आप उत्तर सुनिये। आपको उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का पूरा जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्षः आप इस बात को गोलमोल मत करो। सरकार को जो कुछ भी कहना होगा, उत्तर तो सुनना पड़ेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): प्रदेश की तीनों निगमों की कार्य योजना को तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2022 को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। जिसे पश्चात आर.डी.एस.एस...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो सप्लीमेंट्री पूछा है, उसका जवाब दे दें। यह तो सबके पास आ गया है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके कारनामे भी तो सामने आने चाहिए। मैं सारा ही जवाब दे रहा हूं। आप सुनो तो सही। आपने पूछ लिया, जवाब देना मेरा काम है। बौहरा जी, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने हमें बाध्य किया है, यह करने के लिए। आपकी सरकार है, वो करा रही है ये। हम नहीं..।

श्री अध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह पूछा ही नहीं है, जो बता रहे हैं। जो सप्लीमेंट्री में पूछा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न में तो पूछा है ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। आपने कहा जो सदस्य अगर इसको नहीं चाहता तो उसको सीधे सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आए..। आप तो बोलो अपना।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): देखिये, आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है, उत्तर देने का अधिकार मेरा है। मुझे रोका नहीं जा सकता, माननीय नेता प्रतिपक्ष। आप रोक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं। यह स्थिति जनता के सामने आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं सप्लीमेंट्री का उत्तर पहले दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: ये भी कुछ बोल रहे हैं। वो भी दिलवाऊंगा। पहले इनका सुन लीजिये। फिर, आपको भी अनुमति दूंगा। आपको भी अनुमति दूंगा, पहले उनका आ जाने दीजिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं सप्लीमेंट्री का पूरा उत्तर दूंगा। आपने पूछा है कि हमने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो सरकारी कार्यालयों में...। साहब, सुनो तो सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरकारी कार्यालयों में अभी मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज इसलिए किया, क्योंकि आर.डी.एस.एस. योजना केन्द्र की योजना है। वहां से हमें गाइडलाइन आई है कि जब तक 25 परसेंट इसके मीटर सरकारी कार्यालयों में नहीं लग जायेंगे, तब तक इस योजना के लिए केन्द्र से मिलने वाली राशि को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमने पहले यह सोच करके कि पहले केन्द्र की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार 25 परसेंट सरकारी कार्यालयों में वे मीटर लगा दिये हैं। इसलिए, हमने ये तेजी से लगाये हैं। दूसरा, आपका प्रश्न

है कि हम नये कनेक्शन पर या मीटर जले हुए हैं, उन पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गाइडलाइन की थी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको जो पूछा है, उसका उत्तर दे दें।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमने नये कनेक्शन पर वापस पुराने इलेक्ट्रोनिक मीटर इसलिए लागू किये, क्योंकि हमारे यहां पर पेंडेंसी ज्यादा हो गई थी। स्मार्ट मीटर लगाने वाला जो संवेदक है, वह बराबर उनको लगाने का काम देरी से कर रहा था, समय पर नहीं कर रहा था। इसलिए, हमने इस गाइडलाइन को परिवर्तित करते हुए यह कहा कि देर से होंगे तो हम स्मार्ट मीटर के स्थान पर सामान्य मीटर से भी जनता के कनेक्शन करेंगे, ताकि जनता को कनेक्शन में देरी नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। दूसरा, पूरक प्रश्न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, एक सैकंड। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट विराजो। दूसरा प्रश्न आने दो, फिर आप बताना। आपको उत्तर देने का अधिकार है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। सर, मैं आपसे कुछ कह तो सकता हूं। मैंने इनसे क्वश्चन पूछा। आपने अगस्त, 2025 में यह नोटिफिकेशन निकाला कि भाई स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता नहीं है। मैंने यह क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने नगर निगम और पंचायत राज के चुनाव को देखकर यह अधिसूचना निकाली है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह आपके यहां होता है, हमारे यहां नहीं होता है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): +++ चुप रहो, सुनो।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न आने दो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): दूसरा मेरा इसी में यह क्वेश्चन था कि उस कम्पनी का क्या होगा, क्योंकि उसने तो टेंडर ले लिया। आप उसको ऑर्डर नहीं दोगे। वह कोर्ट में जायेगा, आर्बिटेशन में जायेगा, सरकार का नुकसान होगा। उसका कौन जिम्मेदार होगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय सदस्य, आपके मंत्री को तो बोलने दो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप पूछ रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर नगर निगम और इनमें स्मार्ट मीटर ही लगे हैं। इनमें कोई सामान्य मीटर नहीं लगे हैं। जो मीटर नये क्नेक्शनों पर, हमने कहा है कि सामान्य मीटर से भी कनेक्शन करेंगे तो वह अभी तात्कालिक है, जब हमारे पास स्मार्ट मीटर की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो उनको भी बदला जायेगा। उनको हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कनेक्शन जल्दी देना है तो फिर इसके लिए उनको अलाउ किया है, न कि स्थाई रूप से अलाउ किया है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक सैकंड।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सचेतक महोदय, आपको तीसरी बार कह रहा हूं। आप खड़े हुए हैं। कृपया आगे से..।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा एक बार पूरी बात तो सुन लो।

श्री अध्यक्षः आपके दो हो गये। अब आपके ये पूछेंगे। मैं अनुमति दे रहा हूं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): साहब, इन्होंने जो है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं दूसरा पूछ लूं।

श्री अध्यक्षः आप पूरा उत्तर सुन लो। आपका उत्तर आ रहा है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च, 2022 को यह योजना स्वीकृत की गई थी और इसी के साथ-साथ इन्होंने इसकी टेंडर प्रक्रिया के लिए काम भी प्रारम्भ किया। इन्हीं के कार्यकाल में यह टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। जिसको हमने केवल आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इन्हीं के कार्यकाल में, इसमें स्मार्ट मीटर की योजना में जो ये 10 पैकेज थे, उसके टेंडर 16 जनवरी, 2023 को आमंत्रित किये गये हैं। आपने आमंत्रित किये हैं। फिर उस पर उच्च न्यायालय के स्थगन से यह रोक लगाई और दिनांक 10.10.2023 को रोक हटने के बाद पुनः यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हो गया। दो हो गये हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं सर। मैंने एक पूछा है। सर, मैंने एक ही पूछा है।

श्री अध्यक्षः दो हो गये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, स्मार्ट मीटर में अभी तक आप बिल हमारे से पहले दो महीने में चुकवाते थे। जो नॉर्मल मीटर का बिल था, पहले हम दो महीने में चुकाते थे। अब आपने कर दिया है कि एक महीने में जनता को इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाना है।

श्री अध्यक्षः ये है ही नहीं इसमें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या स्मार्ट मीटर, जो आपकी भारत सरकार की थोपी हुई योजना है, स्मार्ट मीटर की, आपने हमारा पैसा रोका। क्या आप एडवांस पैसा लेंगे पब्लिक से? और दूसरी चीज जो सी.ई.ई.डब्ल्यू. है, काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरमेंट एंड वाटर, उसमें जो 33 परसेंट लोगों ने एंडवास में पैसा दिया, उनकी लाइटे आपने काट दीं। यह ऑल इंडिया का सर्वे है, आपकी स्टेट का नहीं है। यह सी.ई.ई.डब्ल्यू. का सर्वे है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। यह हो गया। यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जो यह कहता है कि 33 परसेंट एडंवास वाले को..व्यवधान..।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो। माननीय मंत्री जी।

Bhs/Rtm/03.09.25/11.40/1e

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर थोपी हुई योजना नहीं है, स्मार्ट मीटर में आर.डी.एस.एस. में यह ऑप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो स्मार्ट मीटर की योजना को स्वीकार करे, स्टेट नहीं चाहे तो नहीं करे। आपके कई राज्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया तो वहां नहीं लग रहे कर्नाटक में। आपके यहां लग रहे हैं क्योंकि आपने उस समय अपने मंत्रिमण्डल में इसको स्वीकार किया है। वहां नहीं लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। आप विराजें। नो। आपके दो हो गये। आप विराजो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने स्वीकार किया है इसलिये लग रहे हैं। आप स्वीकार नहीं करते तो ये नहीं लगते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमण्डल का मेमो मेरे पास है, श्रीमती उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव का, यह मंत्रिमण्डल की स्वीकृति है आपकी। आपके समय आपने स्वीकार किया है उसको।

श्री अध्यक्ष: हो गया, आपने उत्तर दे दिया, और देना है? बोलिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सर्कुलेशन से इन्होंने अप्रूव किया है, मंत्रिमण्डल की बैठक में नहीं आया, सर्कुलेशन से अप्रूव किया है मेरे पास मेमो है। आपने अप्रूव किया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये अब लास्ट पूछें आप। उत्तर आप ही देना, आपको ही देना है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिजली आने से पहले ही स्मार्ट मीटर में करंट आ जाता है।

श्री अध्यक्ष: बाकी कोई नहीं बोलेगा। आपके नेता बोल रहे हैं तो भी बोल रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई नहीं बोल रहा है। ये उधर से ही बोल रहे हैं। ये ही बोल रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बिजली आने से पहले ही इस मीटर में करंट आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने सारे जवाब दिये हैं मैं तो सिम्पल सा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम के जो आपने वर्क ऑर्डर जारी किये हैं, वो किस तारीख को जारी किये हैं और वर्क ऑर्डर की राशि कितनी है? प्रश्न संख्या-1 और प्रश्न संख्या- दूसरा, मेरा यह है कि इस फर्म को गोवा सरकार ने 5 अगस्त, 2024 को ब्लेक लिस्ट किया था तो जो ब्लेक लिस्ट होने वाली फर्म है वह टेन्डर की शर्तों के अनुरूप उसका वर्क ऑर्डर केन्सिल करना चाहिये था तो वह आप करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सा प्रश्न मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएन संख्या-95 से

हमने 16.8.2024 को एक, 16.8.2024 को ही 96 का, 16.8.2024 को ही 97 का कार्यादेश और यह जीनस को नौ टेन्डर जारी हुए हैं, उसमें 27.8.2024 को 58 नम्बर टीएन, 27.8.2024 को ही 59 नम्बर टीएन और 60 नम्बर टीएन 27.8.2024 को और जोधपुर डिस्कॉम में टीएन नम्बर 32,33,34 20.8.2024 को जारी किये गये हैं, यह इनकी जारी करने की तारीख है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 20.8.2024 यानी आपके समय में किये हैं न? और यह ब्लेक लिस्ट कब हो गयी थी? वह बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, उत्तर सुनो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वह भी मैं बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आर.डी.एस.एस. के कार्यों के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरशन आर.ई.सी. को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया हुआ है। आर.ई.सी. द्वारा स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को बोलीदाता फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिये थी, इन दिशा-निर्देशों की प्रक्रिया के दौरान पालना की गयी है। राजस्थान डिस्कॉम 10 मार्च, 2023 को हुई 80वीं डिस्कॉम की कोआर्डिनेशन फोरम की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर 13 मार्च, 2023 को संशोधन किया कि किसी भी निविदा प्रक्रिया में वही फर्म भाग ले सकेगी जो बिड प्रस्तुत करते समय किसी भी राज्य में भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आई.पी.सी. के अन्तर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा निवारण अधिनियम आई.सी.एस.सी.टी., 1988 के तहत किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो और इसके बाद आर.ई.सी. ने 22 जून, 2023 को निविदा स्टेन्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट की शर्तों में बदलाव किया जिसके अन्तर्गत राजस्थान डिस्कॉम ने 6 नवम्बर, 2023 को द्वितीय संशोधन किया जिसके अन्दर कोई भी फर्म जो कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, संस्था से ब्लैक लिस्टेड है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पायेगी। इसलिये यह गोवा में ब्लैक लिस्टेड थी, राजस्थान में नहीं थी, इसका संशोधन आपकी सरकार में डिस्कॉम ने किया था, वह लागू है। यह हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हो गया, पच्चीस मिनट हो गये एक प्रश्न को, कब तक चलाऊंगा। अलग से चर्चा में आ जाओ। आप चर्चा का नोटिस दे दो। मैं चर्चा में करवा दूंगा। चर्चा में आ जाओ।

श्री कालीचरण सर्राफ।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कैब का संचालन

9. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन कम्पनियों की किस श्रेणी की कितनी-कितनी कैब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु संचालित है? कम्पनीवार किराया वसूली का मानदण्ड व जिलेवार संख्यात्मक

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार का कैब संचालक कम्पनियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियन्त्रण नहीं होने के कारण उक्त कैब संचालकों द्वारा यात्रियों से मनमर्जी किराया वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर नियन्त्रण के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) प्रदेश के लाइसेंसशुदा एग्रीगेटर्स से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कैब का कम्पनीवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2013 को अधिसूचना जारी कर ऑटो रिक्शा तथा दिनांक 13.08.2007 को टैक्सी कैब एवं दिनांक 08.04.2013 को प्री-पेड टैक्सी कैब का किराया निर्धारण किया गया है। एग्रीगेटर्स वाहनों के लिये विभाग द्वारा पृथक से किराया निर्धारण नहीं किया गया है।

(2) विभाग द्वारा एग्रीगेटर्स को अनुमत किये जाने एवं इनके उपर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में दिनांक 25.11.2016 को Rajasthan on Demand Information Technology Based Transportation By Public Service Vehicles Rules-2016 जारी किये गये है। उक्त नियमों के आधार पर वर्तमान में एग्रीगेटर्स को अनुमत किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2025 को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 को जारी की गई है। MoRTH द्वारा जारी गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य मे गाइडलाइन बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लैक लिस्ट होने के बाद में वर्क ऑर्डर दिया है कि नहीं दिया? मंत्री जी बतायें। ...(व्यवधान)... ब्लैक लिस्ट होने के बाद में सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया है।

श्री अध्यक्ष: पच्चीस मिनट हो गये हैं एक प्रश्न को। आप अलग से चर्चा में आओ। नो-नो।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि जयपुर शहर में कई कैब कम्पनियों की बीस हजार से अधिक कैब्स चल रही हैं और तीन लाख से ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं तो आप यह गोलमोल जवाब मत दीजिये। यह बताइये कि आप स्पष्ट पॉलिसी कब तक बनायेंगे? जिससे जो मनमानी चलती है कैब चालकों की वह नहीं चले।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रेंट ए कैब स्कीम, 1989 तथा परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा जारी रेंट ए बाइक पॉलिसी, 1997 व राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी, 2017 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कैब कम्पनियों को अनुमत किये जाने की कार्यवाही की जाती

है। परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एग्रीगेटर्स को अनुमति दिये जाने एवं इनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करने के सम्बन्ध में दिनांक 25.11.2016 को Rajasthan on Demand Information Technology Based Transportation By Public Service Vehicles Rules-2016 जारी किये गये है। उक्त नियमों के आधार पर वर्तमान में एग्रीगेटर्स को अनुमत किया जाता है। विभाग द्वारा ऑटोरिक्शा के किराया निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 15.7.2013 को अधिसूचना जारी की गयी थी तथा दिनांक 13.8.2007 को टैक्सी कैब, दिनांक 8.4.2013 प्री-पेड़ टैक्सी कैब का किराया निर्धारण किया गया है। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2025 को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 को जारी की गई है। उक्त गाइड लाइन के आधार पर विभाग द्वारा एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात एग्रीगेटर कैब कम्पनी के वाहनों हेतु पृथक से किराया निर्धारित किया जा सकेगा। एग्रीगेटर कैब कम्पनी लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन आवश्यक है। रेंट ए कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब जिसमें 50 प्रतिशत वातानुकूलित वाहन आवश्यक हैं। राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी, 2017 में न्यूनतम 1 दुपहिया वाहन आवश्यक है। रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम में न्यूनतम 5 दुपहिया वाहन आवयक है। आपने पूछा यह कब तक तो जल्दी ही इसका पोर्टल भी बन जायेगा और पॉलिसी भी बन जायेगी और जल्दी ही आने वाले तीन-चार महीने में करा दिया जायेगा।

Kas/rtm/03.09.2025/11.50/1f

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

कोटडी उपखण्ड में नवीन औद्योगिक क्षेत्र (रीको) की स्थापना

10. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटडी उपखण्ड एवं पीपलून्द में नवीन औद्योगिक क्षेत्र रीको की स्थापना, पण्डेर में नवीन औद्योगिक पार्क की स्थापना आदि कार्यों में भूमि आवंटन के कार्य लम्बित है? यदि हां, तो कब से, किस स्तर पर एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त में से कुछ प्रकरणों में सम्बन्धित विभाग की शिथिल कार्य प्रणाली के कारण भूमि आवंटन की राशि जमा नहीं कराई जा रही है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भूमि आवंटन एवं आवंटन राशि जमा करवाकर रीको स्थापना का कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) राजस्थान सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिये मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित कोटडी उपखण्ड में नवीन औद्योगिक क्षेत्र रेडवास की स्थापना बाबत ग्राम-रेडवास में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण से रीको को किसी भी भूमि का आवंटन नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त ग्राम कोदिया की 20.7938 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। जिसके आरक्षण/आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिये मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित नवीन औद्योगिक क्षेत्र पीपलून्द हेतु ग्राम पीपलून्द, तहसील जहाजपुर की 31.00 हैक्टेयर भूमि का आवंटन जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा दिनांक 18.02.2025 से रीको के पक्ष में किया जा चुका है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के नियोजन का कार्य प्रक्रियाधीन है। नियोजन पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिये मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित नवीन औद्योगिक क्षेत्र पण्डेर हेतु ग्राम गुलाबपुरा, पटवार मण्डल टीटोडी, तहसील जहाजपुर की 19.4908 हैक्टेयर भूमि का आवंटन जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा दिनांक 07.02.2025 से रीको के पक्ष में किया जा चुका है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1374.12 लाख दिनांक 21.08.2025 को जारी की जा चुकी है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र रेडवास, तहसील कोटडी हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग द्वारा रीको के पक्ष में कोई डिमान्ड जारी नहीं की गई है एवं ना ही कोई राशि जमा करवाई गई है।

औद्योगिक क्षेत्र पीपलून्द, तहसील जहाजपुर हेतु राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन हेतु राशि रुपये 15149700/- की डिमान्ड दिनांक 20.01.2025 को जारी की गई, जिसे रीको द्वारा राजकोष में दिनांक 10.02.2025 को जमा कराया गया।

औद्योगिक क्षेत्र पण्डेर, तहसील जहाजपुर हेतु राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन हेतु राशि रुपये 17477448/- की डिमान्ड दिनांक 08.01.2025 को जारी की गई, जिसे रीको द्वारा राजकोष में दिनांक 27.01.2025 को जमा कराया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिये मुख्य मंत्री बजट में घोषित औद्योगिक क्षेत्र पीपलून्द एवं औद्योगिक क्षेत्र पण्डेर के संबंध में भूमि आवंटन राजस्व विभाग द्वारा निगम के पक्ष में कर दिया गया है एवं उक्त आवंटन पेटे राजस्व विभाग द्वारा जारी डिमान्ड राशि भी निगम द्वारा जमा करा दी गई है एवं औद्योगिक क्षेत्र रेडवास, तहसील कोटडी हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही होने से राजस्व विभाग द्वारा रीको के पक्ष में कोई डिमान्ड जारी नहीं की गई है

एवं ना ही कोई राशि जमा करवाई गई है।

औद्योगिक क्षेत्र पण्डेर की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1374.12 लाख दिनांक 21.08.2025 को जारी की जा चुकी है।

औद्योगिक क्षेत्र पीपलून्द की स्थापना हेतु नियोजन पश्चात प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम रेडवास में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी अन्य ग्राम में भूमि आवंटन का प्रस्ताव क्यों तैयार किया गया और ग्राम रेडवास या अन्य जगह भूमि आवंटन कर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कब तक करवा दी जायेगी?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक साहब को कहना चाहता हूं कि किसी भी जिले में जमीन का जो चिह्नीकरण होता है, उसकी जिम्मेदारी वहां के रेवेन्यू विभाग के पास होती है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होती हैं। औद्योगिक विभाग एक ऐसी जगह होना अनिवार्य है, जहां से उद्योग हो सके। उसी के लिये जब रेडवास में उपयुक्त जमीन नहीं पाई गई, तो कोदिया ग्राम पंचायत में जमीन दे दी गई। मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक साहब को यह बताना चाहता हूं कि आप काम करने की स्पीड देखिए, 2025-26 में यह घोषणा हुई, यानी एक ही वर्ष में हमने तीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये काम करना शुरू किया, जिसमें कोदिया का लैंड अलॉटमेंट अभी प्रोसेस में है। पीपलून्द का लैंड अलॉट हो चुका है, जिसके ऊपर अभी प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग के बाद में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी। पंडेर, जो तीसरा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर लैंड अलॉट हो गई है, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है, अब वहां पर डवलपमेंट शुरू होगा। इस पूरे औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिये हमारी सरकार में यह तेज गति से काम हुआ है।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि राजस्थान के सदन में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर की योजना इनके कार्यकाल में इन्होंने शुरू की और आज बिना किसी कारण के मंत्री जी का पूरा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं और सिर्फ बनावटी घड़ियाली आंसू बहाकर अपने ही दोष को छिपा कर यह बहिर्गमन करना, यह करना, यह कांग्रेस की फितरत में हो गया है, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा, श्री रोहित बौहरा। ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह परिपाटी गलत है, हम बहिर्गमन करते हैं तो पीछे से +++ बात करते हो, सामने बात करो, सामने बोलो। जाने के बाद बोलते

हो। ....(व्यवधान).... हिम्मत है तो सामने बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विधान सभा को फेस करने की हिम्मत सीखो, विधान सभा को फेस करने की हिम्मत सीखो ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा का मजाक बना रखा है। हम बाहर चले जाएं तो पीछे से बोलते हो, सामने जवाब दो, सामने, पता चल जायेगा। आपकी सरकार को पता चल जायेगा कि यह सरकार दो साल से कैसे चल रही है। ....(व्यवधान).... संसदीय मंत्री खड़ा हो कर बोलता है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ....(व्यवधान).... 2022 में राजस्थान में स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। आपकी बनाई हुई योजना आपने लागू की थी और बड़े शर्म की बात है कि आपकी बनाई हुई योजना के बारे में आप बहिर्गमन कर रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... +++ ....(व्यवधान)....

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ....(व्यवधान).... यह योजना आपकी सरकार के समय लागू हुई थी, कहां गये थे उस समय? 2022 में आप लोग कहां गये थे, जवाब दो। ....(व्यवधान).... यह योजना कांग्रेस सरकार के समय लागू हुई थी, आज हमारे मंत्री जी का जवाब नहीं सुन रहे हो। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित मीणा।

निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम दर का निर्धारण

12. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जल संसाधन (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विभाग के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में तय (बीएसआर) दर 25 प्रतिशत से अधिक होने पर गुणवत्ता पूर्ण कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला बारां में सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में कितने निर्माण कार्यों (बीएसआर) दर 25 प्रतिशत से अधिक हैं? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार निविदा प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुए निविदाओं में न्यूनतम दर निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) (जल संसाधन (आयोजना) मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विभाग के निर्माण कार्य, बिड एवं जी शिड्यूल में निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप सम्पादित कराये जाते है एवं संबंधित निर्माण यूनिट के अभियन्ताओं तथा गुण नियंत्रण यूनिट के अभियन्ताओं द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाती है ।

(2) जिला बारां में विगत 5 वर्षों में विभागीय निर्माण कार्यों के टेण्डर में बी.एस.आर. दर से 25 प्रतिशत से अधिक दर पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।

(3) विभाग में सभी निर्माण कार्यों की निविदाएं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 व लोक निर्माण वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के तहत आमंत्रित/स्वीकृत की जाती है । संवेदक द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत किये जाने की अवस्था में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 ए अनुसार अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति लिये जाने का प्रावधान है, किन्तु न्यूनतम दरों की सीमा निर्धारित नहीं है ।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जूली साहब से पूछना चाहता हूं कि जब आप यहां से गये, तो यह उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि सदन चुप रहेगा? हम तो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आप मैदान छोड़ कर चले गये थे। अगर आप यहां रहते, तो आपके सामने बात होती।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ....(व्यवधान).... कांग्रेस सरकार के समय जब यह योजना लागू हुई, तब जूली जी उसमें शामिल थे। इस योजना को लागू करने में मंत्रिमंडल में आप भी शामिल थे। कांग्रेस सरकार के समय जूली जी, आप भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: हल्ला जिस समय भी मचेगा, माइक बंद होगा। ....(व्यवधान)....

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश का मामला है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: 11 हो चुका, मैंने बुलाया था, यहीं होंगे, बोले नहीं, मैंने नाम पुकारा है। ....(व्यवधान)....

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ....(व्यवधान).... किसका जवाब दूं, 11 का दूं या 12 का दूं? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: हो गया, अगला प्रश्न। श्री थावर चन्द।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा एलआरटीपीपी के नियम 70 (3) में यह स्पष्ट आदेश है कि ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: मैंने बोला है, मैंने बोला है, आप प्रोसेडिंग उठाकर देख लो, दो बार बोला हूं। ....(व्यवधान)....

श्री ललित मीना (किशनगंज): सरकार उप पंजीयन निश्चित करेगी। बोली की कीमत और उचित गुणवत्ता के प्रति सुसंगत है। ....(व्यवधान).... मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग जो कार्य हो रहे हैं, उसमें 52 परसेंट बिलो, ...(व्यवधान).... सिंचाई परियोजना का 38 परसेंट ब्लो, ...(व्यवधान).... नहर का तो 43 परसेंट बिलो और भोल एनिकट का 42 परसेंट बिलो जो टेंडर हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: दोनों बातें कैसे हो सकती है, यहां नारे भी लगावे और प्रश्न भी पूछे, यह दोनों बातें कैसे होंगी?

श्री ललित मीना (किशनगंज): ....(व्यवधान).... हम जो यह काम करा रहे हैं, इनमें आप कोई समिति बना कर पूरे प्रदेश में जो लो बिड होती है, उसमें जो अनबैलेंस बिड जमा होती है, उससे कोई फायदा नहीं होती और गुणवत्ता बहुत कम होती है, उसमें सरकार के माध्यम से कमेटी बना कर उसको दुबारा रीटेंडरिंग कराने का या नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव में बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है कि जब कभी एक टेंडर डालते हैं, तो उस वक्त जिसकी कैपेसिटी सिर्फ एक टेंडर के लिये होती है, बाकी साथ में टेंडर डालने में वह कम से कम 50 टेंडर भी ले सकता है, इसमें कई चीजें हैं, इस वजह से कई कांट्रेक्टर, जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, वह ज्यादा ले लेते हैं। इसके लिये सभी माननीय सदस्यों से सुझाव लेने के लिये कमेटी बना रहे हैं। आरटीपीपी एक्ट में हम क्या संशोधन कर सकते हैं कि जिसकी वास्तव में जितनी कैपेसिटी है, वही ले। एक समय पर टेंडर डालने में वह कई ज्यादा टेंडर ले लेता है और न्यूनतम आ जाता है, फिर वह काम नहीं कर पाता। यह समस्या पी.एच.ई.डी. में इर्रिगेशन में, सभी विभागों में आ रही है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

Msk/rtm/03.09.25/1200/1g

माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। ...(व्यवधान)... बीच में नहीं बोलेंगे। आसन पांवों पर है, विराजिये। वहीं बैठो।

1. श्री रामनिवास गावड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर निवासी सूबेदार के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्रीमती रमीला खड़ीया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में ट्रोमा सेन्टर का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से प्रदेश में एस.आई. भर्ती रद्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में विद्युत समस्याओं का समाधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से प्रदेश में धानका जाति को धाणका जाति की भांति ही अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से सामोद वीर हनुमान मंदिर क्षेत्र में मोबाइल

टावर स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से भूमि आवंटन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से माउन्ट आबू और आबू रोड में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से मुंडावर पंचायत समिति द्वारा राजकीय धन के दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री लक्ष्मण, सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री पुष्कर लाल डाँगी, सदस्य की ओर से डबोक थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से गत दिनों अतिवृष्टि से सुजानगढ़ शहर में हुए नुकसान एवं जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में राजकीय विद्यालय की छत गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से धरियावद-उदयपुर मार्ग पर वाकली पुलिया से मायदा घाट सेक्शन तक होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुष्कर लाल डाँगी, श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), श्री सुरेश गुर्जर एवं श्री थावर चन्द को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री विद्याधर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बजट आवंटन उपरान्त भी उप जिला चिकित्सालय फुलेरा के भवन का निर्माण पूर्ण न होने के संबंध में।

2. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत बाछरैन तथा पिदावली की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में।

3. श्रीमती रमीला खड़ीया, सदस्य की ओर से प्रदेश में परिवार की बिना सहमति के होने वाले विवाहों को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान किये जाने के संबंध में।

4. श्री रामनिवास गावड़िया, सदस्य की ओर से नागौर जिले में अतिवृष्टि से किसानों एवं आमजन को हुए नुकसान का सर्वे कराकर तत्काल राहत प्रदान किये जाने के संबंध में।

5. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में चम्बल परियोजना के सुगम संचालन हेतु परियोजना खण्ड आसीन्द के कार्यालय को उप खण्ड भीम में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

6. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप जल प्रवाह बनाये रखने के संबंध में।

7. श्री आदू राम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में निवासरत पाक विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

8. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों पर तत्काल रोक लगाकर प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में।

9. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना, मेड़ता एवं जायल के किसानों की समस्याओं का समाधान किये जाने के संबंध में।

10. श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 11.08.2025 को निरस्त किये जाने के संबंध में।

11. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के रतनगढ़ मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी कार्यालय एवं कृषि मंडी यार्ड हेतु भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

12. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से प्रदेश में शहरी निकायों के चेयरमैन/मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराये जाने के संबंध में।

13. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अतिवृष्टि प्रभावितों का सर्वे करवाकर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

14. श्री सुखवंत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के रामगढ़ कस्बे हेतु ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत करने के संबंध में।

15. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए आर्म्स लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

शलाका द्वारा चयनित सदस्य सूची। आज दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 48 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	विषय

1.	श्री गोविन्द प्रसाद	खरीफ की फसल खराबा के सम्बन्ध में।
2.	श्री छगनसिंह राजपुरोहित	जवाई बांध में पानी की आवक को देखते हुए फाटक खोलकर पानी जवाई नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में।
3.	श्री धर्मपाल	विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के जसरापुर गांव में पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में।
4.	श्री चन्द्रभान सिंह चौहान	चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों एवं कारखानों में स्थानीय युवाओं की रोजगार में भागीदारी नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य श्री पुष्कर लाल डाँगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डबोक में आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, डबोक थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से एक दारू की दुकान चलती है। वहां रात को कुछ व्यक्तियों ने नशा किया और एक आठ साल की नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ कुकर्म किया। वह बेहोश हो गयी। रात के 12 बजे उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल लेकर गये। सुबह उसके परिवार के लोगों ने थाने के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने न्याय की मांग की। एक बजे तक तो प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोग थे, जिन्होंने आक्रोशित होकर पुलिस के ऊपर पथराव किया। कुछ लोगों की गाड़ियां भी टूटीं। जो 39 निर्दोष लोग थे, उनकी गलती भी नहीं थी, उसके परिवार के लोगों पर मुकदमा करके उनको जेल के अन्दर डाल दिया। वे 10 दिन से जेल के अन्दर बन्द हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अवैध रूप से दुकान चल रही थी, दोषी कौन है? थाने से महज 500 मीटर दूर है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? गलत तरीके से निर्दोष 39 लोगों को जेल में डाल दिया, अभी भी वे जेल में बन्द हैं। उन पर ऐसी-ऐसी धाराएं लगायी हैं, जिनकी 1 परसेंट कोई गलती नहीं है। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो निर्दोष लोग हैं, उनके लिए आप व्यवस्थित कार्यवाही करवायें और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो लोग अवैध रूप से दारू की दुकान चलाने में सक्रिय हैं, उनके खिलाफ। इसमें जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आप जांच करवायें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, इसमें जवाब तो दिलवाओ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब हो गया, इसमें बोलते नहीं है। इसमें कोई जवाब आज तक नहीं हुए। नयी व्यवस्था सोचेंगे, आप लोग सुझाव देना।

सुजानगढ़ में अतिवृष्टि से कारित नुकसान और जलभराव

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस तरह से पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है, उसी क्रम में सुजानगढ़ शहर के अन्दर 23-24 अगस्त को दो दिन बड़ी भारी बरसात हुई, उस भारी बरसात में नुकसान कितना हुआ है?

mdp/rtm/03.09.25/12:10/1h

उस भारी बरसात में नुकसान कितना हुआ है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एफसीआई गोदाम, जो कि सरकारी गोदाम है, वह 7 फीट पानी से अभी-भी दस दिन के बाद में भी भरा पडा है। 1 लाख 80 हजार गेहूं की बोरियां पानी में डूबी हुई हैं। गरीबों का वह गेहूं पूरी तरह से सड़ने की स्थिति में आ गया है। पूरा शहर बदबू मार रहा है, बीमारियां फैलने की आशंका हो रही है। परंतु एफसीआई अभी तक उस गेहूं को बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है। ऐसी जबरदस्त बारिश हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बारिश के कारण दस दिन बाद भी गर्ल्स कॉलेज 6-6 फीट पानी से भरा पडा है, स्कूल्स पानी से भरी पड़ी हैं और अभी तक पानी निकासी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ नगर परिषद अपने कोई संसाधन लगाकर कर रही है। आपदा विभाग अभी तक चेता नहीं है कि आज दस दिन हो गये, किस हालत में उस शहर की स्थिति है? कैसे वहां लोग जी रहे हैं? क्योंकि बीमारियां फैलने वाली हैं। 1 लाख 80 हजार बोरी गेहूँ सड़ रहा है, जिसको निकाला नहीं जा रहा है। आप सोचिए कि कितनी दुर्गन्ध उस गेहूँ की शहर में फैलने वाली है। इतनी जबरदस्त आपदा हुई है, परंतु निकासी के लिए न तो कोई जयपुर की टीम पहुंची है, न कोई मंत्री, न कोई और अधिकारी देखने भी आया है कि क्या स्थिति शहर की हो रही है।

पानी निकासी हो नहीं पा रही है। संसाधन लगाये नहीं जा रहे हैं। बार-बार मांग के बावजूद नहीं लगाये जा रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत सरकार एक्शन ले। पहले शहर का पूरा पानी निकाले। उसके बाद में 80 करोड़ की ड्रेनेज योजना, जो उस शहर के लिए स्वीकृत हुई है, तीन साल पहले स्वीकृत हो गयी, 25 करोड़ के टेंडर हो गये, वर्क आर्डर हो गये, लेकिन वर्क आर्डर को दिया नहीं जा रहा है। अगर समय पर वर्क आर्डर दे देते तो आज शहर में ड्रेनेज का काम हो चुका होता और जल-भराव की जो समस्या है, वह नहीं होती। सिर्फ समीक्षा के नाम पर 6 महीने के लिए रोका और आज दो साल सरकार को बनने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ड्रेनेज समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। यह समस्या पूरे प्रदेश में जिस तरह से अतिवृष्टि हो रही है, सरकार को पूरे प्रदेश में तुरंत गिरदावरी करानी चाहिए और किसानों का जो नुकसान, खराबा अतिवृष्टि से हुआ है, उसके लिए तुरंत गिरदावरी करवाकर राहत दी जावे ताकि मुआवजा समय पर मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर।

पिपलोदी गांव (झालावाड़) में राजकीयय विद्यालय की छत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मृत्यु व अनेकों घायलों की घटना

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। झालावाड़ जिले की मनोहरथाना तहसील के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई, 2025 को एक सरकारी स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की दुःखद मृत्यु हो गई और 21 बच्चे घायल हो गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि स्कूल की इमारत कई वर्षों से जर्जर थी। गांव वाले लम्बे समय से स्कूल भवन की मरम्मत की वहां के स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षा विभाग के जर्जर विद्यालयों की सूची में इस स्कूल का नाम सम्मिलित नहीं है। प्रदेश में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। झालावाड़ जिले सहित पूरे प्रदेश की जनता ने व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री वहां जाने का साहस तक नहीं जुटा पाये। और तो और हमारे शिक्षा मंत्री घटनास्थल पर तो नहीं पहुंचे और हॉस्पिटल में एक प्राइवेट गाड़ी में चुपके-से मध्य प्रदेश के रास्ते से पहुंचे, यह हमारे लिए शर्म की बात है। स्कूल की छत गिरना एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की पोल खोलने वाली सच्चाई है, जो हमारी आंखें खोल देती है। इसके लिए मासूम बच्चों को बलिदान देना पडा। छत गिरने के बाद वहां के प्रशासन ने विद्यालय भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार पर मलबे की चादर डल जाए। ..(व्यवधान)... यह कृत्य जनमानस को कई शंकाएं पैदा करता है।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं। वे सुन रहे हैं।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): इस हादसे में सरकार ने मृतक बच्चों को मात्र दस-दस लाख रुपये दिये। सरकार से मेरी मांग है कि..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतना सेंसेटिव इश्यु है, सात बच्चे मर गये और मंत्री जी बात कर रहे हैं। ..(व्यवधान)... इससे और ज्यादा क्या होगा, यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह सिस्टम की की हुई हत्या है। बच्चों की जान लेने वाले आप हो, आप लोगों को..

श्री अध्यक्ष: श्री थावर चन्द ..(व्यवधान)... श्री थावर चन्द।

धरियावद-उदयपुर मार्ग स्थित वाकली पुलिया से मायदा घाट सेक्शन पर लगातार घटित दुर्घटनाएं

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)... मेरे विधान सभा क्षेत्र के नजदीक धरियावद से उदयपुर मार्ग पड़ता है।

सदन कूप में

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारे)

इस धरियावद से उदयपुर मार्ग पर वाकली पुल से मायदा घाट सेक्शन बना हुआ है। इस घाट सेक्शन के ऊपर जब भी कोई राहगीर अन्जाने में गुजरता है या जब भी कोई व्यक्ति वहां

से गुजरता है, हर महीने लगभग 4 से 5 मौत का आंकड़ा है। ..(व्यवधान)... यह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लगातार गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। इसको देखते हुए पूर्व में प्रशासन और सरकारों ने बजट स्वीकृत किया था। आनन-फानन में उसका टेंडर होता है और आनन-फानन में टेंडर होने के बाद में इस बजट को खर्च करने के बाद में वहां के कर्मचारियों की भारी लापरवाही होती है और मौतों की घटना रुकती नहीं है। ..(व्यवधान)... कल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के पिपलिया गांव के लोग जब सांवरा जी के दर्शन करने जा रहे थे, इस तरह की फिर एक दुर्घटना हुई और उनमें से एक जना इस दुनिया में नहीं रहा। मैं मां प्रकृति से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें, लेकिन सरकार से उम्मीद करता हूं कि इन मौतों का आंकड़ा लगातार नहीं बढ़े और इस तरह से जो लोग जान गंवा रहे हैं, उनके लिए कुछ खास कदम उठाए जावें। अतिरिक्त बजट दिया जावे, सड़कों को चौड़ी किया जावे, ताकि वहां के लोगों को, आम जन को, राहगीरों को रास्ता मिले। ..(व्यवधान)... ये मौतें किसी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं कि कोई वहां पर दूर प्रदेश से आकर इन सड़कों पर ट्रक लेकर व्यापारी जाता है, जब उनकी लाशें गिर जाती है तो उनका पूरा परिवार होता है। इसीलिए सरकार इसको गंभीरता से ले और पुनः बजट जारी करे। इस बार सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में इसका इस्तेमाल कराए। धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्षः श्री विद्याधर सिंह। श्री बहादुर सिंह। ..(व्यवधान)... ऐसे नहीं, इस वातावरण में नहीं या तो पार्टी के साथ खड़े रहो। श्रीमती रमिला खड़ीया, श्री रामनिवास गावड़िया। श्री रामनिवास गावड़िया। श्री हरि सिंह रावत।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, ..(व्यवधान)... इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः यह नहीं होगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): मैं आपके माध्यम से परबतसर सहित..(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः यह नहीं होगा, दोनों में से एक जगह। दोनों काम नहीं हो सकते। ..(व्यवधान)... श्री हरि सिंह रावत। श्री डूंगरराम गेदर। श्री आदू राम मेघवाल। दोनों काम एक साथ करेंगे, यहां पर नारे भी लगाओगे।

चौहटन में निवासरत पाक विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। ..(व्यवधान)... विधान सभा क्षेत्र चौहटन में विगत लंबे दशक से निवासरत पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखंड या पट्टे आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में विगत लंबे दशकों से हजारों की संख्या में पाक-विस्थापित परिवार आबादी भूमि, गोचर भूमि या अन्य सुरक्षित जगहों पर निवासरत हैं। भारत-पाक 1971 युद्ध के पश्चात् शिमला समझौता की शर्तों के अनुसार भारत द्वारा पश्चिमी भाग पर कब्ज़ा किए गए क्षेत्र को वापस देना पडा। ..(व्यवधान)... उस समय पाकिस्तान में निवासरत हजारों परिवार अपना सर्वस्व त्याग कर भारत भूमि पर आ बसे। यहां उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा कैंपों में रखते हुए सहयोग भी प्रदान किया गया। प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत की भाजपा सरकार द्वारा प्रथम बार एक सामान्य आदेश निकाला गया कि प्रदेश में पाक-विस्थापित परिवार जहां-जिस जगह पर निवासरत हैं, उन्हें बेदखल नहीं किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्र में वर्तमान में पाक-विस्थापित परिवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कई परिवारों ने आवास तक बना दिए हैं, परन्तु उन्हें अभी तक आवासीय भूखंड या पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं।

अतः प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी एवं माननीय पंचायतीराज मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन में विगत लंबे दशकों से गोचर, आबादी भूमि या अन्य सुरक्षित स्थान पर निवासरत पाक-विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखण्ड अथवा पट्टे आवंटित किए जाएं। साथ ही इन्हें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं का उचित लाभ प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

Ans/rtm 12.20 1j 03.09.2025

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव। श्री अजय सिंह। श्री छोटूसिंह। ...(व्यवधान)...

उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.08.2025 का निरस्तीकरण

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत जैसलमेर के भूमिहीन आवेदकों को विशेष नीलामी दरों से भी अधिक मूल्य पर भूमि आवंटन के लिए उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 11.08.2025 को निरस्त करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि जैसलमेर ज़िले के स्थानीय भूमिहीन लोगों द्वारा वर्ष 2004 में सामान्य आवंटन हेतु आवेदन पत्र जमा किये गये। वर्षों के प्रयास के बाद सरकार ने दिनांक 24.06.2025 को सामान्य आवंटन के लिए समय सारणी जारी कर लंबित फाइलों में 15.10.2025 तक आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 11.08.2025 जारी कर सामान्य आवंटन के लिए भूमि की दरों में असाधारण बढ़ोतरी कर उसे डीएलसी दर के अनुसार तय कर दिया गया। एक मुरबे की कीमत एक लाख से बढ़ाकर 12 से 35 लाख तक कर दी गई। जहाँ पहले प्रति बीघा 4,000 रुपये कीमत थी वह बढ़ाकर पचास हजार से लेकर एक लाख पचास हज़ार रूपये प्रति बीघा कर दी गई है। अर्थात क़ीमतों में 1,200 से लेकर 3,500 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर कीमत

विशेष और नीलामी श्रेणी से भी अधिक कर दी गई है। इसमें किसी जन प्रतिनिधि से राय नहीं ली गई, अधिकारियों ने मंत्री जी को भी अँधेरे में रखा। स्थानीय लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म आज तक किसी ने नहीं किया। मेरा सदन के माध्यम से सरकर से अनुरोध है कि आज ही सरकार नोटिफिकेशन, दिनांक 11.08.2025 को तुरंत वापस ले और दोषी अधिकारियों की जवाब देही तय हो। धन्यवाद।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः श्री पूसाराम गोदारा। श्री अशोक कुमार कोठारी।

शहरी निकायों के चेयरमैन/मेयर का प्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत देश के अधिकांश राज्यों की तरह राजस्थान में भी शहरी निकायों में चेयरमैन/मेयर के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि देश के लगभग सभी प्रदेशों में चेयरपर्सन/मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से होता है जिससे पारदर्शिता के साथ-साथ जन भावना का सम्मान और स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व का चयन होता है। राजस्थान में चेयरपर्सन/मेयर का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता है जो लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल नहीं है। कई बार बहुमत नहीं मिलने पर दलगत राजनीति के साथ-साथ धनबल, भुजबल के प्रयोग से ऐसे व्यक्ति उस पद पर आसीन हो जाते हैं जो जनता की लोकप्रियता को किनारे कर निजी हितों को प्राथमिकता देने वाले होते हैं, जो कि भ्रष्टाचार को इंगित करता है। इस प्रक्रिया में जनता अपने आपको ठगा सा महसूस करती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है। लोकतंत्र का असली मतलब है सरकार जनता की हो, जनता के लिए काम करे, जनता के द्वारा चुनी जाये, यही सच्चा लोकतंत्र है जहाँ नागरिकों की आवाज मायने रखती है। दल का फायदा समझने वालों को यह भी समझना चाहिये कि पार्षदों के माध्यम से अपना चेयरपर्सन/मेयर लाकर तब अधिक बदनाम होते हैं जब अपने चयन में खर्च किये धन की वसूली के दुष्चक्र का शिकार होते ही जनता की वही स्थानीय निकाय लूट खसोट के केन्द्र में तबदील हो जाती है। जनता के प्रत्यक्ष मतदान से चुने गये चेयरमैन/मेयर जनता के प्रति जवाबदेयता रखेंगे।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि देश के अधिकांश राज्यों की तरह राजस्थान में भी शहरी निकायों में चेयरमैन/मेयर के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराये जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री चेतन पटेल। श्री सुखवंत सिंह। ...(व्यवधान)... श्री चेतन पटेल।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रामगढ क़स्बे में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठो। चेतन पटेल। चेतन पटेल।

पीपल्दा में अतिवृष्टि प्रभावितों का सर्वे पश्चात् तत्काल सहायता की उपलब्धता

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूँ कि पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से आपके माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ कि पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र पूर्णरूपेण किसानी पर निर्भर है। इस क्षेत्र में वर्ष 2024 से भी अधिक खराबा इस वर्ष 2025 में हुआ है। वर्ष 2024 में फसल खराबे व मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति को आपदा प्रबन्धन मंत्री जी ने सदन में भी स्वीकारा है कि पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में 35 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है व 24801 किसानों को मुआवजा देने की बात कही है।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

परन्तु अनेक किसान इस मुआवज़े से आज भी वंचित रह गए है एवं वर्ष 2025 में भी 35 प्रतिशत से अधिक फसल का किसानों को नुकसान हुआ है जिससे उत्पन्न स्थिति में अनेक किसान तो बुआई नहीं कर पाए है। ...(व्यवधान)... इनमें अनेकों किसानों द्वारा तो दो-दो बार खाद बीज व दवाई डालने के बाद भी अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई एवं अनेकों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपसे निवेदन है कि अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को फसल एवं मकान हेतु उचित मुआवजा/सहायता दिलवाई जावे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखवंत सिंह। श्री सुखवंत सिंह।

रामगढ़ क़स्बे हेतु ड्रैनेज सिस्टम

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि ..(व्यवधान)..

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): ...(व्यवधान)... रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ कस्बा ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों एवं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। विराजो। अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। आप विराजो। ...(व्यवधान)...आप अपनी सीटों पर जाइये। नो, नो। नहीं, नहीं। यह नहीं। यह नहीं।

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 12.27 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

VPS-RTM-03.09.2025-14.00-2c

(समय:14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम। राम राम। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवेदन: कार्य सलाहकार

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 13)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी आपके वेशम में, उसका मैं वह पाठन करता हूं एक बार।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2025 से गुरुवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2025 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 02 सितम्बर 2025-	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 03 सितम्बर 2025-	1. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण। 2.राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2025-	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2025-26 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2025-26 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण। 3. अनुपूरक अनुदान की मांगों संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 4. राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 एवं 5. कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक,

2025 पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

श्री केसाराम चौधरी।

समिति प्रतिवेदन: विशेषाधिकार

विशेषाधिकार समिति के डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य, के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 24 फरवरी, 2025 को डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा नियम 50 के अंतर्गत सदन में उठाये गये 'भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट के निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस एवं धमकी' के सम्बन्ध में असत्य और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने पर डॉ. गर्ग के विरुद्ध श्री जोगेश्वरजी गर्ग, सदस्य (मुख्य सचेतक) राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत तिथि को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डॉ. गर्ग के विरुद्ध श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य (मुख्य सचेतक) राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत तिथि को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

नियत तिथि आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक वृद्धि की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गजेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त (कर) विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2025-01, दिनांक 17.04.2025 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-02, दिनांक 01.05.2025 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के अपीलीय प्राधिकरणों

के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.5(18)वित्त/कर/2022पार्ट.-112, दिनांक 10.07.2025 जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8छ में उल्लेखित संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी में छूट प्रदान की गई है; एवं

4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)वित्त/कर/2020-113, दिनांक 14.08.2025 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी।

आयोजना विभाग

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आयोजना विभाग की निम्नांकित एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखती हूं:-

अधिसूचना संख्या: एफ17(8)41/डीईएस/रा.ज.आ.यो./अधिसूचना/2019 दिनांक 14.05.25 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की निम्नांकित एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: एफ18(11)/एक्ट/डीएसएपी/2022 दिनांक 19.03.2025 जिसके द्वारा राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025 का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्रीमती दिया कुमारी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की लेखापरीक्षक रिपोर्ट (अंकेक्षित लेखे)

(वर्ष 2021-23)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 32 की अनुपालना में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के वर्ष 2021-23 की लेखापरीक्षक रिपोर्ट (अंकेक्षित लेखे) सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा-31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज कार्य सूची में उल्लेखित निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 39वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 39वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं

इंडस्ट्रियल कॉरीडोर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिडको), जयपुर का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरीडोर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिडको), जयपुर का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वर्ष 2022-23 और 2023-24 के अब रख रहे हो। यह गवर्नमेंट की वर्किंग है क्या? 2022-23 का आज पेश किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपके समय में नहीं आया न? आपने दोनों रख दिये? 2023-24 वाला भी?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

1. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45(1) के अन्तर्गत राज्य बाँध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25, एवं

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25)

2. राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अन्तर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वर्ष 2023-24 का अब रख रहे हो आप।

जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री हीरालाल नागर।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री जवाहरसिंह बेढ़म।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री कन्हैयालाल, सभापति, प्रवर समिति।

समिति प्रतिवेदनः प्रवर

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री हेमन्त मीणा।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः विधायी कार्य। वापिस लिये जाने वाला विधेयक। श्री जवाहरसिंह बेढ़म।

विधायी कार्य: वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पहले काहे को पेश करवाया साहब? ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को वापस लेता हूं।

ssy/rtm/03.09.2025/14.10/2d

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025, श्री गजेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री। विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025, श्री गजेन्द्र सिंह।

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025, श्री जवाहर सिंह बेढ़म।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): उसी को करा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपको क्या तकलीफ है?

श्री अध्यक्षः आप बोलना, माननीय सदस्य, आपको मौका है। आपका नाम है बोलने में।

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025, श्री प्रेम चन्द बैरवा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज राजस्थान विधान सभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन है उस पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे अनुमति दी उसके लिए बहुत-

बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बड़ा इंपोर्टेंट बिल है। आप बिल लेकर आये थे, प्रवर समिति को सौंपा। प्रवर समिति ने जो भी बैठकें करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा इश्यू कोचिंग सेंटर्स का और कमेटी को काफी समय दिया गया, इसके बावजूद भी जो मेरी जानकारी है, हो सके तो आप बता देना, बिल का मैं समर्थन करता हूं, बिल आना चाहिए था, सभी लोगों की डिमांड थी, काफी समय से हमें एक कमी महसूस हो रही थी, लेकिन यह देखिये, पूरे राजस्थान में हमने क्या है कि कोचिंग सेटर्स को 50 से 100 कर दिया आपने, जहां स्टूडेंट की संख्या 50 है उसको बढ़ाकर के 100 कर दिया, वह कोचिंग सेंटर्स की परिधि में आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कमेटी ने यह आवश्यकता महसूस नहीं की या उससे पहले विभाग ने महसूस नहीं की कि कोचिंग सेंटर्स जो राजस्थान में चल रहे हैं उनकी नेचर क्या है? उनका कैटेगराइजेशन क्या है? क्या कंपीटेटिव एग्जाम के लिए ही केवल चल रहे हैं? क्या दसवीं, बारहवीं के स्कूल के बच्चों के लिए कोचिंग नहीं चलती? कॉलेजेज की जो शिक्षा है उसके लिए कोचिंग नहीं है? क्या प्राइवेट ट्युशन जो बड़े-बड़े 100-100, 200-200 घरों पर ही पढ़ाते हैं वह नहीं हैं? एक जो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर सोचिये, विचार करिये क्योंकि इस बिल के जो परिणाम आने वाले हैं, मैं फिर आगाह कर रहा हूं, जितना भी मैंने बोला है, कि आपने जो पैरामीटर्स इसमें तय किये हैं, उसमें बड़े विवेक के साथ मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खुलने का एक रास्ता तैयार हो रहा है। कैसे? अगर इसमें केटेगराइज कर देते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होता।

अब आपने इसमें कहा कि ऑन एक स्टेडी प्रोग्राम, इसमें किसी भी तरह की कोचिंग इनक्लूडिंग एनि स्टेडी प्रोग्राम, अब स्टेडी प्रोग्राम से क्या मतलब है? स्टेडी प्रोग्राम में तो दसवीं भी स्टेडी प्रोग्राम में आता है। बारहवीं का कार्यक्रम भी स्टेडी प्रोग्राम में आता है। बी.ए. का भी स्टेडी प्रोग्राम में आता है। पी.जी. की क्लासेज हैं वह भी स्टेडी प्रोग्राम में आता है। कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हम केवल कंपीटेटिव एग्जाम्स या स्पेशिफाई आईआईटी, आईआईएम, एम्स उनकी कोचिंग्स को इसमें इनक्लूड करेंगे, आप किस कोचिंग को इनक्लूड करेंगे? आपने पूरा बड़ा रास्ता तैयार कर दिया। इस कोचिंग सेंटर्स बिल के जरिये तो सारे जो लोग दसवीं क्लास की भी तैयारी करा रहे हैं या प्राइवेट ट्युशन भी कर रहे हैं, वह इसमें कवर होता है। यह भी मेरा एक सबमिशन है। आप इसको सोचिये, विचार करिये।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो आपने दिया है, मैं चाहूंगा कि इससे पहले सर्वे करिये पूरे राजस्थान में, कि कहां-कहां कोचिंग्स किस शहर में कौनसे चल रहे हैं? उनकी संख्या क्या है? क्या पैरामीटर्स हैं? क्या उनके मापदंड हैं? आपने कर दिया, आपने कर दिया एक

मीटर, एक स्टूडेंट के लिए वन मीटर स्कवायर जगह चाहिए। अब यह होना चाहिए केटेगरी के अनुसार। जहां 5 हजार बच्चे, स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? जहां 100 बच्चे कर रहे हैं वहां कैसे करेंगे? इसमें दूसरा कोई पैरामीटर आपने नहीं दिया कि कितनी न्यूनतम जमीन चाहिए। उसका पैरामीटर नहीं है कि इतना तो न्यूतनम चाहिए ही चाहिए बेसिक फैसेलिटी के लिए। उसका कहीं उल्लेख नहीं है। आपको एक बेसिक पैरामीटर देना चाहिए कि 2 हजार गज जमीन चाहिए, 3 हजार गज जमीन चाहिए, हजार मीटर जगह चाहिए, यह नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि प्रवर समिति ने सोचा होगा, यह आप अपने जवाब में बतायेंगे कि क्या कारण रहे कि जब हम पैरामीटर्स तय कर रहे हैं तो उस कारण रहे कि स्पेसिफाई नहीं किया।

तीसरा आपने इसमें कहा कि रजिस्ट्रेशन जो है, एग्जिस्टिंग को विद इन थ्री मंथ करना पड़ेगा। जिनके पास भी रजिस्ट्रेशन है, जो एग्जिस्टिंग हैं और दूसरों को भी एप्लाई करना पड़ेगा और 3 महीने के अन्दर कमेटी आपको रिजेक्ट करेगी या आप एक सुनवाई का मौका देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो कमेटीज बनाई हैं, मैं बार-बार कहता हूं और यह पूरी विधायिका का ही कंसर्न है कि हम लोग विधायिका की पावर को धीरे-धीरे कम करते चले जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का फोर्मेशन देखिये शायद उसमें 14 मेम्बर्स हैं स्टेट की जो अथॉरिटी बनायेंगे, उसमें वह लोग हैं जो ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, आपको बताना चाहूंगा सेक्रेटरी इंचार्ज डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन, इसमें करीब-करीब 4 तो सेक्रेटरीज हैं, एक डायरेक्टर जनरल है, कमिश्नर है, डायरेक्टर लोकल बॉडिज है और डिफरेंट हैं।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी 12-14 मेम्बर्स हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन है। अब आप पूछिये, सारे मर्ज की दवा चाहे कोई भी रहे हों, सब मर्ज की दवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बना रखा है। उसके पास समय ही नहीं होता है। माननीय मंत्री महोदय, मुझे डाउट है कि आप इसको देखिये, आपके पास जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हायर एजुकेशन के अधिकारी हैं, टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारी हैं, आयुर्वेद एजुकेशन के अधिकारी हैं, मेडिकल एजुकेशन के अधिकारी हैं, उनका रोल क्यों नहीं बढ़ाते? आप इसका सारा ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं। टोटली ब्यूरोक्रेटाइजेशन है। आपने 2 दिये कि आप 2 पर्सन नोमिनेट करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि इसको भी देखिये कि किस तरह से हम इसको करेंगे?

सभापति महोदय, फिर मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा हॉस्टल, माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी हॉस्टल्स रन कर रहे हैं, इसमें आपने सबको ले लिया। आपको मालूम है व्यावहारिक रूप से पूरे प्रदेश में समाज के लोग भी हॉस्टल चलाते हैं।

spp/rtm/03.09.2025/14.20/2e

और उसमें वह बहुत नोमिनल 10 रुपये महीने, 50 रुपये महीने, 100 रुपये महीने, 200 रुपये महीने चार्ज करते हैं। जातियों के आधार पर भी हैं, धर्म के आधार पर भी हैं। सभी जगह हैं और छात्रावास के लिये सरकार खुद जमीन आवंटित करती है। उसको भी इस परिधि में बांध दिया गया है। मैं समझता हूं आप इसमें विभेद करिये कि जो हॉस्टल्स किसी समाज, जाति या धर्म के द्वारा या किसी भी अन्य आर्गनाइजेशन के द्वारा, एनजीओज के द्वारा चलाये जा रहे हैं और एक वह हॉस्टल, जो प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स या जो लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनके द्वारा चलाये जाते हैं, उसमें कहीं भी इस बिल में अंतर नहीं किया है। इसको भी देखने की जरूरत है।

चौथा पाइंट मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि पंजीयन में, आप देखें कि इसकी बहुत जरूरत है, माननीय सभापति महोदय, इसमें एक-एक चीज पर बहस करने की जरूरत है, आपने इसमें कहा है कि डिस्ट्रिक्स कमेटी को अधिकार दिया है, मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकार तो किसी लीगल लॉ में भी नहीं होंगे और इससे एक संभावना मैं आपको बता रहा हूं, आपने पेनल्टी जरूर 2 लाख से कम करके 50 हजार कर दी है। आपने पेनल्टी कम की है। यह भी सोचने की बात है कि पेनल्टी चाहे कम कर दीजिये, बार-बार करेगा तो उसको रिजेक्ट भी कर दोगे। एक आप क्यों नहीं करते की सुओमोटो रजिस्ट्रेशन मान लिया जायेगा। जो पैरामीटर्स हैं, वह आपने तय कर दिये हैं और अगर वह चैक लिस्ट होती है, ऑनलाइन एप्लाई होगा, बिलकुल सही किया है ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के बाद चैकलिस्ट होकर और जो रिजेक्ट करने लायक है, रिजेक्ट कर दिये जायेंगे और जो स्वीकार करने को है, वह स्वीकार किये जायेंगे। अदरवाइज आप जानते हैं एनओसी के नाम पर, आप खुद जानते हैं, आप खुद उच्च शिक्षा मंत्री हैं, एनओसी के कितने आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं और कैसे जिला शिक्षा अधिकारी और दूसरे लोग एनओसी देते हैं। एक तरफ सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को खतम करने की है और मैं समझता हूं हम इस बिल के माध्यम से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लोगों पर या जो भी छोटे-छोटे लोग हैं, उन पर भ्रष्टाचार को पनपाने का मौका देंगे, यह सोचने की बात है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इसमें पूरे प्रदेश के हित का सवाल है। इसकी जो स्थिति है वह मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इसमें आप जल्दीबाजी मत करिये। अभी भी समय है। एक तो जो आथोरिटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनायी है, इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है, इस पर पुनर्विचार करिये। दूसरा, जो हॉस्टल्स का मामला लिया है, समाज के द्वारा जारी, आप जिस समाज से आते हैं, या दूसरे जो दलित वर्ग के हैं, रिजर्वेशन वाले लोग हैं, आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से छात्रावास खोलते हैं और वहां पर फ्री व्यवस्था करते हैं या बहुत कम नोमिनल चार्ज लेते हैं तो आपके हिसाब से तो वह भी आ जायेंगे। कोई भी

सिरफिरा इंसपेक्टर जायेगा और नोटिस दे देगा कि आप यह नहीं कर सकते, बंद करिये। आपके खिलाफ पेनल्टी लगती है तो आप इसके एक-एक शब्द को पढिये। समय कम है लेकिन आप बहुत संवेदनशील हैं, आप इसमें जल्दबाजी मत करिये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक महीना और ले लीजिये पर इस पर सोचिये और सारे सिस्टम को आप ब्यूरोक्राइजेशन की तरफ ले जा रहे हो, अफसरशाही की तरफ ले जा रहे हो और इसका सारा का सारा अधिकार अपने अधिकारों को छीनकर आप कुछ चंद लोगों को दे रहे हो और उन चंद लोगों को, जिनके पास समय ही नहीं होता मीटिंग्स के लिये। आप जानते हो सिंडिकेट की मीटिंग होती है विश्वविद्यालय में, सेक्रेट्रीज अटेंड नहीं करते हैं उस मीटिंग को। वह अपने डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भेज देते हैं। आप अटेंण्डेंस मंगवा लीजिये विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कि कितनी मीटिंग्स हो पाती हैं। हम चाहते क्या हैं? यह बिल लाया गया था आत्महत्याएं रोकने के लिये, कांउसलिंग सिस्टम के लिये। आत्महत्याएं हो रही थीं। आप जानते हैं दसवीं का बच्चा भी आत्महत्या कर रहा है जब उसके मार्क्स कम आते हैं। आप क्या करेंगे? वहां तो कांउसलिंग की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। या तो फिर स्कूलों में भी करनी पड़ेगी, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हमें कांउसलिंग करनी पड़ेगी। कभी गाइडेंस के लिये आपको टीचर्स रखने पड़ेंगे। क्या हम लोग इसके लिये तैयार हैं, क्या आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कर पायेंगे?

श्री सभापतिः समाप्त करिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं बिलकुल खतम कर रहा हूं। इसको सोचिये। अदरवाइज आप खुद महसूस करेंगे, आप मंत्री होने के नाते शायद नहीं कह पायें, लेकिन अन्दर से आप महसूस करेंगे कि इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि पुनः इसको आप प्रवर समिति को सौंपकर इसको डिसाइड करें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूं इसलिये कि लगातार अपने कार्यकाल में गत सत्र में जितने भी बिल पेश किये, उन सब बिलों में से अधिकांश बिल या तो आपने स्वयं ने ही प्रवर समिति को दिये या मुख्य मंत्रीजी को वापस लेना पडा है। मेहरबानी करके आप सरकार चला रहे हैं, ऐसे आपके पांच बिल हो गये नमूने के, जो प्रवर समिति को गये हैं या आपने वापस लिये हैं। मेहरबानी करके यह सरकार बुद्धिजीवियों की सरकार है, तो बिल बनाते वक्त भी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें तो यह दुविधा विधान सभा में, आम आदमी के सामने न हो और आमजन में आपकी फजीहतवाड़ा न हो। भविष्य में आप ध्यान रखें और उसी क्रम में जो यह कोचिंग वाला आपका आया है, कोचिंग वाले बिल में आप यह मानकर चलते हैं क्या कि इससे सुसाइड के केस कम हो जाएंगे? कम होंगे क्या? बच्चा सुसाइड क्यों करता है, उसके कारण अलग हैं और बिल का इन संस्थाओं पर कंट्रोल करने का रास्ता अलग है। सुसाइड करने के

लिये तो अगर सही मायने में देखो तो आप और हम भी हमारे बच्चों से ज्यादा उम्मीद करते हैं, उनकी कैपेसिटी से अलग हटकर उनको उस स्थान पर भेजते हैं। वह बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। मां-बाप उस पर खर्च करते हैं और उस बच्चे के मन में आता है कि मेरा पिता इतना खर्च कर रहा है और मैं यहां नहीं आया। मूल कारण पुलिस इन्वेस्टीगेशन में तो जो आया है, वह यह आया है। लेकिन अपन नियंत्रण करें, बहुत अच्छी बात है। नियंत्रण करने के साथ आपने सलेक्ट कमेटी में भेजा, आपने क्या परिवर्तन किया? आपने तीन परिवर्तन किये हैं। संख्या 50 कर दी 100 की जगह और जो उन पर जुर्माना और पनिश्मेंट किया था, उसको 50 हजार कर दिया और सैकण्ड ओफेंस में 5 लाख की जगह 2 लाख कर दिया। यही आपने किया न। इसके लिये प्रवर समिति का कितना खर्चा हुआ और काम कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा बेहतर था सरकार अपने स्तर पर भी इसी विवेक से बिल लाती और यह करती तो सरकार का इतना खर्चा भी बच जाता।

प्रवर समिति ने न तो भारत सरकार की गाइड लाइन को पूरा फालो किया। अब की बार पहली बार आपने प्रधान मंत्रीजी को और अमित शाह जी को चुनौती दी, उनकी सरकार होते हुए भी, कि आप हमको कोई भी गाइड लाइन दोगे लेकिन हमारा लाभ-हानि देखकर करेंगे। इसीलिये आपने प्रधान मंत्रीजी के द्वारा भेजी गयी गाइडलाइन जिसमें 16 साल के बच्चों के लिये प्रतिबंध था, वह आपने इसमें नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिये, आप पूरे के पूरे छपे हैं और आपके पास हैं, उन डायरेक्शंस में से भी, किसी भी डायरेक्शन को आपने विधिसम्मत रूप से अपने इस विधेयक में लाने का प्रवर समिति में आने के बाद भी आपने उसमें नहीं किया। तीसरी बात यह है कि आप एक ओर तो इसमें यह कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन अगर कोई विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता है तो उस समय कोचिंग में वह बच्चा नहीं आ सकता, और होता यह है कि जितने भी बच्चे दूसरे विद्यालयों में पढ़ते हैं वहां तो हाजिरी होती है और बच्चे यहीं आकर कोचिंग में आते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो भी आपकी स्कूलों में हैं, उन बच्चों की हाजिरी आपको वहां मिलेगी और कोचिंग में वह उपस्थित रहेंगे। आपने जो कानून बनाया, वह मूल रूप में कहीं लागू होने वाला नहीं है।

अगली बात, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा और उसके लिये क्वालिफिकेशन जैसे विद्यालयों के लिये कहा कि एक वर्ग मीटर की भूमि का एक बच्चे के लिये स्पेस होना चाहिये। अब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे जब तक आप उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन नहीं करोगे। कितने बच्चे हैं, उनके लिये कैसा भवन चाहिये तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा न। यह कानून पास होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन न कर पाने के फलस्वरूप जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके लिये आपके पास इसमें क्या अधिकार हैं? आप उनको या तो 6 महीने का समय देंगे या साल भर का समय देंगे। और नहीं देंगे तो तत्काल प्रभाव से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर बंद हो जायेंगे तो आप जाकर देखना अभी, कोटा के धारीवाल जी भी बिराज रहे हैं, आज की तारीख में जो हालात कोटा में पैदा हुए हैं ना, कोटा बिलकुल

बेरोजगारी के कगार पर जा रहा है। सारे हॉस्टल्स खाली हो रहे हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है और फिर यही स्थिति आ गयी, तो कोटा की क्या दुर्दशा होगी, यह तो वहां से आने वाले विधायक संदीप जी और धारीवाल जी जानें लेकिन चिंता इसलिये है कि वहां की सारी इकोनोमी डिस्टर्ब हो गयी।

jyg/rtm/03.09.25/14.30/2f

इन सब बातों के साथ इसमें आपने सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन बंद कर दिया। आप जो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे, जो भी समिति करेगी, ट्रिब्यूनल तक तो आयेगा लेकिन ट्रिब्यूनल उसका अगर कर देगा तो उसके लिए सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन भी आपने बंद कर रखा है और उसके लिए वो कर रखा है। दो-तीन-चार चीजें जो आपकी है, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इन सारी बातों पर पुनर्विचार करें और कोई बात नहीं है जब इतने ही बिल वापस आ गये, दोबारा चले गये, इधर-उधर हो गये, विथ्ड्रा कर लिये तो इसको फिर जनमत जानने के लिए आप भेजें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री सभापतिः श्री शान्ती धारीवाल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मुख्य रूप से ये जो बिल लाया गया था, मंत्री महोदय, यह जो बिल लाया गया था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाया गया था। जिस प्रकार से आत्महत्याएं हर साल होती थी, मोटे तौर पर उनको रोकने केलिए यह बात थी। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई आज से नहीं चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चल रहे हैं सन् 1990 से लेकिन पहले इस प्रकार से आत्महत्याएं नहीं होती थीं, पिछले सात-आठ साल से आत्महत्याएं बढ़ी हैं तब जाकर सोच आया केन्द्र सरकार का भी आया और राज्य सरकार का भी आया कि कुछ न कुछ इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए करना चाहिए। आपने जो बिल पेश किया उसके उद्देश्य में भी आपने यही लिखा है कि विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने और कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें जो तनाव है, उस तनाव को कम करने के लिए हम यह बिल ला रहे हैं। लेकिन इस प्रवर समिति में आपने भेज दिया इसको, काहे के लिए भेजा? प्रवर समिति ने तो सिर्फ 2 अमेंडमेंट किये। एक तो 5 लाख का 2 लाख रुपये कर दिया, 2 लाख का 50 हजार रुपये कर दिया और दूसरा कर दिया 50 छात्र से 100 छात्र। तो यह तो यहीं हो जाता, प्रवर समिति को बनाने की क्या जरूरत थी? वहां भेजने की क्या जरूरत थी? ये तो प्रस्ताव, हमने भी यह कहा था कि इसमें अमेंडमेंट पेश करते हैं, वो अमेंडमेंट ही आप मंजूर कर लेते तो प्रवर समिति को भेजने की जरूरत ही नहीं थी, अगर इतना-सा ही करना था तो छात्रों की संख्या बढ़ा दो और राशि कम कर दो, क्या इन चीजों से आत्महत्याएं रुक जायेंगी? मूल प्रश्न यह है कि लड़का जो आत्महत्या कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्यों करता है? उसको किस प्रकार से रोका जाये? उसके तनाव को किस प्रकार से कम किया जाये?

मेरा निवेदन यह है कि 2023 में, जुलाई की बात थी शायद, तत्कालीन सरकार के द्वारा, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के द्वारा एक स्टडी ग्रुप बनाया था जिसने बाकायदा यह छांटा था कि आखिर ये आत्महत्याएं होती हैं तो क्यों होती हैं। दस-बारह कारण उन्होंने दिये, उनमें से कुछ हरिमोहनजी ने भी बोले, अभिभावकों का प्रेशर रहता है, यह रहता है, वो रहता है, यह सब कुछ है। मेरा निवेदन यह है कि एडमिशन के पहले यदि छात्र की काउंसलिंग यदि हो जाती है कि वह बच्चा जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है क्या वह उसका प्रेशर झेल पायेगा कि नहीं झेल पायेगा। अगर मनोचिकित्सक, काउंसलर यदि यह तय कर लेता है कि यह लड़का इस काबिल नहीं है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाये, यह प्रेशर नहीं झेल सकता तो उसको एडमिशन ही नहीं देना चाहिए, उसी स्टेज पर रोक देना चाहिए। उसके मां-बाप को बुलाकर कह देना चाहिए कि यह बच्चा नहीं चल पायेगा। होता है यह, कई स्कूल बाकायदा टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में पास नहीं होने पर अभिभावक को बुलाकर यह कह देते हैं कि आपका लड़का हमारे यहां पर नहीं चल सकता, ले जाओ।

सुप्रीम कोर्ट की जो गाइड लाइन थी, उस पर भी आपने विचार नहीं किया, आपने इस बिल के जरिये, मुझे तो यह लगता है कि इस बिल के जरिये आप कण्ट्रोल करना चाहते हैं इन पर, किसी प्रकार से कलेक्टर के अण्डर में एक कमेटी बनाकर इस तरीके से करना चाहते हो, यह कण्ट्रोल कर लें ताकि कमेटी के जो मेम्बर हैं वो उनको टेलिफोन करते रहें कि लड़के भेज रहा हूं उसकी फीस कम कर देना, इसका यह कर देना, वह कर देना, यह सिफारिशें करते हैं। अभी भी करते हैं अफसर लोग, अफसर क्या नेता भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं लेकिन जब वो कमेटी के मेम्बर बन जायेंगे तो फिर वो हाकम हो गये उनके। मेरा मतलब यह है कि काउंसलर और साइकॉलोजिस्ट सपोर्ट के लिए जो आपने इसमें धारा 14 डाली है, बिल की धारा 14 है, उसमें आपने जिला समिति को तो अधिकृत कर दिया और यह जिला समिति करेगी क्या? अभी गर्ग साहब ने बोला कि जिला समिति क्या करेगी, वो विस्तार से इस पर बोल गये। समिति का चेयरमैन जिला कलेक्टर होता है, उसको अपने ही काम से फुर्सत नहीं है। हमारे यहां एक कलेक्टर साहब आये, डेढ़-दो साल के करीब रहे, वो जाते थे पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर और बच्चों को इकट्ठा करके गाना सुनाते थे, गाना सुनाकर वो अपना खुद का तो तनाव दूर कर देते थे लेकिन बच्चे तनाव में आ जाते थे। बच्चे कहते थे कि यार, ये क्या गाना गा रहा है? तो यह बात उससे रुकने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, उन कारणों पर जाइये, जिन कारणों से ये आत्महत्याएं होती रही हैं। जो ग्रुप बनाया गया था पिछली बार तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, उसने अपनी जो रिपोर्ट दी, उसमें तो यही कारण बताये कि लड़के पर एजुकेशन का जो प्रेशर रहता है और उस पर जो फाइनेंशल प्रेशर, रहता है, नशे और ड्रग्स की वजह से भी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। बैक टू बैक एक्जाम्स में फेल होते रहते हैं, प्लेसमेंट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाते हैं, सीनियरों द्वारा रैगिंग होती है, जूनियर का मनोबल तोड़ने का कारण है, फैमिली प्रेशर और रिलेशनशिप का प्रेशर भी कारण है। फैमिली प्रेशर

और रिलेशनशिप का प्रेशर और इसी के साथ-साथ कुल मिलाकर ये सब चीजें इसका कारण है। इन कारणों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, मूल भावना तो इसमें इस बिल की यह होनी चाहिए थी। इसमें तो मुझे यह लगता है कि आप कण्ट्रोल करने के लिए इसको लाये हैं ताकि जिला कलेक्टर की कमेटी के द्वारा आप कण्ट्रोल करते रहो।

माननीय सभापति महोदय, काउंसलर और साइकॉलोजिस्ट का यह रोल होता है कि वो बच्चों का मनोबल सशक्त रखे और बच्चे लम्बे समय तक पढ़ाई में अपना ध्यान लगायें और स्वस्थ रहें, मोटी बात यह है। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने सितम्बर 2023 में जो गाइडलाइन बनायी थी, मेहरबानी करके उस गाइडलाइन को देखिये और देखिये, अभी तो हम प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, अगर एक बार आपने और प्रवर समिति को भेज दिया तो उस गाइडलाइन के अनुसार इस बिल को दुरुस्त कीजिये तब जाकर यह इफेक्टिव माना जायेगा और आत्महत्याएं रोकने में भी काफी कुछ मददगार होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब इसमें आपने मनावैज्ञानिक काउंसलर, ऐसे नियुक्त होने चाहिए जो कि प्रतिष्ठित संस्था से प्रशिक्षित हो और किशोर अवस्था की मानसिक स्थिति और व्यवहारगत परिवर्तनों के विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों, अनुभव रखते हों, वो ही जाकर इसमें कुछ न कुछ मदद कर सकेंगे।

MLS/RTM/03.09.2025/14:40/2g

कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मनोवैज्ञानिक हायर करना जरूरी है। आपने जो धारा 14 में लिखा है, ''मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के नाम और उनकी सेवा प्रदान करने के समय की जानकारी'', मतलब किस वक्त वे अवेलेबल होंगे, उसकी जानकारी छात्रों और अभिभावकों को दी जा सकती है। दी जा सकती है। मैंडेटरी नहीं है। आपने फिर इसमें लिखा, ''मानसिक तनाव और अवसाद को कम करने के लिए छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सक सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जा सकता है।'' किया जा सकता है। यह भी मैंडेटरी नहीं है। यह जो पूरी धारा है, उसमें आपने सिर्फ यही लिखा है कि किया जा सकता है, किया जा सकता है, लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, सकता है, सकता है, सकता है। इससे काम नहीं चलता है। कानून का तो डण्डा होना चाहिये। साफ-साफ मैंडेटरी प्रोविजंस होने चाहिये कि ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा।

मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जिस उद्देश्य से आप यह बिल लेकर आये, आप उसमें कम्प्लीटली फेल हो गये। कम्प्लीट फेल्योर हैं आप। माननीय मंत्री जी, 24 मार्च 2025 को इस बिल पर बोलते हुए आपने इस सदन में जो जवाब दिया था, उसमें यह कहा था कि कोचिंग सैंटर्स के द्वारा छात्रों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी जायेगी। हर कोचिंग संस्थान में एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी जो छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में सहायता करेगा। मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी, यह

आपने सदन में आश्वासन दिया था। मुझे आप यह बताइये कि जब सदन में आपने यह आश्वासन दिया तो फिर आपने किया क्या, यह प्रावधान क्यों नहीं डाला इसमें? हर कोचिंग सैंटर में मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी, यह मैंडेटरी क्यों नहीं किया आपने?

आप राजस्थान की जनता के साथ एक तरह से छलावा कर रहे हैं। जनता में यह मैसेज देने के लिए कि हमने कोचिंग्स में हो रही आत्महत्याएं रोकने के लिए यह एक्ट बना दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, यह धोखा दे रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस पवित्र सदन में आपने संविधान की शपथ ली है और शपथ लेकर आपने जो बात कही है, आपको उस पर पाबन्द रहना चाहिये। आखिर में मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सदन में आपने यह भी कहा था कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का बोझ इतना अधिक न हो कि छात्र तनावग्रस्त हो जाएं। प्रत्येक छात्र को उचित मार्गदर्शन देने के लिए करियर काउंसलिंग अनिवार्य होगी ताकि यह पता चल सके कि उसकी प्रतिभा के अनुसार वह अपने लिए कौन सा करियर चुन सकता है। अब आप ही बताइये कि जब यह सब-कुछ आपने कहा था तो फिर इसकी पालना क्यों नहीं की गयी?

इस बिल में कौन सा सैक्शन ऐसा है जो तनाव को कम कर देगा, आत्महत्याओं को रोक देगा? कौन सा सैक्शन ऐसा है, मुझे यह तो बता दें आप। जो आपने सैक्शन 14 डाला है, उसमें तो आपने कहा है कि कर सकता है, कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत इनकम्प्लीट है। इससे कोई परपज सॉल्व नहीं हो सकता। यह किसी भी प्रकार की होने वाली जो आत्महत्याएं हैं, उन्हें रोक नहीं सकता और न ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुधार सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कई कमियां हैं। क्या आप यह समझते हैं कि इस बिल से वे सुधर जाएंगी? आज सुधरें, न कल सुधरें। आपके अंडर में सैकड़ों कॉलेजेज हैं। उन कॉलेजेज को तो सुधार लें पहले। इतना ही मेरा निवेदन है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको दोबारा प्रवर समिति में भेजा जाये।

श्री सभापतिः श्री हरीश जी चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज इस सदन में जिस बिल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक बिल या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान का भविष्य है। जब हम इस बात को गम्भीरता से समझेंगे, तब हम एक सकारात्मक दिशा में जा पाएंगे। सभापति महोदय, दो तरह की कोचिंग्स राजस्थान में हो रही हैं। एक स्कूली शिक्षा में जो बच्चे हैं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, उसके माध्यम से जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनमें एडमिशन के लिए। कोटा उसके लिए अपने आप में एक केन्द्र बना हुआ है। दूसरा, सरकारी नौकरी पाने के लिए जो परीक्षा प्रणाली हम सब लोगों ने मिलकर तय की हुई है, उस परीक्षा प्रणाली में सफल होने के लिए जो कोचिंग संस्थान हैं।

सभापति महोदय, इन दोनों तरह के कोचिंग संस्थानों के सन्दर्भ में अगर कहीं कोई गलत है तो हम सब लोग हैं। उन संस्थानों में एडमिशन के सन्दर्भ में क्या इस तरह के परीक्षा

पेपर हम लोग नहीं बना सकते हैं जो स्कूली शिक्षा के सिलेबस के आधार पर हों? हम लोग नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल आज हम लोगों के सामने है। हम प्रदेश के साथ में, देश के साथ में या कोचिंग संस्थानों के साथ में इसका उत्तर ढूंढेंगे तो हम लोग सब उन कोचिंग संस्थानों के साथ में नजर आते हैं। सरकारी नौकरी के सन्दर्भ में जो हमने व्यवस्था कर रखी है, जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने बना रखी है, क्या वह परीक्षा प्रणाली उस विद्यालय और कॉलेज की तरफ हमारे विद्यार्थियों को लेकर जा रही है या इन कोचिंग संस्थानों की तरफ धकेल रही है? इसका उत्तर है, जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने बना रखी है, वह विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों की तरफ धकेल रही है। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस परीक्षा प्रणाली को ही हम बदलें? पर हम लोग सब मौन हैं, शान्त हैं और कुछ हद तक हम उसे सहमतिभी देते हैं।

जो संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश के विद्यार्थी नौकरियों के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, क्या वे आरपीएससी जैसी संस्थाएं निष्पक्ष हैं? उसके अन्दर जो नियुक्तियां की जा रही हैं, उसके पैमाने क्या हैं? क्या जातीय तौर पर देखकर हम लोग उसमें सदस्य नियुक्त कर रहे हैं या उस सदस्य की योग्यता और निष्पक्षता के तौर पर कर रहे हैं? सभापति महोदय, निष्पक्ष तौर पर इसका उत्तर ढूंढें। कोई भी सरकार हो, आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति हम किसी न किसी पक्षीय तौर पर करते हैं, उसकी निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर नहीं करते हैं। इस जाति का होना चाहिये, इस विचारधारा का होना चाहिये, मेरा होना चाहिये, तेरा होना चाहिये।

कोई भी व्यक्ति अगर इसका आकलन करे आरपीएससी के सदस्य के तौर पर, उसको जवाब मिल जायेगा कि हम लोगों की मंशा क्या है, हम लोगों की नीति क्या है। फिर जो पेपर्स यह व्यवस्था और ये संस्थाएं बना रही हैं, उन पेपर्स के अन्दर क्या खेल हो रहा है? हम सब लोग बहुत बातें करते हैं, पेपर लीक, पेपर लीक। इस पेपर लीक का मूल आधार ये दोनों हैं, परीक्षा प्रणाली और वे संस्थाएं। उसकी तरफ हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं और उसको हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? यह सवाल उठता है कि पेपर लीक होते हैं? हां, हो रहे हैं। परीक्षा प्रणाली गलत है? हां, परीक्षा प्रणाली गलत है। यह संस्था गलत है? हां, गलत है। हम अगर किसी से भी सवाल करें तो इन तीनों सवालों का उत्तर यह है। ऐसे में इस समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? यह सदन ढूंढेगा या और कोई ढूंढेगा? मुझ से पूर्व वक्ता कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी। पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमने ब्यूरोक्रेसी को दे दी।

Mkd/rtm/03.09.2025/14.50/2h

सरकार के सन्दर्भ में भी ये बातें आ रही हैं कि सरकार कौन चला रहा है। कौन-सी अदृश्य ताकत सरकार चला रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो मुखिया हैं, वे चला रहे हैं तो सरकार चलाने का तो आपको अधिकार है, केबिनेट को आप किसी से चलवा सकते हो, पर राजस्थान के भविष्य की जिम्मेदारी तो आप

लोगों के ऊपर है। आप सिर्फ उन ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ोगे या वह आप खुद निभाओगे। यह जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। यह जो व्यवस्था हमने इसके सन्दर्भ में की है।

सभापति महोदय, पूरी दुनिया अच्छी तरह से जान रही है और पूरा प्रचार-प्रसार भी हो रहा है और हजारों करोड़ रुपये, कल ही देश के प्रधान मंत्री जी ने सेमी कंडक्टर के बारे में अपनी उपलब्धि दुनिया को बताई। हम सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं, पूरी की पूरी कोचिंग संस्था के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री जी आपने सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग संस्थाओं के सन्दर्भ में ही इस पूरे बिल के अन्दर बात की। क्या ऑफलाइन कोचिंग संस्था ही आज के समय में चल रही है या और कोई व्यवस्था है? ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन चल रही है। भविष्य के अन्दर भी ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में यह व्यवस्था हो जायेगी, पर आज इस बिल को बनाते वक्त हम लोग उसको बिलकुल नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारे खुद के थार में एक कोचिंग संस्था है। उस कोचिंग संस्था के अन्दर पिछले वर्ष ही 30 हजार बच्चे क्लासेज के माध्यम से कोचिंग ले रहे थे और ऑनलाइन 7 लाख। यह अनुपात है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अन्दर। उसके बावजूद भी हम लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं।

सभापति महोदय जी, मेरा मानना है आने वाला वक्त किसका, आने वाले वक्त को अगर हम समझेंगे तो यह एआई का है, वर्चुअल रियलिटी का है, वर्चुअल लैब का है, थ्री डी मॉडल का है, इंटरेक्टिव का है। इन सबका आने वाला वक्त है। अगर इसको हम लोग नहीं समझेंगे, इस सन्दर्भ में हम लोग फैसला नहीं करेंगे तो कौन फैसला करेगा?

सभापति महोदय, पूरी दुनिया कोचिंग का एक मॉडल, जिसके सन्दर्भ में चिन्तित हो रहे हैं, हमारे सबसे सीनियर हरिमोहन जी भी चिन्तित हो रहे हैं, कोटा का मॉडल। सभापति महोदय, यह कोटा का मॉडल एकलौता मॉडल नहीं है। यह हम लोगों की विफलता है कि हम लोग समाज में सिर्फ कोटा का मॉडल और इन कोचिंग क्लासों को मॉडल दे रहे हैं। यह जो थार का मॉडल है, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान और दुनिया को बताना चाहता हूं। इन कोचिंग संस्थाओं के अलावा और भी मॉडल है, इस राजस्थान के अन्दर।

मैं उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। बाड़मेर के अन्दर 50 विलेजर्स नाम की संस्था है। वहां बच्चों को निःशुल्क जीरो शुल्क के ऊपर स्कूल में नौवीं, दसवीं, ग्यारवीं के बच्चों को लाकर और बच्चों की योग्यता क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय से आये। उन बच्चों को वह 50 विलेजर्स पढ़ा रही है। उनका सक्सेज रेशो क्या है।

सभापति महोदय, 140 बच्चे उसके माध्यम से मेडिकल के अन्दर सफल हुए हैं। 23 एम्स में गये हैं। 100 प्रतिशत बच्चे जो वहां हैं, 100 प्रतिशत बच्चे, इस साल वहां 70 बच्चियां हैं और 112 बच्चे हैं, 100 प्रतिशत बच्चे या तो उनका मेडिकल कॉलेज के अन्दर उनका दाखिला हुआ है या फिर सरकारी नौकरी लगी है। 100 प्रतिशत मॉडल की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञापन की दुनिया है, भ्रान्ति की दुनिया है, उसके अन्दर सच्चाई की, हम लोग ही

आपस में उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

श्री सभापतिः सदस्य अपनी बात जल्दी समाप्त करेंगे। दूसरे बहुत सारे हैं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, इन कोचिंग क्लासों के लिए तो पूरी व्यवस्था है। उनकी बात के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। उनके संरक्षण के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। पर इस राजस्थान के उन नौजवानों के लिए कौन लगेगा?

सभापति महोदय, यदि आप संरक्षण नहीं दोगे तो। यह एकलौता मॉडल नहीं है। बाड़मेर के अन्दर एक वीरेन्द्र धाम का मॉडल है। हेमाराम जी चौधरी ने अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम से वह किया है। उस संस्था के अन्दर बच्चा रह रहा है। उसमें जाति, धर्म, राजनीतिक विचाराधारा नहीं है। उसमें पूरी की पूरी अध्ययन की व्यवस्था वे कर रहे हैं। ये दो मॉडल नहीं हैं। किसान बोर्डिंग के तौर पर भी है।

सभापति महोदय, इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जो कोचिंग ले रहा है, उनके साथ यह जो बिल आपने बनाया है, इस बिल के माध्यम से आप लोग क्या करोगे। इसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं। उसके बारे में आपने कोई प्रावधान भी नहीं किया। आपने एक और प्रावधान किया कि सरकारी शिक्षक इन कोचिंग संस्थाओं के अन्दर नहीं आये। हां, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ बिल बनाते वक्त उन कोचिंग संस्थाओं को संरक्षण देने की सोच रखी है। क्योंकि तमाम दूसरे मॉडल हैं, जिनमें निःशुल्क तौर पर और कम आर्थिक तौर पर कौन पढ़ायेगा, शिक्षा मंत्री जी। वह सरकारी शिक्षक ही है। जिनको आप लाखों-करोड़ों की तनख्वाह नहीं दे सकते हो और वह रास्ता भी आप इस बिल के माध्यम से रोक रहे हो। उनको कौन संरक्षण देगा, यदि हम और सदन नहीं देगा तो? हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी उनके माध्यम से सफल होकर आज राजस्थान में हैं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आप उन लोगों का संरक्षण करो। आज हमने देश में व्यवस्था क्या कर ली है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, कम्पेरेटिव मॉडल सर्वे ऑफ एजुकेशन, 2025 कह रहा है कि हमने हमारे विद्यालयी बच्चों को, 75 प्रतिशत विद्यालयी बच्चों को कोचिंग कक्षाओं की तरफ धकेल दिया है। क्या हम उन बच्चों को अच्छा योग्य नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। ये परिवार वहां धकेल क्यों रहे हैं। उन परिवारों का लक्ष्य यह है कि हमारे बच्चों को न्यूनतम सुरक्षा मिल जाए। नौकरी के माध्यम से न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिल जाए। ईमानदारी से हम लोग नहीं कह रहे हैं। यह विज्ञापन की चकाचौंध के अन्दर, हजारों करोड़ के विज्ञापन के अन्दर उस कोटा की इंडस्ट्री के बारे में चिन्ता कर रहे हैं, सदन में कर रहे हैं, पर इन बच्चों को हम ईमानदारी से यह नहीं बता रहे हैं कि बच्चों, सरकारी नौकरी नहीं हैं। तुम लोग कोचिंग क्लासेज के माध्यम से अपनी योग्यता खत्म कर रहे हो। सिर्फ एकलौता लक्ष्य सरकारी नौकरी, वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद तुम योग्य नागरिक के तौर पर योगदान नहीं कर पाओगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह कौन बतायेगा? यह हम नहीं बता रहे हैं। ये घंटियां हम लोगों के लिए ही हैं। यह व्यवस्था हम लोगों के लिए ही हैं। उन कोचिंग कक्षाओं के लिए तो कई

मॉडल हैं। उनका संरक्षण सब कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। लोक सभा के अन्दर जो कुर्सी पर बैठे हैं, वे भी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, आप यहां कर रहे हो, वे वहां कर रहे हैं। पर इन गरीब बच्चों का सामान्य बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। आज जो यह व्यवस्था हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से दी है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अब समय आ चुका है, इन व्यवस्थाओं में अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो राजस्थान के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। नारे कुछ भी कर लें, जय-जय राजस्थान, पर ये फैसले जय-जय राजस्थान के नहीं हैं। इस राजस्थान को हम लोग पीछे धकेल चुके हैं। इस राजस्थान को खत्म नहीं होने दें। मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज की सरकार के अन्दर सम्पूर्ण कमियां हैं और हम लोग सम्पूर्ण बिलकुल पूरी तरह से ठीक हैं।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो बिल लेकर आये हैं, इस बिल के माध्यम से राजस्थान को न्याय नहीं मिल रहा है। बड़े लोगों को जरूर न्याय मिल रहा है, हजारों-करोड़ साढ़े बारह हजार करोड़ से 25 हजार करोड़ की इंडस्ट्री के रूप में आप लोगों ने पहचान बना ली है। इंडस्ट्री का संरक्षण करना ही उप मुख्य मंत्री जी आपका एकलौता कर्तव्य नहीं है। राजस्थान के आठ करोड़ नागरिकों का संरक्षण करो। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है।

Bhs/Rtm/03.09.25/15.00/2j

श्री सभापतिः श्री पूसाराम गोदारा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): हाथ जोड़ कर निवेदन है कि राजस्थान को बचा लो। इतिहास लिखा जायेगा तो हम सब लोग राजस्थान को खतम करने वालों की गिनती में आयेंगे। मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इस राजस्थान को बचा लो, राजस्थान को बचा लो, राजस्थान को बचा लो। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम सा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सदस्य ने ये कोटा के हैं उनको संरक्षण करने की बात की है।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, आपने पहले बोल दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): संरक्षण करने की बात कही है। हम तो जानते ही नहीं, कौन हैं वहां। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज गोदारा साहब, बोलिये। आपका समय जा रहा है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजथान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। यह प्रवर समिति के माध्यम से गुजर कर सदस्यों ने इस पर विचार-विमर्श करके और पुनः इसको पारित कराने के लिये प्रस्तुत किया है। मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि जब पुर:स्थापित किया उस टाइम में जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया

उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन न के बराबर किया गया है। इसलिये मेरा विशेष तौर से यह कहना है कि आज के समय में शिक्षा जगत में सबसे महत्वपूर्ण मामला शिक्षण संस्थाओं का है और इन शिक्षण संस्थाओं से यह कोचिंग सेन्टर जुड़े हुए हैं और कोचिंग सेन्टर्स पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकार के लिए बहुत आवश्यक है और आमजन के लिए भी जरूरी है लेकिन जनता की आकांक्षा पर जो कानून यह विधान सभा बनाये वह जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिये और जिन संस्थानों पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है, इस कानून में प्रवर समिति ने दो लाख से पचास हजार रुपये कर दिये प्रवेश के और सेकंड गलती पर पांच लाख से दो लाख कर दिये और एक काम और कर दिया कि पहले पचास लड़कों के बैठने की जगह अब सौ लड़के कर दिये यह बहुत गलत है। हालांकि बहुत कोचिंगें ऐसी हैं जहां डेढ़ सौ-डेढ़ सौ लड़के बैठते हैं और हालात यह बनी हुई है कि लड़के और लड़कियां सकते में रहते हैं। यह बात भी सही है कि सीनियर सेकेंडरी के बाद या इसी दौरान हमारे बच्चों को हम कोचिंग में भेज देते हैं जबकि यह शिक्षा पूर्ण होने तक उनको कोचिंग में दाखिला नहीं देना चाहिये।

उच्च शिक्षा में प्रवेश के बाद कोचिंग में जाना चाहिये ताकि वह अपने जीवन के भविष्य का फैसला वह स्वयं कर सके, ताकि ये आत्महत्याएं कम से कम हों और कम से कम यह दबाव हो जिसके कारण से बच्चा यह देखे कि इस कोचिंग में दो साल पूरे कर लिये और मैं परीक्षाओं में सफल नहीं हुआ तो सकते में आकर के वह आत्महत्या कर लेता है। इसलिये वास्तव में यह बात सही है कि मनोवैज्ञानिक काउंसलरों की नियुक्ति हर कोचिंग में होनी चाहिये आवश्यक रूप से, जबकि आज की तारीख में माननीय मंत्री महोदय, कोई भी कोचिंग सेन्टर ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्टर का प्रवेश हो। कोई अचानक बीमार हो गया तो अलग चीज है बाकी न कोटा में होता, न सीकर में होता, न अन्य कोचिंगों में होता इसलिये यह भी आवश्यक है निश्चित तौर से और आपने जो जिला स्तर पर समिति बनायी है उसमें एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो सी.एम.एच.ओ. नियुक्त करेगा, सी.एम.एच.ओ. तो खुद ही एम.बी.बी.एस. तक होता है, बहुत कम ऐसे हैं जो एम.डी. होते हैं इसलिये एक मनोवैज्ञानिक काउन्सलर और एक महिला और एक पुरुष दो होने चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जिला और प्रदेश का प्राधिकरण, हमारी सीनियर माननीय सदस्य पूर्व वक्ताओं ने सही बात कही है कि खाली आप ब्यूरोक्रेसी पर मत छोड़ो, कानून अपन बनाते हैं उसके बाद में अपन उनके सामने ठर्राते हैं, यह बात जचने वाली नहीं है इसमें जिला स्तर पर विधायकों को पदेन सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित करना चाहिये था। यह पिछली बार भी इस सदन में बात उठी थी, पक्ष और विपक्ष दोनें तरफ से और प्रदेश स्तर पर हर सम्भाग से एक विधायक और मुख्यालय का एम.पी. मैम्बर होना चाहिये। अगर कानून सदन बना रही है तो कम से कम...।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): चार मिनट ही तो हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट तो और दें।

श्री सभापति: आधा मिनट बाकी है, उसमें आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): ताकि वो लोग उन पर नियंत्रण रख सके। नहीं तो ब्युरोक्रेसी को, जिला कलेक्टर को और प्रिंसिपल सेकेट्री को बहुत कम समय होता है और इतनी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते ऐसी स्थितिमें मेरा यह कहना है कि अभिभावकों की भी जो आपने इसमें संख्या दी है उसको कम से कम पांच किया जाना चाहिये, ताकि उनमें पूरा सामन्जस्य जनप्रतिनिधियों में और ब्यूरोक्रेसी में बैठ सके। कानून बना करके उनको देना है, आज भी अपन कोई बात करते हैं तो उसमें ये ही लोग कहते हैं ...

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, समाप्त कीजिये। श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): ऐसी स्थिति में इस विधेयक को इस प्रवर समिति को पुन: इस पर विचार करने के लिए भेजा जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आप जो यह कोचिंग संस्थान के नियंत्रण के लिए बिल लेकर आये, यह हमारे प्रदेश और देश के लिए 13 साल से लेकर 40 वर्ष तक के उस व्यक्ति के लिए कानून है जिनके भविष्य को हम सुरक्षित करने की चिन्ता करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में जिस तरीके से आप इनको सुरक्षित करने की बात करते हैं इस सरकार को बच्चों के भविष्य की चिन्ता न करते हुए कोचिंग की चिन्ता कुछ ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो अपन उद्देश्य लेकर आये थे कि जो आत्महत्या को रोकना चाहते हैं, उनको प्रेशर से रोकना चाहते हैं वो ऐसा इस कानून में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, जिसको हम रोक सके।

माननीय सभापति महोदय, कानून के माध्यम से यह बात बार-बार आयी भी है, धारा 5 में जिला कार्य समिति, पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होंगे, कम से कम पचास कमेटियों के, पचास बोर्ड्स के वो रेगुलरली अध्यक्ष हैं, कहां मीटिंग करेंगे, कब बात करेंगे, कब इस बात पर सुनवाई होगी। दूसरा इन्होंने धारा 7 में प्रावधान किया कि इनका रजिस्ट्रेशन जब होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए यह राज्य प्राधिकरण ऑथोरिटी में जायेंगे उसके बाद धारा 24 में आपने उनको पाबन्द कर दिया कि वो किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आपने इस कानून में भारतीय संविधान को चेलेंज किया है जिसके आर्टिकल 14 से 21 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार, न्याय, स्वतंत्रता, आजादी, बोलने के लिए स्वतंत्र है और आर्टिकल 226 में राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने का उसका अधिकार है इस कानून में आप यह प्रावधान नहीं कर सकते इसलिये धारा 24 में आपने संविधान का स्पष्ट उल्लंघन किया है, इस पर भी मंत्री महोदय, आप विचार करना।

माननीय सभापति महोदय, धारा 8 में इन्होंने निबन्धन की बातें की हैं कि इन पर क्या-क्या प्रबन्धन होंगे, क्या-क्या निबन्धन होंगे, मैं कहना चाहता हूं कि यह बन्धन की बात, इन्होंने कहा कि एक वर्गमीटर में एक छात्र बैठेगा, आप पहले ही गाइड लाइन क्यों नहीं जारी करते कि सौ स्टूडेंट्स से ऊपर रजिस्ट्रेशन जिस भी कोचिंग का होगा वह अपनी संख्या पहले बतायेगा कि मेरे पास सौ स्टूडेंट्स का स्थान है, मेरे पास इतनी जमीन, इतना भवन होगा, दो सौ स्टूडेंट्स के लिए इतना होगा, आपने इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। आपने कह दिया कि एक वर्गमीटर में एक स्टूडेंट बैठेगा, उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी, यह सरासर गलत है।

दूसरा मैं कहता हूं फर्जी ट्यूटर, ट्यूटर्स की बात कर रहे थे कि फर्जी ट्यूटर, आज भी आपकी यूनिवर्सिटीज जितनी आपने प्राइवेट बना रखी हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है सब कुछ फर्जी है, मार्कशीट फर्जी, परीक्षा फर्जी, ट्यूटर फर्जी, संस्थान चलाने वाले फर्जी तो यह फर्जीवाड़े की बात कर रहे हो, यह इन कोचिंग संस्थाओं में फर्जी चलेंगे। इसी तरह आपके कोचिंग में एडमिशन के बाद, आप बड़ा धार्मिक प्रचार करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लाखों बच्चों का भविष्य है, पांच प्रतिशत का भी परिणाम नहीं है, जितने एडमिशन कोचिंगों में होते हैं, उनकी संख्या का प्रतिशत आप निकाल लीजिये, .5 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्ति सफल नहीं होते हैं तो इन बच्चों पर कितना बड़ा प्रेशर होगा। इस प्रेशर को रोकने के लिए आप काम करिये कि आप या तो गारंटी देंगे नहीं, दसवीं क्लास से लेकर जब तक नौकरी नहीं लग जाता तब तक इन कोचिंग संस्थाओं में रहता है और बच्चों पर भारी प्रेशर रहता है इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने सेन्टर के रजिस्ट्रेशन के तीन वर्ष बाद उनको आप फिर कह रहे हो कि वो पुनः अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा, क्यों? जब आप उसका गाइड लाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर देते हो, उसको प्रमाण पत्र दे देते हो तो उस संस्था को फिर तीन वर्ष बाद आप उन अधिकारियों के सामने एन.ओ.सी. के लिए क्यों धकेलना चाहते हो? अगर वो प्रोपर है अगर वो सही है तो तीसरी साल का यह सिस्टम बन्द किया जाये।

Kas/rtm/03.09.2025/15.10/2k

माननीय सभापति महोदय, सबसे गंभीर विषय है कि यह लोग कोचिंग के माध्यम से नौकरी देना चाहते हैं। हमारे पेपर सिस्टम के माध्यम से नौकरी लगाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, तीन-चार दिन से मैं लगातार देख रहा हूं एस.आई. भर्ती रद्द होने का राजस्थान में ढिंढोरा पीट रहे हैं। चोर, भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरों के साथ इधर की सरकार और इधर के विपक्ष के लोग खड़े हो गये, लेकिन वो ईमानदार, वो गरीब परिवार के बच्चे जो राजस्थान की एस.आई. में भर्ती हुए, उन 859 लोगों में से आपने केवल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके अलावा बचे हुए लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। यह सरकार की नाकामी है, हमारे विपक्ष की नाकामी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग ईमानदारी

के साथ, अपने मां-बाप के खून-पसीने की कमाई से जो बच्चे पढ़कर नौकरी लगे, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, या तो उनको भ्रष्ट मानकर गिरफ्तार कीजिए, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको आप गलत नहीं मान रहे हो, तो उनको बाहर भेजने का काम न करें। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं सरकार उनकी अपील में जाये, सरकार उनके साथ खड़ी हो। यह उन बच्चों का दुर्भाग्य है, जो बच्चे मेहनत से, लगन से इन कोचिंगों में लुटाकर नौकरी लगे। कोई तो कह रहा है कि यह बहुत देरी से आया। सरकार की चूक कहां रही, सरकार ने मंत्रियों की उप समिति बनाई और उप समिति बनाकर सरकार ने पोने दो साल में फैसला नहीं किया, इसलिए जनता को कोर्ट जाना पडा। अगर आप समय पर फैसला कर लेते कि भर्ती रद्द नहीं होगी, जो दोषी होंगे, वो गिरफ्तार होंगे, जो निर्दोष होंगे, वो अपनी नौकरी करेंगे, तो ऐसा मौका नहीं मिलता। आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की। एक तरफ धरना देने वाले कह रहे हैं कि हमने जीत कर ली। एक तरफ यह कह रहे हैं कि हमने बहुत दिन पहले कह दिया था कि भर्ती रद्द कर दो। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसी ही भर्तियां आपके पास हैं, पटवारी भर्ती-2021, फायर मैन भर्ती-2021, रीट भर्ती-2021, आर.ए.एस. भर्ती-2018, इनकी भी जांच पेंडिंग है।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, दो मिनट। आपकी जांच पेंडिंग है, आप फिर इन लोगों की भर्ती रद्द करोगे। आप भर्ती रद्द मत कीजिए, जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिसने बेईमानी से पेपर दिया है, अगर इन चोरों की व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे तो ईमानदार लोगों का जीना मुश्किल हो जायेगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

सभापति महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, इन्होंने इसमें अभी जो कोचिंग संस्थानों की बात की, माननीय मंत्री महोदय, इस कानून में यह तो बताने का प्रयास करें इसमें आप किस तरीके से उन बच्चों को संरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हो? आप मनोचिकित्सक की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि साहब, वहां नशे के नये अड्डे बन गये। जहां लाखों की संख्या में बच्चे इकट्ठा होते हैं, जिनका भविष्य वहां सुरक्षित होने के बजाय वह नये नशे में, मेडिकल नशे में, एम.डी. में, ड्रग्स में शामिल होकर उन बच्चों की बुरी स्थिति हो रही है, इसलिए आप नियंत्रण करने का प्रयास करें, यह लुटेरों की फौज मत बनाओ। कानून आपने खूब बनाये हैं, लेकिन कानून की पालना अगर उसके अनुसार नहीं होती है, जो मान्यता देंगे, जिनको आपने छूट दी है, जो उनका निरीक्षण करेंगे...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री रविन्द्र सिंह जी भाटी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): वो उनसे ....(व्यवधान).... उनसे पैसे लूटने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को दुबारा प्रवर समिति को भेज कर इसकी गहनता से अध्ययन करके हमारा जो मूल उद्देश्य है कि जिन बच्चों को हम सुरक्षित-संरक्षित करना चाहते हैं, जिनका भविष्य सुधारना चाहते हैं, उनके लिये इस कानून में प्रावधान करने का प्रयास करें, जिससे बच्चे सुरक्षित हो सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने

का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज कि यह बिल क्यों जरूरी था? यह बिल इसलिए जरूरी था, ताकि जो आये दिन हमारे यहां पर मानसिक तनाव के कारण जो युवा, जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या की दर को हम किस तरीके से कम कर सकें। उन युवाओं को, उन छात्रों को हम किस तरीके से एक बेहतर माहौल दे सकें। मुझे कहने में बड़ा दु:ख होता है कि समिति में जाने के बाद भी इस बिल में छात्रों को लेकर जो छूट, जो बेहतर माहौल की मांग की गई थी, वह नहीं मिल पाई। आपने क्या किया? आपने जुर्माने कम किये, आपने कोचिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट किया। जाहिर सी बात है कोचिंग सेंटर आप चलाएं, स्टेट में कोचिंग सेंटर होने चाहिये। नये युवाओं को मौका मिले, इसलिए तमाम चीजें होनी चाहिये। बाहर के राज्यों के विद्यार्थी यहां आने चाहिये, लेकिन आप जुर्माना कम करके इनडाइरेक्टली जो बेनिफिट दे रहे हो, क्या यह उन छात्रों के साथ ठीक है? फीस स्ट्रेक्चर पर कोई बात आपने नहीं की, जो सबसे बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, हर युवा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता। फीस का एक बेरियर होना चाहिये, पर उस बेरियर की कोई बात नहीं हुई। चारों तरफ लूट-खसोट मच रही है। मेरे से पहले भी सम्माननीय सदस्यों ने यह बात रखी। मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। साथ ही साथ, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो काफी चला था। एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में एक बच्ची टॉप फ्लोर पर नीचे कूदने के लिये तैयार थी, दो टीचर्स ने उसको बचाया। यह स्थितियां आये दिन अपने प्रदेश में हो रही हैं। न सिर्फ कोटा में, बल्कि जहां-जहां भी कोचिंग सेंटर हैं, वहां सब जगह ऐसी घटनाएं आये दिन हमको देखने को मिलती हैं। इसकी बात कौन करेगा? हम जो बिल ला रहे हैं, क्या इस बिल से हम उन तमाम लोगों को समाधान दे पा रहे हैं? कोई समाधान नहीं है, सिर्फ लीपापोती, सिर्फ बाते हैं। मुझे लगता है कि जब पहले दिन यह बिल आया तो विपक्ष के भी कई साथियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी बिल था और अच्छा हुआ कि ये यह बिल ले आये, लेकिन जो इस बिल का उद्देश्य था, वह पूरी तरह से खतम हो चुका है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर 200 सम्माननीय सदस्य बैठे हैं और 200 अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर लोकतांत्रिक सिस्टम से यहां तक पहुंचे हैं। इनके जिले की टीमें बनी हैं, कमेटियां बनी हैं। उन जिले की कमेटी में जो यहां बैठे हुए सम्माननीय सदस्य हैं, वो भी मेम्बर नहीं हैं। आपने यह क्या किया है? ब्लॉक स्तर पर आप कोई कमेटी बनाओ, तो कम से कम किसी प्रधान या किसी जनप्रतिनिधि को उसमें सदस्य तो बनाओ। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के एक साथी कह रहे थे कि यह सिस्टम तो एक-दो अधिकारी ही चला रहे थे और आगे भी वो ही चलायेंगे। साहब, इससे आपकी इमेज नेगेटिव हो रही है। इस तरीके से सारा सिस्टम अधिकारियों के हाथ में ना दें। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनके पास उनकी बात रखने की जगह होनी चाहिये। हर व्यक्ति इस सदन में छोटी-छोटी चीजें लेकर

नहीं आयेगा। आपने क्या किया, हर तीसरे साल वापस इन छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होगा। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अधिकारी तो आपके घर जाकर एक पन्ना दे आयेंगे और जो कमजोर है, वो दर-दर मारा-मारा फिरेगा कि एनओसी दो, एनओसी दो। आप भ्रष्टाचार के लिये नये चार दरवाजे क्यों खोल रहे हैं?

सभापति महोदय, आपने इसमें एक और चीज लिखी सुझाव पेटिका, शिकायत पेटिका होगी। साहब, आप मुझे बताइए कितने विभागों में सुझाव और शिकायत पेटिका रखी गई हैं और कितने मंत्रियों ने उनको पढ़ा है? एक भी जगह नहीं है, फिर यह नया नाटक क्यों? कोई बच्चा जाकर शिकायत दे आयेगा, पीछे से कोई निकाल कर पढ़ेगा, अच्छा शिकायत दी है, रुको इलाज करते हैं। साहब, यह क्या है, हम किस तरीके से कर रहे हैं? ....(व्यवधान).... मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल आया है, हम इसके मूल उद्देश्य से नहीं भटकें। तमाम चीजें होती रहेंगी, लेकिन यह युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी, यह युवा जो आज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, जब कभी किसी विभाग में बैठेंगे, यहां आकर बैठेंगे, तो कहेंगे कि हमसे पहले जो यहां माननीय सदस्य थे, वो क्या-क्या बिल, किस-किस तरीके से लाये। आप एक नजीर पेश करो। मंत्री जी, आप तो खुद बहुत मजबूत आदमी हो, आपको तो मजबूती से बिल लाना चाहिये। आपको तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है। हायर एजुकेशन जैसा बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास में है। आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टाइट करो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को, उन तमाम युवाओं को कोचिंगों के भरोसे जाना ही ना पड़े। आप तो उस सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करो और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मजबूती के साथ करेंगे, पर कहीं न कहीं जो यह तमाम चीजें फैलाई जा रही हैं, इससे आपके ओरा को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा तो निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी। अभी एस.आई. भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी-बारी से कहा कि साहब, हम यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या हुआ?

Msk/rtm/03.09.25/1520/2I

साहब, जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सज़ा मिली या नहीं मिली, पर जो लोग, बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पर खून-पसीने की कमाई से कोचिंग करके बड़े शहरों में रहकर, अपनी पूरी पूंजी लगाकर नौकरी लगे। जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं।

श्री सभापति: प्लीज, सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, अभ्यर्थी, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके साथ आप न्याय करें। उनको पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। आप कोचिंग बढ़ायें, पर युवाओं और आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मजबूत करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025, राज्य के कोचिंग सेन्टरों पर नियंत्रण करने के लिए और बच्चों की आत्महत्या को रोकने के लिए एक एक्ट का आना आवश्यक था। संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब बहुत संवेदनशील हैं और हमारे उप मुख्य मंत्री जी भी संवेदनशील हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बिल.. जो भी सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सभी मन ही मन में तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आया है, लेकिन विपक्ष की एक फितरत होती है कि हमेशा उस बिल की कमियां निकालना है। एक उचित बिल आया है, जो कोचिंग सेन्टर अपने आप में स्वच्छन्द कोचिंग सेन्टर थे। कोचिंग सेन्टर आज तो कोई बने नहीं, भाजपा की सरकार आने के बाद तो बने नहीं थे। पहले बने हुए थे, वे स्वच्छन्द थे, उन पर किसी ने नकेल कसने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रभारी मंत्री जी ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कोचिंग सेन्टरों पर आप नकेल कसने के लिए जो बिल लाये हैं।

जिस प्रकार से अभी फीस की बात हो रही थी। अभी जब प्रोसपैक्टस निकालेंगे तो उनको फीस निर्धारित करनी पड़ेगी, इस कोर्स के लिए आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी और उसकी रसीद भी देनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपने बिल की धारा 13 में जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जिसमें भी अगर किसी ने कोचिंग करते हुए तीन महीने पढ़ाई की, साल भर की पढ़ाई में तीन पढ़ाई की है और उसको वापस कोचिंग छोड़नी है तो तीन महीने की ही फीस काटकर वापस नौ महीने की फीस रिटर्न करने का फैसला किया है। यह बहुत ही न्यायसंगत है। प्रभारी मंत्री जी, जिस प्रकार से आप बिल लाये हैं, यह छात्र हित के लिए लाये हैं। मैंने देखा है, मैंने बिल पढ़ा है। इसमें कई तरह की व्यवस्था जो कि एक्ट के अनुसार होनी चाहिए थी, वह की है। माननीय सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री जी, जिस प्रकार से यह संवेदनशील सरकार है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस बिल में चाहे फीस की बात की, उसके बाद अगर देखें थे तो बच्चों के मनोविज्ञान चर्चा और काउंसलिंग की बात की है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आत्महत्या का हमको हमेशा डर रहता है कि हमारे बच्चे जो कोचिंग जाते हैं। कई तरह की आत्महत्या का डर रहता है,

माता-पिता को डर रहता है। इस बिल के बाद में इस आत्महत्या को कैसे रोका जाये। मजबूती के साथ यह बिल सदन में पास होने के बाद क्षेत्र में भी लागू करे, ऐसा मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा। प्रवर समिति द्वारा जो संशोधन किया है। लगभग 15 माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति में मीटिंग करके, बैठकें करके उनको जो भी कमियां लगी थीं। माननीय सदस्यों ने उसमें जो कमियां निकाली हैं, उसके बाद में इस बिल को लाये हैं। तो मैंने जिस प्रकार से जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेता हूं। मैं प्रभारी मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा विधेयक लाये हैं। यह छात्र हित में होगा। जय हिन्द। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया। यह बिल प्रवर समिति को लौटाया गया, लेकिन बिना किसी ठोस बदलाव के यह विधेयक फिर सदन के अंदर आया है। राज्य सरकार इस विधेयक/अधिनियम के लिए कोई भी एक राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन करेगी, लेकिन इतने सचिवों की एक साथ बैठक कभी भी संभव नहीं है। जो आपने यह इसके अंदर तय किया है, बताया है। इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों, अभिभावकों व कोचिंग सेन्टर के मालिकों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। जिला स्तरीय समिति के अन्दर भी इसी तरह से आपने विधायक को, सांसद को, जनप्रतिनिधियों को स्थायी रूप से कोई जगह देने का काम इस विधेयक के अन्दर नहीं किया है। यह विधेयक एक कागजी पूर्ति बनकर रह जायेगा, क्योंकि इस तरह की जो मीटिंगें हैं, जो कि आपने जिले व स्टेट की तय की हैं। ऐसी मीटिंगें कभी भी नहीं हो पायेंगी। इस विधेयक में छात्रों व अभिभावकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस विधेयक में फीस कितनी होगी, क्या होगी, फीस के क्या मापदण्ड होंगे, इस पर भी कोई बातचीत नहीं की गयी है।

इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि कोचिंग सेन्टर संचालक द्वारा यदि इस विधेयक के प्रावधानों को नहीं माना जाता है तो इस पर कोई ठोस कार्यवाही होगी, इस पर इस विधेयक के अन्दर बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। देश के अन्दर न्याय की अवधारणा/कंसेप्ट में कहा जाता है कियदि दस गुनाहगार छूट जायें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एसआई भर्ती के अन्दर जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप गुनाहगारों को तो पकड़ नहीं सके और 500 बेगुनाहों को सज़ा देने का काम आप कर रहे हैं, जो गलत है। राजस्थान प्रदेश के अन्दर स्कूलों में, कॉलेजों के भौतिक संसाधनों पर ध्यान देने की जरूरत है। जर्जर भवनों को स्पेशल पैकेज देकर मरम्मत करवाने की जरूरत है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास न किया जाये। इस पर दुबारा विचार किया जाये एवं प्रवर समिति द्वारा यतः प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर

विधेयक, 2025 को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार, सुजानगढ़।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। यह जो राजस्थान कोचिंग नियंत्रण विधेयक लाया गया है, इसका जो मूल उद्देश्य था, लगता है कि अपन कहीं उससे भटक गये हैं। मैन उद्देश्य तब आया, जब रोज अखबारों में पढ़ने को मिला कि किस तरह से कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह मन झकझोरने वाला था, जब अपन पढ़ते थे कि एक बच्चे को पढ़ने भेजा और वह आत्महत्या करता है। उसके बाद इस विधेयक को लाया गया, यह अच्छी बात है, पर जो विधेयक के प्रावधान रखे गये हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे उद्देश्य पूरे होंगे। कैसे बच्चों में अपन आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकेंगे, कैसे उस बच्चे को रोकेंगे, जो डिप्रेशन में जाकर यह काम कर रहा है? उसके लिए क्या प्रावधान किये हैं, वे नजर नहीं आ रहे हैं। मनोचिकित्सक रखने की बात की है, उसको कमेटी तक क्यों सीमित कर दिया? कोचिंगों में वे मनोचिकित्सक कैसे जुड़ेंगे, क्या प्रावधान हैं? वह जोड़ने की बात होनी चाहिए, वह नहीं है। कमेटी में तो आकर वह अपनी बात कर लेगा, पर कोचिंग में उन बच्चों से कौन बात करेगा, यह देखने की बात है। वह बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? वह तब जा रहा है, जब उसके ऊपर परिवार का बोझ आ गया कि वह बराबर सही नहीं पढ़ रहा। जब वह बोझ साथ के सहपाठियों से हो गया कि वह इस बार वीकली एसेसमेंट में अच्छा कर रहा है, तब उसके ऊपर प्रेशर आता है। उस पर प्रेशर तब आता है, जब फीस भरनी होती है। तब प्रेशर आता है कि मेरे मां-बाप किस तरह से फीस भर रहे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए क्या प्रावधान किये हैं? उसके लिए जरूरत थी कि इन कोचिंगों में प्रावधान करते कि इन बच्चों में पढ़ाई के साथ ही कुछ कल्चरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हों। क्योंकि ये जो कोचिंग हैं, ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से कराती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। पहले 11वीं क्लास के बच्चों को फाउंडेशन के नाम से एडमिशन दिलाते थे और अब प्रवृत्ति आ गयी कि 9^{th} क्लास के बच्चों का भी एडमिशन हो रहा है। चार साल फाउंडेशन के नाम पर उनको पढ़ाते हैं, 10वीं-12वीं साथ में कराते हैं, वह उनका अलग सिस्टम है। किस तरह से वे एडमिशन कराते हैं, किस तरह से हाजिरी लगवाते हैं और किस तरह से पास करवाते हैं, पर उनके पास में स्पोर्ट्स का कोई प्रावधान नहीं है। उनके यहां खेलने का मैदान नहीं है, वह कहां खेलेगा? क्लचरल एक्टिविटी से तो दूर-दूर का नाता नहीं है। क्लासों की हालत ऐसी है कि भेड़-बकरियों की तरह भर रखे हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि एक-एक क्लास में, जो कि सीकर में चल रही हैं, 600-600 बच्चे पढ़ रहे हैं। यह सत्यता है, आप जाकर जांच कर सकते हैं। 600 बच्चे एक क्लास में। वे कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से होंगे, सोचने वाली बात है।

mdp/rtm/03.09.25/15:30/2m

कोचिंग्स का उद्देश्य बच्चे तैयार करना नहीं है। इनका उद्देश्य व्यावसायीकरण है। ये बहुत

बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, छोटी-मोटी नहीं है। अगर छोटा-सा भी अनुमान लगाए और कम से कम भी माने तो 5 लाख से कम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हैं, दो लाख से कम मिनिमम फीस है नहीं, बाकी अगर हॉस्टल वगैरह के खर्चे छोड़ दें, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो दस हजार करोड़ रुपया होता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गयी। इस इंडस्ट्री में, मंत्री महोदय, आप भी जिस समुदाय से आते हैं, मैं भी जिससे आता हूं, उस बच्चे की क्या स्थिति है? क्या इसमें आरटीई का प्रावधान है? राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है? क्या वह गरीब बच्चा इन कोचिंग्स में पढ़ सकता है? आपने बड़ी-बड़ी प्राइवेट स्कूल्स में आरटीई के तहत एडमिशन करवा दिए तो क्या इन कोचिंग्स में आप व्यवस्था नहीं कर सकते? आपको एक लाइन लिखनी थी, सदन पास करता तो वह गरीब का बच्चा भी कोचिंग लेकर पढ़ सकता। क्या पैसे वाले का ही अधिकार है कि वह कोचिंग कराएगा और 90 परसेंट, 95 परसेंट बच्चे उन्हीं के ही मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेस में पास हो जाएंगे। गरीब के बच्चे को भी तो जरूरत है। उसको भी पढ़ने का वातावरण मिले। उसको भी उचित स्थान मिले। अगर हम उसको स्थान नहीं देंगे तो वह कैसे आगे बढ़ेगा? आपको प्रावधान करना चाहिए था। अभी-भी समय है कि आप इसको जोड़कर कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी जरूरत है।

ये जो कोचिंग वाले हैं, आप इमेजिन करेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले जो टॉप 20 हैं, उनमें ज्यादातर ये कोचिंग वाले हैं। कितना पैसा इन्होंने कमाया होगा? और कहां से कमा रहे हैं, गरीब बच्चों से। जो परिवार जैसे-तैसे करके अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहा है, क्योंकि मजबूरी में भेजना पड़ता है, इसलिए मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि इसको एक बार पुन: 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेज दो या प्रवर समिति को भेज दो। ये जो प्रावधान हैं, चाहे खेल मैदान जोड़ने की बात हो, कल्चरल एक्टिविटी की बात हो, सबसे बड़ी बात आरटीई के अंतर्गत इस विधेयक को लेकर आइए आप।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): जिससे कि हमारे बच्चे भी कोचिंग में जाएं। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए भेजे या प्रवर समिति को भेज दें। धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आज बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और यह बिल दोबारा लाया गया है। पहले भी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए और अभी-भी जब बिल लेकर आए हैं तो इसमें बहुत सारी खामियों के साथ बिल पेश किया जा रहा है। न तो स्टूडेंट की फाइनेंशियल पोजिशन का ख्याल रखा जा रहा है, न गरीब आदमी के लिए कोई जगह है, न आम आदमी के लिए जगह है और सबसे बड़ी खास बात, मैं दो ही मिनट में इस पर अपनी बात खतम करूंगा, सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप न तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में कोई बात कर रहे हैं कि कहां होंगे, कैसी जगह होंगे, कौनसी लोकेलिटी होगी, रेजिडेंशियल एरिये में परमिट करेंगे या नहीं करेंगे, कोई अलग से इनका एरिया बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कोई आपने रोडमेप बनाया है इसके लिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहां

प्लेस करेंगे? आपने अब तक यह कहीं भी मेंशन, आपने बहुत सारी लिस्ट बना दी, बहुत सारे पैरा बना दिए, लेकिन यह कहीं भी तय नहीं किया कि इनको कौनसी जगह देंगे, कोई जगह देंगे, कोई एरिया देंगे। ये तो बेचारे खुद ही इंस्टीट्यूशंस आनर्स ऐसे हैं कि एक इंडस्ट्री कोटा में डवपल हो गयी, एक इंडस्ट्री सीकर में डवलप हो गयी। गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, सरकार का कोई रोल नहीं है। आप पूरा प्लान बनाइए और यह तय करिए कि इन इंस्टीट्यूशंस को हम इस एरिया में लाना चाहते हैं। शेखावाटी का पूरा एरिया अपने आप डवलप हो गया, कोटा रीजन अपने आप डवलप हो गया। आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें और आप आगे कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं करना चाहते। ये भी नहीं बताना चाहते कि इनको कहां प्लेस करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या इनकी गाइड लाइन होगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि आप जन-प्रतिनिधि हो मंत्री महोदय, आपने जितनी भी कमेटियां बनायी हैं, एक भी जन-प्रतिनिधि शामिल नहीं किया इसमें। एक भी आदमी को न तो जिला लेवल पर शामिल कर रहे हैं और न स्टेट लेवल पर शामिल कर रहे हैं। अधिकारियों ने बनाकर दे दिया और आपने यहां पढ़ दिया। आप जन-प्रतिनिधि हो, इनका दायित्व नहीं है? अभी 7 बच्चे झालावाड़ के अन्दर मरे, हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़ रहे हैं उसके लिए, जन-प्रतिनिधि लड़ रहा है उसके लिए, ब्यूरोक्रेसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। न कोई फायर पॉलिसी है। पूरे देश के अन्दर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आग लग गयी और बहुत सारे स्टूडेंट उसके अन्दर झुलस गये। उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करें और दोबारा से पूरा विचार-विमर्श करके कि इसमें गरीब को जगह हो, आम आदमी को जगह हो, स्टूडेंट को कैसे फायदा मिले, सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन हो, कैसे प्लेसमेंट हो, कौन-कौनसे एरिया में लाओगे, कैसे फायदा मिलेगा, हंसो मत, मुस्कुराओ मत, जनता माफ नहीं करेगी थ्हानै। मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचारित करने के लिए रिकमंड करता हूं।

सूचना

आदर्श नगर में अतिवृष्टि के कारण भारी मिट्टी का जमाव

पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन, जैसा कि आपने मुझे इजाजत दी है कि साथ ही पढ़ देना, अतिवृष्टि के कारण मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में सिद्धि विनायक मन्दिर, गणेश जी का मन्दिर है लाल डूंगरी के ऊपर और भारी बारिश की वजह से मिट्टी बहकर आ गयी है। 5-5 फीट मिट्टी जमा हो गयी है। मकान डूब गये हैं, जानवर डूब गये हैं और उनके व्हीकल्स डूब गये हैं। ऑटोरिक्शा का साइज नजर नहीं आ रहा, मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है और सामने गणेश मन्दिर है। प्राचीनतम गणेश मन्दिर है। मैं आपके मार्फत गुजारिश करता हूं कि सरकार संज्ञान ले। आपदा मंत्री पहले यहां बैठे थे, अभी गायब है। आपदा मंत्री ध्यान देवे और मिट्टी रिमूव करें। आम आदमी का जन जीवन प्रभावित नहीं हो, ऐसा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: विराजिए। आपने विषय रखा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, जो विषय रखा है, उसको गंभीरता से लेंगे। मैं पूरे सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने ज्योंही बरसात की, अतिवृष्टि की संभावना हुई, सभी जिला कलक्टर्स की मीटिंग लेकर सभी को आदेशित किया है कि स्पेशल गिरदावरी करनी हो तो करें, जहां कहीं भी मानव हानि हुई है तो उसकी रिपोर्ट करें, जहां क्षतिपूर्ति हुई है, मकानों की या और किसी की, उसकी रिपोर्ट करें। इसलिए सरकार इस विषय पर पूरी तरह गंभीर है और कार्यवाही कर रही है और इतना ही है कि सबको अपना-अपना मुआवजा भी मिलेगा।

श्री सभापतिः सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बिलकुल स्वागत योग्य है आपकी बात। ...(व्यवधान)... लेकिन यह घटना मैं अभी की बता रहा हूं सुबह की।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक भी कलक्टर ...(व्यवधान)... मीटिंग नहीं हुई।

श्री सभापतिः माननीय प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ...(व्यवधान)... विराजिए। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज मैं जिस विधेयक पर इस प्रतिष्ठित सदन में विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, वह केवल एक विधायी प्रस्ताव नहीं, बल्कि यह हमारे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा, समाज की संवेदनशीलता और कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की गरिमा को स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है।

यह एक ऐसा क्षण है जब हम केवल कानून नहीं बना रहे, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आज का यह विधेयक हमारे राज्य के युवाओं, उनके माता-पिता और लाखों परिवारों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। पिछले सत्र में हमने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 2025 सदन में प्रस्तुत किया था। उस समय इस विधेयक पर सदन में व्यापक चर्चा में सदन के 29 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए थे। सभी विद्वान सदस्यों ने इस विधेयक को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए, कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने सुधार की बातें रखीं और कुछ ने शंकाए भी इसमें व्यक्त की थी।

माननीय सभापति महोदय, सभी विद्वान सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को भेजा गया था। उस समय हम सभी का एक ही उद्देश्य था कि हमारे विद्यार्थियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे एवं कोचिंग सेंटर्स भी अपनी सुविधाएं अनवरत जारी रख सकें।

प्रवर समिति में सभापति सहित कुल 15 विद्वान सदस्य शामिल किए गए थे। प्रवर समिति की कुल चार बैठकें हुई। समिति ने विधेयक का शब्दशः अध्ययन किया और अपनी

बैठकों में गहन विचार विमर्श किया। जिसमें सभी दलों के सदस्य थे। निर्दलीय सदस्य भी थे। शिक्षण संस्थाओं एवं कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर दो संशोधन प्रस्तावित किये।

Ans/rtm 15.40 2n 03.09.2025

माननीय सभापति महोदय जी, पहले संशोधन में कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिये न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 किया गया ताकि छोटे अस्थाई व असंगठित स्तर पर चलने वाले टयूशन सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा सके।

दूसरे संशोधन में अनियमितता के प्रावधान का उल्लंघन पाये जाने पर शास्ति को दो लाख से कम करके 50 हजार, द्वितीय बार में 5 लाख से कम करके 2 लाख एवं उसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने का प्रावधान किया। प्रवर समिति ने शास्ति की राशि को कुछ कम किया, ताकि संस्थानों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े और वह नियमों के भय से नहीं बल्कि सहयोग की भावना से नियमानुसार कार्य कर सके।

यह दोनों सुझाव केवल कानूनी सुझाव नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार संतुलन और न्याय में विश्वास करती है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना है, जिससे हमारे विद्यार्थी कोचिंग सुविधा के अभाव में, अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों की तुलना में पिछड़े नहीं तथा साथ ही कोचिंग संस्थाओं को भी अनावश्यक कठिनाइयां नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय जी, आज सदन में कुल 11 सदस्यों ने अपने सुझाव दिये और चर्चा में भाग लिया। डॉ. सुभाष गर्ग साहब, श्री हरिमोहन जी शर्मा, श्री शांति लाल जी धारीवाल, श्री हरीश जी चौधरी, श्री पूसाराम जी गोदारा, श्री मनोज कुमार जी (सादुलपुर), श्री रविन्द्र सिंह जी भाटी, श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित, श्री डूंगरराम जी गेदर, श्री मनोज कुमार जी (सुजानगढ़) और श्री रफीक खान जी, इन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि यह सदियों से शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है। यहां की माटी में महाराणा प्रताप जैसे महान वीर योद्धा ने जन्म लिया, जिनको वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिये जाना जाता है। यह वही धरती है जहां वीर दुर्गादास राठौड़ ने वीरता के साथ-साथ विद्वता का भी परिचय दिया। संत मीराबाई ने भक्ति के साथ-साथ काव्य और संगीत की अद्भुत परंपरा स्थापित की है। यह वही भूमि है जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चलती हैं। जहाँ एक ओर प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान का प्रसार हुआ, वहीं आज आधुनिक कोचिंग संस्थानों के माध्यम से लाखों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार

कर रहे हैं। आज के युग में कोटा ने इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है और एशिया की कोचिंग राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई। ...(व्यवधान)... कोटा आज केवल एक शहर नहीं है, यह हमारे लाखों बच्चों के सपनों का केंद्र है। यहाँ आईआईटी-जेईई, नीट, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों छात्र हर वर्ष आते हैं। यहां बिहार के छपरा से लेकर केरल के कोच्चि तक, असम के गुवाहाटी से लेकर गुजरात के सूरत तक, पूरे भारत से विद्यार्थी आते हैं। वह अपने साथ केवल किताबें और कॉपियां नहीं लाते, बल्कि अपने परिवार की पूरी उम्मीदें, माता-पिता के सपने, और अपने भविष्य की आकांक्षाएं लेकर आते हैं।

माननीय सभापति महोदय जी, इस कोचिंग उद्योग ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज कोटा में ही लगभग ढाई से तीन लाख विद्यार्थी हर साल आते हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हॉस्टल चलाने वाले, मेस चलाने वाले, किराना दुकानदार, स्टेशनरी विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालक, मकान मालिक, सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े व्यवसायी तक, सभी इस उद्योग से लाभान्वित होते हैं। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बन गया है।

माननीय सभापति महोदय जी, इस चमक-दमक के पीछे एक अंधेरा सच भी है जिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। पिछले चार वर्षों में राज्य में कुल 88 कोचिंग विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इनमें से कोटा में 70, सीकर में 14, और बाकी अन्य शहरों में थे। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, यह हमारी सामूहिक विफलता के प्रमाण हैं। जब एक विधार्थी जिसने अभी जिंदगी देखी ही नहीं है, जीवन से इतना निराश हो जाता है कि मृत्यु को गले लगा लेता है, तो यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 99/2016 में स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 जुलाई 2025 को इस मामले में सुनवाई की और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम बनाने के निर्देश दिए।

वर्ष 2017 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। अध्ययन के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी गंभीर मानसिक तनाव से गुजरते हैं। 40 प्रतिशत विद्यार्थी नींद की कमी और अवसाद से जूझते हैं। 30 प्रतिशत विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी न कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है। 25 प्रतिशत अभिभावक कर्ज के बोझ तले दबे हैं। यह आंकड़े हमें बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। यही कारण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। क्रिमिनल अपील याचिका संख्या 1425/2025 अमित कुमार बनाम भारत संघ में पारित निर्णय दिनांक 28 जुलाई 2025 में निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श

करने तथा निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया है। इसी प्रकार विशेष अनुमति याचिका संख्या 6378/2024 से उद्भूत क्रिमिनल अपील संख्या 3177/2025 में कुलदेव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने...

श्री हरीश चौधरी (बायतू): पढ़ने में तकलीफ हो रही है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): सभी विभागों विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह दो माह के भीतर सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के लिए कोचिंग विद्यार्थियों के हित में सुव्यवस्थित तंत्र और मानदंड तैयार करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। न्यायालय के आंकड़े दे रहा हूं। ...(व्यवधान)... आपको वह देखकर ही तो दूंगा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यह प्रोवीजन ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिये। आप विराजिये। शांति रखे। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): केंद्र सरकार ने भी इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए 16 जनवरी, 2024 को कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन की रूपरेखा तैयार की। ...(व्यवधान)... आप पहले सुनिये। मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये। इन सिद्धांतों में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि सरकार इन्हीं कानूनी ढांचे को स्थापित करें।

(समय:)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

हमारी सरकार ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 28 फरवरी 2024 को इन गाइड लाइन्स को अपनाया और अब इस विधेयक के माध्यम से इन्हें कानूनी रूप देने के लिए हम सभी आज चर्चा कर रहे है लेकिन आपकी सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज यहाँ यह चिंता व्यक्त की गई है कि यह विधेयक कोचिंग सेंटर्स पर अनावश्यक बोझ डालेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक कोचिंग सेंटर्स विरोधी नहीं है। जो संस्थान पहले से ही अच्छे मानदंडों का पालन कर रही हैं, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें लाभ होगा, क्योंकि अब सभी को समान मानदंडों का पालन करना होगा। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। गलत तरीक़ों से काम करने वाली संस्थानों अब बाजार से बाहर हो जाएंगी और ईमानदार संस्थानों को उनका सही स्थान मिलेगा। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि बाजार की शक्तियां स्वयं सब कुछ ठीक कर देंगी।

VPS-RTM-03.09.2025-15.50-2o

लेकिन हमने देखा है कि बाजार की अंधी शक्तियों ने क्या किया है। उन्होंने शिक्षा को पूर्णतः व्यापार बना दिया है।

विद्यार्थी ग्राहक बन गए हैं और ज्ञान एक वस्तु बन गया है। जब शिक्षा केवल लाभ कमाने का साधन बन जाती है तो वह अपना मूल उद्देश्य खो देती है इसलिए सरकार का हस्तक्षेप इसमें आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इस विषय को रखना चाहूंगा क्योंकि कोचिंग शिक्षा की समस्या केवल भारत की नहीं है। जापान में जुकू, दक्षिण कोरिया में हागवोन, चीन में बुक्सीबान जैसे नाम से यह व्यवस्था चलती है।

इन सभी देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। दक्षिण कोरिया ने रात दस बजे के बाद कोचिंग क्लासेज पर प्रतिबंध लगाने का भी काम किया।

चीन ने हाल ही में कोचिंग उद्योग पर व्यापक नियंत्रण लगाए हैं। ये देश समझ गए हैं कि बच्चों का बचपन और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है।

भारत के अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हरियाणा ने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2024 से लागू किया है।

मणिपुर में मणिपुर कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2017 से प्रभावी है। बिहार में 2010 से ही ऐसा कानून लागू है। उत्तर प्रदेश में 2002 से यह व्यवस्था चल रही है लेकिन राजस्थान का यह विधेयक सबसे व्यापक और संतुलित है क्योंकि यहां की स्थिति सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण है।

राजस्थान का मंडल इन सभी से अधिक संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक है। हम न तो कोचिंग सेंटर्स को कुचलना चाहते हैं और न ही बच्चों की आजादी छीनना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स ऐसे संस्कार केंद्र बने, जहां विद्यार्थी आत्मविश्वास, अनुशासन और सामाजिक मूल्य सीख सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की भावना के भी अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विकास की बात करती है, केवल परीक्षा में अंकों की बात नहीं करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटंत प्रणाली के स्थान पर समझ और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। यह विधेयक भी इसी दिशा में एक कदम है।

आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी लेकिन यह शिक्षा तनावमुक्त और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।

हमारे युवा यदि मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न नहीं होंगे तो वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे इसलिए यह विधेयक केवल नियंत्रण का नहीं बल्कि

सशक्तीकरण के साथ-साथ व्यक्ति निर्माण का भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजनलाल शर्माजी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्तियां करने, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने और अन्य आवश्यक विकास कार्यों के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

निजी विश्वविद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी शिक्षा विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं और शिकायत मिलने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जॉन एफ केनेडी ने कहा था कि यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो।

आज मैं इस सदन से और समाज के सभी वर्गों से यही अपील करता हूं कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 का नाम जितना तकनीकी प्रतीत हो रहा है, इसका महत्व उससे कहीं अधिक मानवीय, संवेदनशील और सामाजिक है। यह विधेयक उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जिसे हमने कोटा, सीकर जैसे शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले युवाओं की आंखों में देखा है।

यह उन माताओं की दुआओं की गूंज है जो हर दिन अपने बच्चों की सलामती के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करती हैं।

यह उन अभिभावकों के संघर्षो की दस्तावेजी स्वीकृति है जिन्होंने अपने खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनाने का सपना देखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह विधेयक इसलिए नहीं ला रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों को दंडित किया जाए। हम यह विधेयक इसलिए ला रहे हैं ताकि विद्यार्थी को सम्मान मिले ताकि शिक्षा संस्थान केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनकर न रह जाएं और माता-पिता को यह विश्वास हो कि उनके बच्चों को केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करवाई जा रही, उन्हें एक सशक्त नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार लाने के लिए इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

जैसे अब राज्य में कोई भी कोचिंग सेंटर बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। यह पंजीकरण केवल एक कागजी कार्यवाही नहीं होगी, बल्कि इसके तहत संस्थान

की शिक्षण पद्धति, शिक्षक की योग्यता, भवन की भौतिक संरचना, सुरक्षा के उपाय, आदि की विस्तृत जांच की जाएगी।

कोचिंग सेंटर्स में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या, जहां पहले 50 विद्यार्थियों वाले संस्थान विधेयक के अंतर्गत आते थे, अब यह संख्या 100 कर दी गई है। इसका उद्देश्य छोटे ट्यूशन सेंटर्स को अनावश्यक दायरे में लाना नहीं बल्कि बड़े कोचिंग हब्स को व्यवस्थित करना है जहां जोखिम सबसे अधिक है।

दंड का युक्तिसंगत निर्धारण करने के लिए पहले प्रस्तावित शास्ति राशि 5 लाख रुपए थी अब इसे घटाकर 2 लाख रुपए किया गया है साथ ही पहली बार उल्लंघन पर केवल पचास हजार की शास्ति रखी गई है।

राज्य स्तर पर कोचिंग प्राधिकरण की स्थापना के अंतर्गत राजस्थान कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के शासन सचिव करेंगे।

इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, पुलिस, वित्त, अभिभावकों, कोचिंग सेंटर एवं विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति का गठन करने के लिए हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त समिति होगी जो पंजीकरण, निरीक्षण, शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया संग्रह, परामर्श सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर मॉनिटरिंग का कार्य करेगी।

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए प्रत्येक संस्थान में प्रशिक्षित काउंसलर अनिवार्य होगा। यह केवल औपचारिकता नहीं होगी वरन विद्यार्थी सप्ताह में किसी भी दिन काउंसलर की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। तनाव प्रबंधन के सेशन आयोजित किए जाएंगे और माता-पिता से भी नियमित संवाद की व्यवस्था होगी। इस विधेयक के क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाएगा।

एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जहां सभी संस्थानों की जानकारी उपलब्ध होगी। ई-कंप्लेंट पोर्टल की सुविधा होगी, जहां विद्यार्थी और अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

नियमित निरीक्षण होंगे, लेकिन ये निरीक्षण सहयोग की भावना से होंगे, उत्पीड़न की भावना से नहीं होंगे। हम संस्थानों को सुधार के लिए समय और अवसर देंगे।

विद्यार्थी हर दिन, हर समय पर हेल्पलाइन नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, हर जिले में एक शिकायत समिति होगी जो अभिभावकों और विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी।

जब विद्यार्थियों को पारदर्शिता मिलेगी, जब अभिभावक को जानकारी सुलभ होगी और जब संस्थान जवाबदेह बनेंगे, तभी एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना संभव होगी।

हमारा लक्ष्य संस्थानों को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें और सक्षम, ईमानदार और

संवेदनशील बनाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का क्रियान्वयन केवल कानून के बल पर नहीं होगा बल्कि इसके लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है।

राज्य स्तर पर राजस्थान कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा।

कोचिंग सेंटर के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित वार्डन, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक लचीला है।

ssy/rtm/03.09.2025/16.00/2p

यदि भविष्य में भी अगर परिस्थितियां बदलती हैं, यदि नई चुनौतियां सामने आती हैं, तो इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। हम किसी कठोर ढांचे में नहीं बांधना चाहते। हमारा उद्देश्य समस्याओं का समाधान है, न कि नई समस्याएं खड़ी करना। सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ संवेदनशील सामाजिक और भावनात्मक पहलूओं को भी इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब एक बच्चा आत्महत्या करता है, वह केवल एक परिवार नहीं टूटता है, वह हमारे सामाजिक ताने-बाने में भी छेद कर देता है। यह हमारी चुप्पी, हमारी निष्क्रियता और हमारी संवेदनशीलता पर भी प्रश्न खड़ा करता है।

जब कोई पिता अपनी खून पसीने की कमाई से फीस भरता है, जब कोई मां अपने गहने बेचकर अपने बच्चे को कोचिंग कराती है, तो उसका सपना केवल नौकरी नहीं होता है, वह चाहती है कि उनका बच्चा सम्मानित, सुरक्षित और समर्थ नागरिक बने और जब कोई संस्थान असत्य बोलकर, लालच दिखाकर, इन सपनों को तोड़ता है, तो वह केवल आर्थिक रूप से ही धोखा नहीं देता, बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी अपराध करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शिक्षा सेवा हो, व्यापार नहीं हो। विद्यार्थी सशक्त नागरिक बनें, रैंकिंग मशीन नहीं बनें, अभिभावक केवल फीस देने वाले नहीं बनें और संस्थान जवाबदेह और सहयोगी बनें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो केवल पुस्तकों, पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की, नैतिकता की और उस सजग नागरिक की जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके।

शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा मनुष्य बनाना होना चाहिए जो सोच सके, समझ सके, और समाज को बेहतर बना सके। आज जब कोचिंग उद्योग अरबों रुपये का वाणिज्यिक ढांचा बन चुका है, तब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो, लेकिन गुणवत्ता और सेवा दोनों सुनिश्चित हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सबसे पहला और बड़ा दायित्व है कि हम अपने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करें। कोई भी छात्र केवल इस वजह से पीछे न रह जाए कि उसे सुरक्षित और पारदर्शी माहौल नहीं मिला। कोई भी अभिभावक केवल इस वजह से अपनी मेहनत की कमाई गंवा न बैठे कि किसी संस्थान ने असत्य दावा किया और कोई भी परिवार केवल इस वजह से आँसू न बहाए कि उसके बच्चे ने दबाव के कारण अपनी जान गंवा दी। यह विधेयक विद्यार्थियों को भय, दबाव और धोखे से मुक्त करने का प्रयास है।

श्री अध्यक्षः धीरे बोलें, मंत्री जी बोल रहे हैं। आवाज यहां तक आ रही है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई माँ-बाप अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर दूर कोचिंग के लिए भेजते हैं तो उनके मन में सैकड़ों चिंताएँ होती हैं। फीस का बोझ, सुरक्षा का डर और भविष्य की अनिश्चितता। इस विधेयक से अभिभावकों को भरोसा मिलेगा कि फीस में और सरकार उनके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माता-पिता को समझना होगा कि उनके बच्चे की खुशी उसकी रैंक से अधिक महत्वपूर्ण है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। वह समाज में एक रोजगार देने वाला भी बने। समाज में हर प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। एक अच्छा शिक्षक, एक कुशल कारीगर, एक ईमानदार व्यापारी, एक समर्पित कलाकार, एक प्रशासनिक अधिकारी ये सब समाज के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि डॉक्टर और इंजीनियर हैं। जो अभिभावक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए ही करते हैं उनको यह भी सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, वहीं जाकर के बोलें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कोचिंग संस्थान संचालकों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप केवल व्यवसायी नहीं बनें, आप राष्ट्र निर्माता हैं और आपके हाथों में देश का भविष्य है। जब कोई बच्चा आपके पास आता है तो वह केवल एक ग्राहक नहीं है, वह एक परिवार की उम्मीद है, राष्ट्र का भविष्य है। उसके साथ व्यावसायिक नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार करें। उसकी क्षमता को पहचानें, उसकी कमजोरियों को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें।

शिक्षकों से मेरी विनती है कि आप केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएं, जीवन की शिक्षा दें। विद्यार्थियों को केवल सवाल ही हल करना नहीं सिखाए, जीवन की समस्याओं से निपटना भी सिखाएं। उन्हें सफलता के साथ-साथ असफलताओं से निपटने की कला भी सिखाएं। याद रखिए कि आप केवल शिक्षक नहीं हैं, आप मार्गदर्शक हैं, मित्र हैं और कई बार माता-पिता की भूमिका में भी होते हैं।

विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आपके लिए है। यह आपको सुरक्षा देगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपको तनावमुक्त वातावरण में पढ़ने का अवसर देगा। लेकिन याद रखना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कड़ी मेहनत का कोई

विकल्प नहीं होता है। यह विधेयक आपको बेहतर माहौल देगा। हमारा राजस्थान हमेशा से प्रगतिशील राज्य रहा है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह विधेयक भी उसी परंपरा का हिस्सा है। हम देश को एक नया मॉडल दे रहे हैं। अन्य राज्य हमसे सीखेंगे। यह राजस्थान की एक और उपलब्धि होगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री जी, बहुत धन्यवाद।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैं प्रवर समिति के सभी सदस्यों को उनके समर्पित कार्य के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, वह प्रशंसनीय है। शास्ति राशि को युक्तिसंगत बनाना और न्यूनतम रजिस्ट्रेशन संख्या को 100 करना, ये दोनों निर्णय व्यावहारिक हैं। इससे विधेयक की स्वीकार्यता बढ़ेगी और इसका क्रियान्वयन आसान होगा। समिति ने कड़ी मेहनत की है, सभी पक्षों को सुना है और एक संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने दबाव के कारण अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। प्रत्येक खोया हुआ जीवन हमारी सामूहिक विफलता है। यह विधेयक उनकी स्मृति में है, ताकि भविष्य में कोई भी परिवार ऐसी त्रासदी से नहीं गुजरे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शिक्षा जीवन का उत्सव बने, आत्महत्या का कारण नहीं बने ।

अंत में, मैं इस सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। यह राजस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय होगा। यह हमारे विद्यार्थियों को नया जीवन देगा। यह अभिभावकों को राहत देगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित करेगा। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जहां शिक्षा सशक्तीकरण का माध्यम हो, जहाँ शोषण की कोई गुंजाइश नहीं हो। जहां विद्यार्थी खुशी से पढ़ें, दबाव में नहीं रहें। जहां सफलता का अर्थ केवल अंक नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। यह विधेयक उसी सपने को साकार करने का माध्यम है। यह विधेयक विद्यार्थियों के जीवन में नई रोशनी लायेगा। यह अभिभावकों को भरोसा देगा। यह ईमानदार संस्थानों को प्रोत्साहित करेगा और यह राजस्थान को नई पहचान देगा। जहाँ हर विद्यार्थी बिना डर, बिना दबाव और बिना निराशा के अपने सपनों को साकार कर सकेगा।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: विराजें। प्रश्न यह है, ध्यान से सुनना, प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 29 : कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 29 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 29 स्वीकार किये गये।

spp/rtm/03.09.2025/16.10/2q

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. प्रेमचन्द बैरवा प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण विनियमन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाए। ..(व्यवधान).. प्रस्ताव आ जाये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण विनियमन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः तीसरे वाचन में श्री टीकाराम जूली। आपका भी है। आपको बुलवाऊंगा। पहला नाम इनका आया है, फिर आपका है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। मैं तो सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। मंत्रीजी ने बहुत-सी बातें कहीं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनको रोकने के लिये, माता-पिता को कितना दुःख होता है और क्या-क्या सपने हैं, वे सब टूट जाते हैं। आपने काफी बातें कही हैं। पर आप जो बिल लेकर आये हो, यह बिल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप यह बिल अभिभावक और बच्चों के लिये नहीं लेकर आये, यह बिल आप कोचिंग संस्थाओं के लिये लेकर आये हो। आप उल्टा उनको और मजबूत करने का काम कर रहे हो। नहीं तो आप कारण बता दीजिये कि आपने उनकी पेनल्टी कम क्यों की? आप बताइये न। जो पेनल्टी आपने पहले 2 लाख

रखी थी, उसको 50 हजार कर दी और दूसरी बार जो 5 लाख रखी थी, उसको 2 लाख कर दी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इस समिति में आपकी पार्टी के सदस्य भी थे, उन्होंने यह महसूस किया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब आपका नंबर आये तब आप बोलना।

श्री अध्यक्ष: आप चाहो तो उत्तर दे देना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारी पार्टी से नाम नहीं लिया है आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, यानी कि समझ में नहीं आ रहा, आप बता दो कि कोचिंग वालों की पेनल्टी कम क्यों की? आपके पास कोई जवाब है तो बता दो। उनकी तो पेनल्टी बढ़ानी चाहिये थी, आपने बढ़ाने के बजाय कम कर दी। दूसरा, जो 50 की संख्या थी उसको 100 क्यों की? आपके पास जवाब नहीं है। 100 करने से हजारों कोचिंग संस्थान इस कानून के दायरे से बाहर हो गये, जो आप लेकर आ रहे हो। आपने उनको फायदा देने के लिये, आपने इस संख्या को 50 से 100 किया है। मैंने पिछली बार भी यह कहा था जब यह बिल आया था कि यहबिल कोचिंग संस्थाओं को फायदा देने की बात है। यह कोटा की बात नहीं है, यह मोटे माल की बात है, इसलिए यह सारा बिल चेंज किया जा रहा है। और तो और, आप बिल लेकर आते तो उसमें प्रावधान करते कि इन संस्थाओं को अलग करेंगे। भीड़-भाड़ का जो इलाका है, वहां से बच्चों को शिफ्ट किया जाये। वहां पर एक अच्छा माहौल दिया जाये। सुसाइड के आपने आंकड़े गिना दिये पिछले चार साल के। आप इस एक साल के आंकड़े बताओ न कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? इतिहास बना दिया। जितने बच्चे आज तक सुसाइड नहीं किये, उतने बच्चों ने इन पिछले छह महीनों में सुसाइड किया है। उस पर आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे।

और तो और, आप सुनिये, आपने नरेन्द्र मोदीजी के नियमों को मानने से मना कर दिया। भारत सरकार ने जो गाइड लाइन जारी की है, मोदीजी की सरकार, जिसको आप कहते हो, उसके खिलाफ भजनलाल जी सरकार नियम लेकर आयी है। सौ प्रतिशत लेकर आयी है, मैं आपको बताता हूं। जो बिल भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, उसके बिन्दु संख्या 8 के 3 और धारा-11 के दूसरे खण्ड में तीन नम्बर पर केन्द्र सरकार की जो गाइड लाइन में बिन्दु 6 (1)(c) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 वर्ष तक के बच्चे अर्थात् 10वीं तक के बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोचिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह भारत सरकार कह रही है और भारत सरकार किस बेस पर कह रही है, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत सरकार ने जो सर्वे करवाया है, गहन मंथन हुआ, जिसके अन्दर, Ministry of Legal Affairs, Department of Education and Literacy, Department of Training, Guidelines for Regulation of Coaching Centers, NCPCR, Psychologists and Counsellors and, Education Experts, जिसके अन्दर आई आई टी मद्रास, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लोगों के द्वारा सर्वे किया गया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा इस सम्बन्ध में चल रहे जो केस है, उनमें जो जवाब आपने पेश किये, उनके अन्दर जो

विवेचनाएं हुईं, उनके आधार पर, और यही नहीं स्टेक होल्डर्स की जो आपत्ति और जो जवाब दिये, उनकी जो विवेचना हुई और पब्लिक ओपिनियंस, इन सबके आधार पर यह तय किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जायेगी तो आपने प्रवर समिति में क्या किया? इस पर आपने चर्चा क्यों नहीं की? 16 वर्ष तक के बच्चों को क्यों लिया है? यह मैं पूछना चाहता हूं। आप कहते हो आर्थिक नुकसान, मैं सुन रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि 7 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है। होगी इंडस्ट्री, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के मासूम वहां पर सुसाइड करें, मरने को मजबूर हो जाएं और माता-पिता और अभिभावक अपने खून-पसीने की कमाई उसके अन्दर लगा दे और नतीजा क्या? नतीजा यह सरकार, क्या यही डबल इंजन है? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों का कोचिंग में भी नाम चल रहा है और उन्हीं बच्चों का नाम भी स्कूल के अन्दर चल रहा है। यानी वे बच्चे स्कूल के अन्दर भी हैं और कोचिंग के अन्दर भी हैं। 16 साल तक का बच्चा इस नियम में नहीं आयेगा तो फिर यह तो सब बाहर हो जायेंगे तो इसके लिये आप क्या कर रहे हो?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापस भेजिये और इनको डायरेक्शन दीजिये कि राजस्थान के और पूरे देश के बच्चे यहां पर आते हैं, वे सुसाइड नहीं करें और अभिभावकों की जेब नहीं कटे। उनके पक्ष में यह बिल होना चाहिये, न कि उनके खिलाफ यह बिल होना चाहिये। मैं इस बिल की घोर निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्षः तीसरे वाचन में आपमें से किसी का नाम नहीं आया, कोई बोलना चाहो तो नाम देदें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संयोग से मैं स्वयं इस प्रवर समिति का सदस्य भी हूं। जितनी चर्चाएं ...(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का भाषण बहुत बढ़िया था। काश दो साल पहले ऐसे सदविचार प्रकट करते तो ज्यादा भला हो जाता। ...(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सही मान लिया न आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दो न।

श्री अध्यक्षः आपके वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी चर्चाएं इस सदन में ...(व्यवधान).. बैठ जायें, नहीं बोलें।

श्री अध्यक्षः मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं कि आपके सदस्य बोल रहे हैं तीसरे वाचन पर, अभी एक बिल और है। आप पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी चर्चाएं, शंकाएं यहां इस सदन में व्यक्त की गयीं, उन सभी पर प्रवर समिति में विशद् चर्चा हुई। जितनी भी बातें माननीय वक्ताओं ने जो कही हैं, उनके बारे में बिन्दुवार खण्डश: भी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदित करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूं, उसमें मिश्रित है, शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। कुछ ही वर्षों पूर्व जब मैं वहां पर था तो मैं यह देखता था कि ग्रामीण अंचल में मात्र सेना में भर्ती होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और शहरी क्षेत्र में मात्र सुदूर प्रवासी राजस्थानियों के साथ जाकर वहां पर प्राइवेट नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो व्यक्ति समर्थ थे, जिनकी अार्थिक स्थिति सम्पन्न थी, वे व्यक्ति या तो दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिये, कोचिंग के लिये या फिर जयपुर आते थे। सरकारी नौकरियों में उन ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चों का कोई स्थान नहीं था। न शहर में था, न ग्रामीण में था। अब सवाल यह उठता है कि ये बिल आखिर आया क्यों? इसके पीछे जो मोटी अवधारणा थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यह थी कि सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित था, भारत सरकार भी चिंतित हुई। पर मैं समझता हूं आम आदमी जो भी इस बात को सुनता था कि फलां जगह सुसाइड हुआ है वह इस बात से निश्चित रूप से चिंतित था। लेकिन क्या हम एकमात्र यही कारण मान लें कि कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी ही सुसाइड कर रहा है?

jyg/rtm/03.09.25/16.20/3a

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे सामाजिक परिवेश की बड़ी चिंता है। जब से हमने अपने आप को एकाकी माहौल में ढाल लिया, जब से परिवार संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार बनने लगे हैं, आज आप स्वयं महसूस करते होंगे, बहुत जगह आपने देखा भी होगा, एक परिवार में यदि चार व्यक्ति हैं, चार बेटे हैं या चार पिता-पुत्र हैं, जो भी हैं, उनके सबके अलग-अलग टीवी है, चार व्यक्ति बैठे रहते हैं तो चारों अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, आपस में संवाद खत्म हो गया है। संवाद न होना ही एकमात्र अवसाद का मैं कारण मानता हूं, आदमी जब आपस में चर्चा करता है, संवाद करता है, आपस में अपनी बात कहकर अपनी पीड़ाएं और अपनी खुशियां एक दूसरे से जाहिर करता है लेकिन जब संवाद ही नहीं है तो न तो अपनी चिंताएं किसी के सामने अभिव्यक्त कर पाता है और न ही खुशियां किसी के सामने इजहार कर पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसाद के कई कारण हैं, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग के संस्थापक हैं वो ही इसका एकमात्र कारण है और वो बच्चों पर इतना दबाव बना देते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या उन अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है, क्या अभिभावक अपने बच्चे को उसकी सीमाओं से, उसकी योग्यताओं से परे जाकर यह उम्मीद नहीं करते कि मेरा बच्चा तो आईएएस ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनना चाहिए। जब उसमें

क्षमता ही नहीं है, जब उसके पाँव इतना वज़न सहने के योग्य ही नहीं हैं तो वो कैसे इस बात को कर पायेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यह कहना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, मैं इस बात को यूं मानकर चलता हूं, अपने अनुभव के आधार पर भी मानता हूं, इसमें सारी चीजें समाहित हैं। सदन में जब हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद जब प्रवर समिति में बात आयी कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, विशद रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी समय-समय पर साइकॉलोजिस्ट को भेजकर वहां पर भी बच्चों की काउंसलिंग की जाये। बच्चे का जब एडमिशन हो तो उसकी काउंसलिंग हो कि उसकी क्षमता है कि नहीं है। ये सारी चर्चाएं तब भी हुई थीं, अब चर्चा यह आयी कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी यह कहा कि 16 साल का क्यों किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि भारत सरकार की गाइड लाइन कुछ भी हो सकती है लेकिन मेरा मानना यह है किजिस बच्चे को राजस्थान में आप 14 साल के बच्चे को यदि आप यहां यह कहकर निरुत्साहित कर देंगे कि तुम 14 साल के हो, यहां पर नहीं पढ़ सकते, बाकी स्टेट में 14 साल ही है, जब बाकी स्टेट में 16 साल नहीं है तो बच्चा वहां जाकर अपनी कोचिंग पूरी करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन गरीब परिवारों के बच्चे जो अच्छी कोचिंग और अच्छी इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ पाते थे, वो बच्चे जो बहुत अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स से पढ़कर आते थे, कॉम्पिटिशन में वो बच्चे पिछड़ जाते थे, क्योंकि उनको वैसा माहौल नहीं मिलता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सीकर के ग्रामीण अंचल से आईएएस में, आईपीएस में, आरएएस में, आरपीएस में और बड़ी-बड़ी सर्विसेज में शहर के और ग्रामीण अंचल के बच्चे सलेक्ट हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि कुछ चंद बच्चे जो आईआईटी करके आये थे या जिन्होंने कोई इंजीनियरिंग की थी, जिन्होंने एमएससी की थी, कुछ चंद बच्चों ने आकर सीकर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की, मैंने बीजारोपण स्वयं अपनी आंखों से देखा है। पिछले इन 20 वर्षों में वो बीजारोपण, जो एक साधारण-सा बीज था आज वट वक्ष बन गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर की रेवेन्यू कम से कम 30 परसेंट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से चलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को सपोर्ट कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उन गरीब परिवारों के बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूं जो पैसे के अभाव में दिल्ली और जयपुर नहीं जा सकते, वो बच्चे सीकर आकर, सीकर आने का मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, जो आदमी यहां पर यह कह रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का माहौल ठीक नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जगह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सीकर का वातावरण देखने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। सीकर का आप देखेंगे, वो जगह, वो स्थान आप देखकर दंग रह जायेंगे, हम सीकर में हैं, राजस्थान में है या विदेश में है। मेरा आपसे यही निवेदन है, हमने प्रवर समिति में भी यह चर्चा की थी कि कि जब रूल्स फ्रेम होंगे तो हम इसमें और भी ज्यादा सख्ती बरतेंगे, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कूलों के इर्द-गिर्द का जो वातावरण आप देखते हैं, खासतौर से ड्रग्स के कारण बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। हमको सख्ती से इसकी पालना करनी चाहिए, इस पर लगातार मीटिंग होनी चाहिए, डीजी स्तर पर और आईएएस और आईपीएस स्तर पर, कि कैसे भी हम उस वातावरण को जो पर्टिकूलर कैम्पस है आपका एजुकेशन का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वहां पर ड्रग्स का माफिया जो पनप रहा है और भारी मात्रा में पनप रहा है, वो कोटा में भी पनप रहा था और वो सीकर में भी पनप रहा है, इस पर हम कैसे अंकुश लगायें।

श्री अध्यक्ष: आ गया आपका, आप वरिष्ठ हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): परिवार की खुद की भी हम काउंसलिंग करें, पैरेंट्स की भी काउंसलिंग हो कि आपका बच्चा इतना सक्षम नहीं है, आप इसको क्यों बेवजह इसमें धकेल रहे हो, ये सारी बातें एक साथ समाहित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आने के बाद में सीकर की जो ग्रोथ हुई है, वो अकल्पनीय है, ये कहना कतई निराधार मानता हूं मैं, हमारी प्रवर समिति की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में स्कूल वालों को भी बुलाया गया था, कोचिंग वालों को भी बुलाया गया था, स्कूल वालों और कोचिंग वालों के बीच में बड़ा भारी क्लेश हुआ है तो यह प्रचार का माध्यम बना दिया गया, यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से यह राजस्थान बर्बाद हो रहा है, इसका नाम पोचिंग भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री थावर चन्द।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह भी कहा गया कि विदेशी फण्ड आ रहा है। ये सारी बातें निर्मूल है। मेहरबानी करके इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद मत करिये। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बातें रखीं, पारीक साहब ने उसका बहुत ही बखूबी विवरण करके अनुभव की गयी बातों से जवाब दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैंने अपनी बात रखी, प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी। मेरे मन की जो पीड़ा थी, चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को

मैंने अपनी आंखों से देखा है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने बिलकुल सही फरमाया है। आपने अनुभव के आधार पर कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको दस-बारह मिनट हो गये हैं, ...(व्यवधान)... माननीय वरिष्ठ सदस्य, पारीक साहब। ...(व्यवधान)... आप बोलिये थावर चन्द जी।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर मिला। चूंकि मैं नौजवान हूं, मैंने बेरोजगारी की पीड़ा देखी है और बेरोजगारी की पीड़ा सही है। एक बेरोजगार और सबसे बड़ी बात मैं दक्षिणी राजस्थान की उस इलाके से आता हूं जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और आंखों में अगर सपने हों बड़ा कुछ करने का तो कोचिंग के बारे में किस तरीके का सोच सकता हूं। जो बिल आया है उस बिल को मैंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद में मैं अपनी गहरी आपत्तियां और आलोचनाएं दर्ज कराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर पूर्व के सदस्यों ने कहा था, उम्र की सीमा के बारे में, एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, दूसरी तरफ केन्द्र की सरकार की बात इसमें लागू नहीं करने की बात करते हैं। जहां पर केन्द्र की सरकार कहती है कि 16 साल से कम आयु का बच्चा होगा उसको कोचिंग सेंटर में पढ़ाया नहीं जायेगा, दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार के अन्दर 14 से 15 वर्ष के बच्चे को भी कोचिंग में दाखिला करवाया जायेगा। ऐसे बच्चे जो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं वो भी अगर कोचिंग में जायेंगे तो उन पर मानसिक दबाव कितना हो सकता है, यह सोचने और विचार करने की बात है। दूसरी ओर जहां पर जुर्माने की बात थी, तो जुर्माने का पिछले ड्राफ्ट में उल्लेख था कि 2 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जायेगा लेकिन इस बिल में, संशोधित बिल में इसे घटाकर 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया। प्रश्न यह है कि इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कोटा में हैं, जो सालाना 60 हजार करोड़ रुपये कमाते हैं वो 50 हजार रुपये जुर्माना आसानी से दे पायेंगे कि नहीं दे पायेंगे? सवाल यह है जो छूट के प्रावधान थे, पहले 50 से अधिक छात्र वाले कोचिंग संस्थान पंजीकरण के दायरे में थे, अब 100 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान पंजीकरण के दायरे में आ गये हैं। इसका सीधा मतलब है कि छोटे-छोटे कोचिंग सेंटर जहां नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है वो पूरी तरह से कानून से बाहर हो जायेंगे और राज्य सरकार इन कोचिंग संस्थानों से मिलकर बड़ी ही चालाकी से बड़े और छोटे कोचिंग संस्थानों से 100 से कम छात्रों का पंजीकरण करवाया। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) सर, सबसे लास्ट में तो बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सर, मैं आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी विधायक हूं, मेरे साथ हर बार अन्याय होता है, मुझे हर बार लास्ट में बोलने का मौका दिया जाता है, समय का भी मुझे पाबंद किया जाता है, यह नहीं हो सकता सर।

राजस्थान हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जब तक राज्य का बिल कानून नहीं बनता तब तक केन्द्र की गाइडलाइन लागू नहीं की जाये। इन गाइडलाइन में न्यूनतम आयु, बायोमीट्रिक उपस्थिति, अवकाश के नियम शामिल थे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार ने खुद ने उम्र सीमा हटा दी है, बायोमीट्रिक और छुट्टी जैसे प्रावधान गायब कर दिये। क्या यह सीधे-सीधे हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना नहीं है? छात्र आत्महत्या और मानसिक स्थिति, जो कोटा और अन्य शहरों में छात्रों की आत्महत्याएं हो रही हैं, केन्द्र की तुलना में इस बिल के मामले में केन्द्र 16 वर्ष से कम आयु पर रोक लगा रहा है और आप राजस्थान में यह सीमा हटा रहे हैं। केन्द्र बायोमीट्रिक उपस्थिति और छुट्टियां अनिवार्य कर रहा है और राजस्थान इन प्रावधानों को बाहर कर रहा है। केन्द्र विकलांग छात्रों और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है और राजस्थान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि जहां केन्द्र ने सुरक्षा, समानता और कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाया था वहां राजस्थान का संशोधन बिल उलटे रास्ते पर जा रहा है। यह बिल छात्र हितैषी नहीं बल्कि कोचिंग उद्योग हितैषी बिल है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन बिल को पुनर्विचार हेतु भेजा जाये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय के अन्दर जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग सेंटर पर नहीं लगाये जायें।

MLS/RTM/03.09.2025/16:30/3b

मैं एक और विशेष बात कहना चाहूंगा कि मैं दक्षिणी राजस्थान से आता हूं। मैंने बेरोजगारी की पीड़ा देखी है। कांग्रेस की सरकार में जब पेपर लीक हुआ था, उस समय मैं भी शिक्षक बन जाता, लेकिन लीक हो गया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि एसआई भर्ती का पेपर रद्द हुआ। वह रद्द होने के बाद बेईमानों की फौज में ईमानदार मारा गया। दोनों सरकारों ने बयान दिये कि चोरों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, आरपीएससी को बैन करेंगे, लेकिन आज वे चोर और मगरमच्छ तो उनकी बगल में, उनके बंगलों में, उनके ऑफिसों में घूम रहे हैं। आज इस वजह से ईमानदार मारा गया। हमारे जैसे लोग 5-5 साल तक महंगी फीस जुटाकर कोचिंगों में आते हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, अंकित नहीं होगा। श्री मुकेश भाकर।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री अध्यक्ष: 4 मिनट तय कर दिये हैं।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल प्रवर समिति के पास गया, चर्चा हुई और उसके बाद दुबारा आज सदन में रखा गया है। बिल सरकार लायी, खुद ने ही बैक किया, आज वापस से सरकार इस बिल को लेकर आयी है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ नहीं आता कि इस बिल में राजस्थान की सरकार अभिभावकों को, बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है या उन कोचिंग माफियाओं को प्रोटेक्ट कर रही है? आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जैसा नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बोला, क्यों आपने जो उन पर फाइन था, उसको घटाकर कम किया? क्यों आप उसे 50 से 100 की संख्या पर ले गये?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय इस पर बोल रहे थे कि ये कोचिंग उद्योग, इस राजस्थान में हम बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, अगर हम इसे उद्योग की संज्ञा देंगे तो वहां तो मशीन की तरह काम होगा। आप यह बिल लेकर आये कि बच्चों की आत्महत्याएं कैसे रोक सकते हैं, लेकिन जिस बिल को कठोर करना चाहिये था, उस बिल को लचीला करके सरकार लायी है। इसका कारण मुझे समझ नहीं आता कि जिस आत्महत्या की बात को आप लोग फैलाकर पूरे राजस्थान में, कोटा में जिस तरह से बच्चों ने आत्महत्याएं कीं और कोचिंगों में जो आत्महत्याएं हुईं, उससे इस राजस्थान को नुकसान हुआ। हमारी जो छवि थी, वह खराब हुई, लेकिन आपने प्रचार-प्रसार तो ऐसा किया कि हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, हम बच्चों को, अभिभावकों को एक अच्छा माहौल देंगे, लेकिन यह बिल कहीं भी यह नहीं दर्शाता। यह बिल सिर्फ यह दर्शाता है कि यह सरकार कोचिंग माफियाओं की वकालत इस सदन में कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में लिखना चाहिये था कि जो आज कोचिंग्स के आस-पास नशा फैल रहा है, माननीय मंत्री जी, कोचिंग्स के आस-पास बच्चों में, स्कूलों में जिस तरीके से नशा फैल रहा है, सूखा नशा फैल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर आप जो ड्रग माफिया है, उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही, कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान करें। तब जाकर उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज यह बिल इस सदन में आपने रखा है, मुझ से पूर्व मनोज मेघवाल जी ने भी बोला कि आप जिस समुदाय से आते हैं, जो गरीब तबका है, जिसकी आय नहीं है, उसको आप इस बिल में यह व्यवस्था देते कि उन बच्चों को सरकार फ्री कोचिंग देगी, जिससे वे अपना भविष्य बना सकें।

अध्यक्ष महोदय, आज जितनी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, उससे ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग्स पूरे इस राजस्थान में फैली हुई हैं। ऑफलाइन 2 हजार, ऑनलाइन 60 लाख बच्चे। आप यह व्यवस्था करें कि जिनकी आय कम है, जो गरीब बच्चा है, उसे सरकार अच्छे से अच्छे प्रोफेसर के नोट्स उपलब्ध करायेगी। आप यह लेकर आएं कि जो कोचिंग्स मनमानी फीस वसूल कर रही हैं, आरटीई की तरह उन कोचिंग्स में भी जिन बच्चों की फीस देने की क्षमता नहीं है, उनका एडमिशन भी सरकार करवायेगी। यह व्यवस्था आपको लेकर आनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्षः श्री हरीश चौधरी।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 मिनट हैं, मेरा 1 मिनट का और समय है। जो कोचिंग्स पेपर लीक में शामिल हैं, उन पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है, इसका प्रावधान आज आपने इसमें नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, पहले तो राजीव गांधी

स्कॉलरशिप का नाम बदलकर आपने विवेकानन्द स्कॉलरशिप कर दिया। वे बच्चे जो स्कॉलरशिप के भरोसे विदेश में पढ़ने चले गये, वे पूछ रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कोचिंग का विषय है। मुद्दे से मत भटको। यह मुद्दा कोचिंग का है। शिक्षा पर बहस नहीं है। इनका अंकित नहीं।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): 000

श्री अध्यक्षः कोचिंग से सम्बन्धित बात करें। श्री हरीश चौधरी। दो मिनट हैं आपके पास।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी कुतर्क से राजस्थान के भविष्य को कुचलने से बड़ा जुल्म और कुछ नहीं हो सकता है। यह कुतर्क कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ सुसाइड रोकने के लिए लाया जा रहा है, आप कितने भी खुश हो जाएं, पर राजस्थान में खुशहाली नहीं आ रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कितनी भी मेजें थपथपा लें, किसी पक्ष और विपक्ष से इसकी ताईद करवा लें, यह जुल्म जो हम लोग कर रहे हैं, गलत परीक्षा प्रणाली को हम किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी तर्क से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कोचिंग क्लासेज को संरक्षण देकर।

जो हमारी मूल गलती है, भूल है, यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, एक शब्द भी प्रदेश की सरकार ने नहीं कहा। यह इनकी गलती नहीं है। जो लिखकर आया है और कौन सी ताकतों ने किन से लिखवाया है, आज पूरा प्रदेश देख रहा है। अपने आप स्वयं से एक लाइन भी नहीं बोली। मंत्री जी, कम से कम आप तो उसी परिवेश से आ रहे हैं, साढ़े 7 हजार करोड़ हम लोगों की जेब से डाका डाल रहे हैं। साढ़े 7 हजार करोड़ किन से? गरीब लोगों से, सामान्य किसान से, गांव वालों से आ रहे हैं और इसका महिमामण्डन किया जा रहा है, इनको संरक्षण देने के लिए तर्क लाये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जिस आधार पर हम प्रदेश में यह जुल्म कर रहे हैं, कम से कम उस भूल को हम लोग स्वीकार करें और प्रयास करें कि भूल में कैसे सुधार हो सकता है। एकदम कोई क्रान्ति नहीं आयेगी, पर हम उस बात को नजरअन्दाज नहीं करें। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आपके पास बहुमत है, बहुमत से राजस्थान को नहीं कुचलें। बहुमत से राजस्थान को संरक्षण दें, राजस्थान को आगे बढ़ाएं। ताकत है, साढ़े 7 हजार करोड़ की जो हमारी जेब में डाका डालकर उस ताकत का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। उन लोगों को संरक्षण दें, संरक्षण दें, संरक्षण दें।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस का अन्तःकलह बिलकुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विराजें। ...(व्यवधान)... आपस में बहस नहीं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं, अंकित नहीं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 14)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2025 से बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2025 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

शुक्रवार, दिनांक 05 सितम्बर 2025 शनिवार, दिनांक 06 सितम्बर 2025 रविवार, दिनांक 07 सितम्बर 2025	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 08 सितम्बर, 2025	1. राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 2. राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 - पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2025	राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2025	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण।

Mkd/Rtm/03.09.2025/16.40/3c

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

विचारार्थ प्रस्तावित विधेयकों पर माननीय सदस्यगण निर्धारित समयावधि में संशोधन प्रस्तुत करें

अगला विधेयक मैं पुकारूं, उससे पहले आप सब लोगों से आग्रह है कि आज ये जो विधेयक रखे गये हैं, उन पर जिनको संशोधन देना है, वे अन्त तक कहते रहते हैं कि टाइम बढाओ। इसका 48 घंटे का समय होता है। आज जाने से पहले भी आप लोग दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और इन छुट्टियों के दौरान भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, यहां पर भेज सकते हो। ताकि, समय पर सबके संशोधनों पर विचार किया जाए। जिनको लगता है, ऑनलाइन नहीं तो आप किसी के द्वारा यहां पर डलवा दो। जहां पर जिनको संशोधन देने हैं, दे दें। बाद में आते हैं, मेरा नाम पुकारो। थर्ड रीडिंग में तो एक या दो को कोई प्रमुख विषय रह गया हो, वह आये। आपकी प्रवर समिति की बैठक हुई है। सारे दलों के लोग उसमें रहते हैं, सारे विचार आ जाते हैं, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ कहने को है, फिर भी कोई रह गया है, आप लोग जरूर विचार रखें, लेकिन पहले संशोधन दे दें, ताकि मुझे भी नाम पुकार कर अवसर देने का मौका मिले। बाद में जब खंड तीन के पारण पर होता है, तब तो एक या दो व्यक्ति बोलें, यहां तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच के नाम आते हैं तो ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए, मेरा आग्रह है कि अब जो चारों बिल इन्होंने सलाहकार समिति ने रखे हैं, उस पर संशोधन सही समय पर हम लोग देकर के जाएं।

श्री गजेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

हालांकि, यह जो आर्डिनेंस आया था, उसको लेकर के एक्ट में प्रोविजन करने का प्रावधान है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि, STATEMENT OF OBJECTS AND

REASONS दे रखा है- "There are immense opportunities for medical tourism to grow in the State of Rajasthan. In the present scenario, a need is being felt for such a medical institute which would pioneer medical advancements and will become a centre of excellence for medical education, research, and patient care in the State of Rajasthan. For this reason, Chief Minister made an announcement that an Institute namely, the Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) shall be established on the pattern of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi in order to give new dimensions to super specialty medical treatment in Rajasthan State." यह जो मैन पर्पज है, इसके बाद आपने दिया है कि इसके तहत कोई मेडिकल कॉलेज है, जो कांस्टीट्यूएंट कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी का, सरकार को, यह अधिकार आपने लिया है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दिया जाए। यही है मंत्री जी, यही प्रोविजन है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर जितने भी आईआईटीज, एम्स और जितने भी आईआईएमज हैं, इनकी भी आपने स्टडी की होगी। आप खुद बहुत क्वालिफाइड मंत्री हैं। आप उसकी स्टडी करिये तो कहीं पर भी पुराने इंस्टीट्यूट को, पुरानी यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करके रिम्स या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं बनाया गया। एक नया सेटअप तैयार किया गया। उसमें नई एनर्जी दी गई, नये फंड्स दिये गये। अब सरकार क्या कर रही है कि इसके माध्यम से यह करेगी केवल और केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को रिम्स पढ़ा जाए। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पढ़ा जाए। उसके तहत आपने जो दूसरा बिल आज रखा है, उसमें आप प्रोविजन कर रहे हो कि सारी जो प्रोपर्टीज हैं, स्टेट फंड्स हैं या जो भी उसमें फैकल्टी है, स्क्रीनिंग के माध्यम से आप ले लेंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी आरयूएचएस की जो चीज है, वह कंवर्ट होकर रिम्स हो जायेगा, नम्बर वन।

मैं नहीं समझता कि इससे बहुत ज्यादा आपका जो पर्पज है, जो वास्तव में सरकार चाहती है मेडिकल टूरिज्म के रूप में डवलप करना चाहती है, वह सम्भव नहीं हो पायेगा।

दूसरी चीज, मैं कहना चाहूंगा इसके तहत रिम्स की जो बात कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप एम्स की बात करो। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खोला गया, वहां जो सलेक्शन का प्रोसीजर है, उसको देखें। वह केवल कांस्टीट्यूएंट कॉलेज या अपने कॉलेज को ही डिग्री दे सकती है। अब आरयूएचएस का क्या होगा?

माननीय मंत्री जी, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आरयूएचएस से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, क्या रिम्स से भी कॉलेज एफिलिएटेड रहेंगे? जैसे मेडिकल कॉलेज, भरतपुर है या एसएमएस मेडिकल कॉलेज है या जालोर का कॉलेज है या डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेजेज हैं, वे रिम्स से एफिलिएटेड रहेंगे या नहीं रहेंगे। जितनी मुझे जानकारी है जनरली जो इंस्टीट्यूट

बने, राज्य प्रपोज्ड जो सरकार का दृष्टिकोण है और जो परिकल्पना आपने की होगी, वह एक तरह से गवर्नमेंट का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होगा। जिसको पूरी स्वायत्तता होगी, लेकिन पूरी तरह फंडेड गवर्नमेंट करेगी। जैसा कि एम्स को सेन्ट्रल गवर्नमेंट करती है, उसी तरीके से रिम्स को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान करेगी, लेकिन उसका जो स्टेट्स होगा, वह एक तरह से ऑटोनॉमी होगा। उसमें पूरे के पूरे प्रोफेशनल लोगों का रिप्रजेंटेशन होगा। मैं पढ़ रहा था, बाय द वे आपने बिल प्रस्तुत कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगेन अगर एम्स की बात करें तो वहां गवर्निंग काउंसिल का जो प्रेसीडेंट होता है, वह कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर नहीं है। यहां हम अगेन, मंत्री जी इसको आप ध्यान रखियेगा, हम चीफ सेक्रेटरी को गवर्नमेंट काउंसिल का फिर अगेन प्रेसीडेंट बना रहे हैं तो सारा का सारा पता नहीं कैसे यह होगा। आज भी जो आईआईटीज, एम्स, आईआईएमज डवलप हुए थे, वे इसलिए हुए थे, सरकार नोमिनेट करती थी, लेकिन सरकार इंडिपेंडेंट लोगों को, जो इंडस्ट्रीज में एक्सपर्टाइज हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, उनको गवर्निंग काउंसिल में रखती थी। यहां बाय एक्स ऑफिसो, जो रखे जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब ये ही करना था तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। केवल लिख दिया जाता कि आरयूएचएस का नाम बदलकर के हम रिम्स कर रहे हैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर रहे हैं, प्रोब्लम ही सॉल्व हो जाती तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, उस पर चर्चा तो हम 08 तारीख को करेंगे, जो प्रपोज्ड बिल है, जो आपने आज पुर:स्थापित किया है।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्योंकि इसमें ज्यादा स्कोप है नहीं कहने के लिए। लेकिन, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, पढ़े-लिखे हैं, अच्छे पढ़े-लिखे हैं, अजमेर के कॉलेज से पढ़े हुए हैं और संवेदनशील हैं।

श्री सभापतिः विराजिये, साहब।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अभी मंत्री जी से बात कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस बिल को, जो सैकंड बिल ला रहे हो, उसको आप थोड़ा से देखें। आपने देखा होगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने देखा नहीं होगा।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): लेकिन आप थोड़ा-सा इसको देखिये।

श्री सभापतिः साहब, आप विराजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): जो पर्पज है, मेडिकल टूरिज्म का, मेडिकल प्रोफेशनलिज्म का, एक्सपर्टाइज का, उसको सम्भवतः नहीं कर पायेंगे, पोसिबल नहीं कर पायेंगे। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइसेंज (अमेंडमेंट) बिल, जिसका आपने आर्डिनेंस निकाला, वह लेकर के आप आये हैं। ऑर्डिनेंस आपने इसलिए

निकाला कि तत्काल प्रभाव से कुछ ऐसी चीजें माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था और जिस किस्म से वे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना लाना चाहते थे तो यह आपने जुलाई, 2025 में निकाला।

मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि जुलाई, 2025 से आज तक इस ऑर्डिनेंस की पावर जो सरकार ने ली, उस पावर के अन्तर्गत क्या कौन-से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेज हैं, कौन सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें किसी का भी आपने इस ऑर्डिनेंस के तहत दी गई पावर के तहत आपने उसको काम में लिया है, उसका आपने क्या उपयोग किया। उपयोग की इतनी जल्दी नहीं थी, कोई करना नहीं था तो फिर ऑर्डिनेंस निकालना आपका न तर्कसंगत था और न प्रभावी था। इसलिए, मेरा निवेदन है कि सीधा जब अपना सत्र चलने वाला था तो आपको सीधे बिल लाकर के ही उसमें अमेंडमेंट का करना चाहिए था। ऑर्डिनेंस निकाला, वह गलत निकाला और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

Bhs/Rtm/03.09.25/16.50/3d

दूसरा मेरा निवेदन है कि किसी जमाने में अपने राजस्थान में किसी भी प्रकार की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी। न मेडिकल की थी, न इंजीनियरिंग की थी और सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दक्षिण में थीं। तमिलनाडु में थीं, बंगलौर में थीं, आन्ध्र में थीं और हम इतने पिछड़ गये उस समय तब जाकर के राजस्थान सरकार ने यह कंसेप्ट एडॉप्ट किया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी इस प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश किया जाये, नहीं तो हम और पिछड़ जायेंगे, उस दृष्टिकोण से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमने राजस्थान में बनायीं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने के बाद उन यूनिवर्सिटीज को इस अमेन्डमेन्ट के माध्यम से आप अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो प्रतिभाएं हैं उनमें बाधा डालेगा। आप अपने हिसाब से सब कुछ काम करें।

मान्यवर, आप सुधार करें, ट्यूरिज्म के हिसाब से करें, मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उस हिसाब से करें, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर.जी.एच.एस. जो पूर्ववर्ती सरकार ने पेन्शनर्स के लिए और सबके लिए चालू की थी, आज प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, आज भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हम जैसे सभी लोगों को भी दवाइयां यहां से लेनी पड़ती हैं, हर जिले में दवाई देना बन्द है तो कम से कम जो पहले से ही जो सुविधा है उस पर तो आप ध्यान केन्द्रित करें। अस्पताल इलाज करने से मना कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आपने उन दुकानदारों का भुगतान किया नहीं, दवाइयां नहीं दे रहे हैं और कम से कम इसका तो सुधार करें।

श्री सभापति: संशोधन पर।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मुझे भरोसा है कि आप इन समस्याओं का समाधान करेंगे और आगे आने वाले समय में जो भी आपने दूसरा रिम्स के लिए जो एक्ट है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपने आर्डिनेंस निकाला, उसकी जरूरत नहीं थी, दुरुपयोग

किया अपनी पॉवर का, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री शान्ती धारीवाल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, यह जो आर.यू.एच.एस. का बिल आया है, यह मोटे तौर पर आर.यू.एच.एस. कॉलेज के मेडिकल साइंसेज और सरकार रिम्स के बतौर उसको विकसित करना चाहती है शायद ऐसा इरादा है। आर.यू.एच.एस. यूनिवर्सिटी के उस एक्ट में परिवर्तन करके सरकार अपना अधिकार लेना चाहती है ताकि उसके साथ जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज हैं और आपका डेन्टल कॉलेज है और दूसरे जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज के बतौर वो लेना चाहती है। आर.यू.एच.एस. का काम क्या रहेगा, यह कहीं पर भी आपने नहीं बताया कि यह आर.यू.एच.एस. करेगा क्या या आर.यू.एच.एस. को भी रिम्स में डाल दिया जायेगा? तो वाइंड अप कर रहे हो इसको। इस इंस्टिट्यूशन को जिसको कि आज से दस साल पहले खड़ा किया गया और उसको मजबूत किया गया आज उसको यह तो नहीं कि रिम्स के लिए आप अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और इसको भी उसमें आप डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास में वर्तमान में दो ही कॉलेज हैं दोनों के दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हो जायेंगे संशोधन के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज बना देंगे और सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी को तो लेंगे, अब यह काम क्या करेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी काम करेगी, क्या सारे मेडिकल कॉलेजेज के एक्जामिनेशंस वगैरह रिम्स लेगी, जो आर.यू.एच.एस. करती थी? आर.यू.एच.एस. को उसमें डालने से क्या परीक्षाएं वगैरह लेने का काम भी सारा का सारा रिम्स को सौंप देंगे आप? तो वो उसी में उलझ कर रह जायेंगे।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी आपको आयेगी कि जब यह आर.यू.एच.एस. का गठन किया गया था और इसमें जो भर्ती की गयी थी कर्मचारियों की और अधिकारियों की सबकी, उनको बाकायदा नियमों के तहत उनके इंटरव्यूज लेकर के परीक्षाएं लेकर के वहां पर नियुक्त किया गया था। अब आपने इसमें लिख दिया कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी हैं, मेडिकल कॉलेज के, डेन्टल कॉलेज के और केन्सर सोसाइटी के जो भी हैं इन सबको लेंगे तो हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, क्यों? स्क्रीनिंग तो ऑलरेडी कर चुके हो, स्क्रीनिंग करके ही तो आर.यू.एच.एस. में भर्ती हुए थे वो लोग तो आप दुबारा उनकी स्क्रीनिंग क्यों करना चाहते हो? उसमें छांटना चाहते हो क्या, किसी को निकालना चाहते हो क्या? क्या इरादा है? मेरा आपसे निवेदन है कि यह विवाद पैदा करेगा और इससे जितने भी आपके नियुक्त किये गये कार्मिक और टीचर्स हैं नॉन टीचिंग स्टॉफ है, पैरा मेडिकल कर्मचारी हैं और सेवाओं में जो लोग हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा और झगड़े पैदा होंगे और अदालतबाजी हो जायेगी। इस कॉलेज में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नियमानुसार और साक्षात्कार लेकर के की गयी थी। इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग की जो बात मैंने बतायी तो यह तरकीब भी शायद मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इस विश्वविद्यालय के जितने

भी कर्मचारी हैं उनको राजमेस सोसाइटी में समायोजित कर दिया जाये। यह नहीं होगा, फिर झगड़ा होगा, अदालतबाजी होगी और यह सारा काम आपका रुक जायेगा तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि उन लोगों को जिनकी ऑलरेडी स्क्रीनिंग करके जिनको आर.यू.एच.एस. में लगाया था वो चाहे किसी भी स्तर के लोग थे उनको बिना किसी स्क्रीनिंग के आप अगर लेना चाहते हैं तो आप इसमें लीजिये। इतना ही मेरा निवेदन है बाकी तो आर.यू.एच.एस. का तो जैसा भट्ठा बैठा है वो बैठ ही गया और रिम्स पता नहीं कब बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि जो योजनाएं चल रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने जितनी योजनाएं चलायीं, आज उनमें आप ईंट तक नहीं लगा पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो नया कहां से खड़ा कर लोगे रिम्स। रिम्स खड़ा करना कोई मामूली काम नहीं है, न तो आपके पास पैसा, न आपके इन्फ्रास्ट्रक्चर, न आपके पास कोई ऐसी क्षमता कि किसी प्रकार का कोई रिम्स यहां पर आप लाकर के खड़ा कर दोगे।

श्री सभापतिः विराजिये साहब। श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं सरकार का भी इस मामले में, राजस्थान सरकार एम्स की तर्ज पर रिम्स लेकर आ रही है, एक बिल लेकर आ रही है, आर्डिनेंस लेकर आये, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके विचार और सोच अगर राजस्थान को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए अगर आप बिल लेकर के आये हैं तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 76 वर्ष के बाद भी राजस्थान जैसे प्रदेश में एस.एम.एस. होस्पिटल के अलावा इस पूरे राजस्थान प्रदेश में ऐसी व्यवस्था राजस्थान की सरकारें नहीं कर पायीं, आज हमारी व्यवस्था यह है कि आप रिम्स की योजना तो लेकर के आ रहे हो लेकिन हमारे एस.एम.एस. होस्पिटल में अगर किसी को आज के दिन वेंटीलेटर की आवश्यकता हो जाये, आई.सी.यू. की जरूरत पड़ जाये तो इस राजस्थान में मौके पर गम्भीर मरीज को व्यवस्था मिलना बड़ा मुश्किल हो रखा है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरे पास भेज देना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपके पास भेज दूं, धन्यवाद।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आम नागरिक असमर्थता जाहिर कर रहा है लेकिन सरकार की सोच अगर यह रही है कि रिम्स के माध्यम से हम व्यवस्था देना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप रिम्स में जिस तरीके से एम्स का नाम लेकर के आये हैं उसी तरीके से रिम्स में भी उनका सेपरेट डिपार्टमेंट हो, आपके मेडिकल डिपार्टमेंट से इधर-उधर से डॉक्टर लगा कर, उनका नर्सिंग स्टॉफ लगा कर व्यवस्था करना चाहते हैं ऐसा नहीं हो कर के रिम्स में राजस्थान लेवल की विशेष भर्ती हो और वो डॉक्टर्स, वो स्टॉफ परमानेंट उसी रिम्स में रहे, जिससे जनता को उसका लाभ मिल पाये।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने अभी डॉक्टर्स की जो कमी थी

उसकी पूर्ति करने का भरसक प्रयास किया, हमें भी डॉक्टर मिले हैं 8-10, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की भारी कमी है। हम लोग संस्थाएं तो बना दें लेकिन संस्थाएं बनाने के बाद अगर डॉक्टर्स के बिना बिल्डिंग्स का कुछ भी नहीं बनता, मरीज को इलाज डॉक्टर देता है न कि बिल्डिंग्स देती हैं, इसलिये डॉक्टर्स की जो कमी है उसकी और पूर्ति की जाये। आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अगर राजस्थान लेवल पर कहीं भी जाकर के देखेंगे, एक भी डॉक्टर अगर आपने लगा भी दिया तो वह डॉक्टर वहां जाता नहीं है, समय पर इलाज करता नहीं है।

दूसरा एक एन.जी.ओ. के माध्यम से मेडिकल संस्थाओं को नर्सिंग ऑफिसर और ए.एन.एम. की भर्ती, लैब टेक्निशियन की भर्ती एक एन.जी.ओ. को देकर के आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया, मंत्री महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि लोग 10 नम्बर, 20 नम्बर, 30 नम्बर का जो बोनस अंक मिलता है, उसके लिए 8 हजार की नौकरी में दो-दो लाख रुपये एन.जी.ओ. को देकर भर्ती हो रहे हैं। इसको सरकार अपने माध्यम से, प्रदेश लेवल से मेरिट के आधार पर एन.जी.ओ. के माध्यम से सरकार अगर अस्थायी भी कोई लेना चाहती है तो उनको लूटने से बचाया जाये और उन अस्थायी कर्मचारियों को सरकार जो बोनस अंक देना चाहती है, उनको सरकार स्वयं भर्ती करे।

इसके साथ ही मैं कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं की जहां तक बात है हमारे मेडिकल संस्थान जो बन रहे हैं चाहे वो उप स्वास्थ्य केन्द्र बनें, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनें, चाहे आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनें...

Kas/rtm/03.09.2025/17.00/3e

उनका सिविल निर्माण का डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है और वह डिपार्टमेंट ...

श्री सभापति: यह विषय नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, यह विषय इसी का है, यह व्यवस्था पूरे इलाज की ही है और मरीज से जुड़ा हुआ मामला है, तो यह सारी ही चीजें काम करती हैं।

श्री सभापति: आरयूएचएस से सम्बन्धित है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं आरयूएचएस की बात कर रहा हूं, यह रिम्स राजस्थान की जनता का इलाज करने के लिये बना रहे हैं ना, तो इलाज में पूरा राजस्थान शामिल है।

श्री सभापति: डिमांड नहीं चल रही है। यह संशोधन विधेयक है, उसी पर संशोधन है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, नीचे की व्यवस्था अगर ठीक कर पायेंगे तो यहां भीड़ कम होगी, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। आपने अच्छी तरीके से दवाएं देने की बात की। अभी दवाओं की बहुत कमी चल रही है, दवाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। इसके साथ मेरा एक और इश्यू है, मानकता पूर्ण, गुणवत्ता पूर्ण दवाएं आपको मिलती हैं, लेकिन समय पर उनकी जांच नहीं होने पर कई बार वह दवाइयां विफलता की स्थिति में मिलती हैं। आप रिम्स जैसी योजना लेकर आ रहे हैं, राजस्थान को आप एक बड़ा संस्थान देने का प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसको ढंग से लागू करें, ऐसी आशा

और विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जैसे ही यह विधेयक मेरे हाथ में आया, इसकी पहली लाइन थी कि राजस्थान राज्य में चिकित्सा पर्यटन बढ़ने के अपार अवसर हैं। निश्चित रूप से अवसर हैं और बहुत जरूरी भी है कि हम पर्यटन को बढ़ाये, पर वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, थोड़ा इस पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं बाड़मेर-जैसलमेर से आता हूं, बाड़मेर और जैसलमेर के 70 से 80 प्रतिशत लोग, मरीज गुजरात के उन तमाम हॉस्पिटल में इलाज के लिये जाते हैं। हम टूरिजम की बात कर रहे हैं, हमारे खुद के लोगों को ही हम रोक नहीं पा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय जसवंत सिंह जी को, जिनके प्रयासों से एम्स बन पाया और मारवाड़ को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाई।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा नीति आयोग की एक रिपोर्ट मैं कल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो राजस्थान हमारा बहुत मजबूत और बड़ा स्टेट है, वह हैल्थ के सैक्टर में 16वें स्थान पर है और हम बात कर रहे हैं कि हम हमारा टूरिजम बढ़ा रहे हैं। जो स्टेट 16वें नंबर पर है, उसमें टूरिजम कैसे बढ़ेगा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। आप रिम्स बनाये, जरूरी है, एम्स की तर्ज पर हम नवाचार करें। बकरे का नाम शेर रखने से शेर नहीं होता है। आपको और ज्यादा स्थितियों में सुधार लाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केन्द्र की एक रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था कि हमारे राजस्थान स्टेट में लगभग 9940 जो हमारी संस्थाएं हैं, सीएचसीज, पीएचसीज, उनमें से मात्र 3 परसेंट हैं जो उन राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह से फिट हैं, बाकी 97 परसेंट हवा-हवा में हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर कोई बात नहीं है। हम तो आरयूएचएस को रिम्स बना रहे हैं। कुछ भी बना दो, पर जब तक हम उनको पूरी तरह से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक यह बदलाव नहीं आ सकता।

एक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट थी, जहां भी हैल्थ की बात आती है, सारे माननीय सदस्य कहते हैं कि, साहब, हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है। राजस्थान के लगभग 40-45 परसेंट पद रिक्त हैं। मैं बाड़मेर से आता हूं, सीमांत क्षेत्र है, बीच में तनाव की स्थितियां थीं, चिकित्सकों की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे उस क्षेत्र में थी। आज वहां सबसे ज्यादा पोस्टे खाली पड़ी हैं, कोई बात करने के लिये तैयार नहीं है। मेरा तो माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि अपन रिम्स बनाये, पर पहले हम हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत करें।

मैं कहना चाहूंगा कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर की जरूरत है। क्या वाकई हम उन तमाम मानकों पर खरा उतर रहे हैं? क्या स्थितियां वैसी हैं? हवा में तो है, जमीन पर तो नहीं है। आज की डेट में अगर मैं हमारे हैल्थ सिस्टम की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, प्रथम स्टेज पर कोई कैंसर

का मरीज जांच कराने जाता है तो चौथे स्टेज पर आते-आते उसके पास जांच की रिपोर्ट आती है।

श्री सभापति: माननीय भाटी साहब, विषय पर आ जाओ।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। आप विचार करें कि चौथे स्टेज का कैंसर जब उसको डिटेक्ट होता है तब आता हैं कि हां, साहब, आपको कैंसर हुआ है। यह स्थिति अपने यहां जांच की रिपोर्टों की रही है।

अभी मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी, हमारे बाड़मेर की मेडिकल कॉलेज लंबे समय से निर्माणाधीन ही है। पिछले पांच साल से उसका काम चल ही रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह कब तक बन पायेगी। बाड़मेर की सीटी स्केन मशीन, एमआरआई और तमाम चीजों की मांग पहले भी इस सदन में रख चुके हैं, पर उस पर भी अभी तक कोई मजबूती से कोई काम हुआ नहीं है। हमारे बाड़मेर के लोगों को आज भी दिन-ब-दिन भटकना पड़ रहा है।

अगर मैं जर्जर भवनों की बात करूं, आप रिम्स बनायें, निश्चित रूप से बनायें, पर पहले जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत तो करें, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अगर मैं दवाइयों की बात करूं, तो मेडिकल कॉलेज में 43 परसेंट, पीएचसी में 27 और सीएचसी में 15 परसेंट ही दवाइयां अवेलेबल हैं, बाकी कोई दवाइयां नहीं हैं, आम आदमी कहां जायेगा? मेरा तो निवेदन है कि बाड़मेर में कई सारे और भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में घोटाले हुए हैं, उनकी जांच हो और साथ ही साथ सेनेटरी नैपकिन का एक बहुत बड़ा इश्यू है और जो स्टेट लेवल का जो घोटाला है...

श्री सभापति: विराजिए। श्री रफीक खान। अंकित नहीं होगा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, भाटी साहब।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के संशोधन सूचना में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मेरे साथी विधायक बोल रहे थे और कह रहे थे कि बकरे का नाम शेर रखने से बकरा शेर नहीं हो जाता। आप बिलकुल सही कह रहे थे, बकरा तो बकरा ही रहेगा, शेर, शेर ही रहेगा। यह कहां से इनको आइडिया आया है कि रिम्स कर दें। रिम्स का मतलब क्या है? आप कुछ करना चाहते थे, तो आरयूएचएस के नाम से ही कर देते, आपको राजस्थान के नाम से परहेज क्यों है? आरयूएचएस जो हमारी संस्था है, उससे परहेज क्यों कर रहे हो? सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आरयूएचएस कांग्रेस की बजट घोषणा थी और मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे, आप उसको उससे क्यों अलग ले जा रहे हो? केन्द्र सरकार की गाइड लाइन है, आप डबल इंजन, डबल इंजन की बात

करते हो, आपके डबल इंजन की सरकार यह कह रही है कि हम मेडिकल कॉलेज की सीटे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो सीटें जहां बढ़ रही हैं, जो हमारी बजट घोषणा है, उसको आप क्यों दूर करना चाह रहे हो? आप रिम्स भी कर दो, लेकिन मेडिकल कॉलेज को क्यों खतम करना चाहते हो? आप मेडिकल कॉलेज की शक्ल में उसको तबदील करो, साथ में हॉस्पिटल को रिम्स में भी चलने देना, सुपर स्पेशलिटी डवलप करो।

आज पूरे हिन्दुस्तान में जब यह बात आती है कि सबसे ज्यादा प्रेशर किस हॉस्पिटल पर है, तो जयपुर के एसएमएस का नाम आता है। आरयूएचएस हमने बनाया, हमने डवलप किया, इसलिए डवलप किया कि एसएमएस का प्रेशर कम होगा। आप एसएमएस के प्रेशर को कम करने की बात ही नहीं कर रहे हो, फैकल्टीज की बात नहीं कर रहे हो, स्टाफ भर्ती की बात नहीं कर रहे हो। कागजों में रिम्स बनाने से रिम्स नहीं बनेगी, आप एम्स के नाखून तक भी नहीं पहुंच पाओगे। खाली बात करने से, बिल में संशोधन लाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा।

आप काम क्या कर रहे हो? हम टावर लेकर आ रहे थे, उसको आपने 16 मंजिल पर रोक दिया। क्यों रोक दिया, आपकी जेब से क्या जा रहा था? हम जयपुर शहर में जो एक ऐतिहासिक काम कर रहे थे, आपका भी नाम होता, हमारा भी नाम होता, हमने पूरा खाका तैयार किया, पूरा बजट सेंक्शन किया, सारा काम शुरू कर दिया, आपने सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ है, इसलिए हम इसको खतम कर देते हैं। आप सुपर स्पेशलिटी डवलप करते। स्टाफ की पोजिशन देखें, तो स्टाफ नहीं है। न फैकल्टीज है, न स्टाफ है, तो क्या नाम बदलने से सारा काम हो जायेगा? आप बिना स्टाफ के क्या करोगे? हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि राजस्थान के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे मिले। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि राजस्थान के जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनको एडिशनल जगह मिले, यहां के मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण होकर वो निकले। ओपीडी डवलप करें, हम ओपीडी डवलप नहीं कर पा रहे हैं। हमें इन सब बातों पर संज्ञान लेने की जरूरत है, खाली हम शाब्दिक अर्थ से उसको बदल दें। मंत्री महोदय, मैं मानता कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आप नई जगह सेंक्शन करते, नई बिल्डिंग बनाते, नया ऐरिया लेकर आते, खाली जैसे आपने कांस्टीट्यूशन क्लब में एक दूसरा पत्थर लगा दिया ना, स्पीकर साहब का बोर्ड लगा दिया, मैं कल देख कर आया था, पुराने उद्घाटन का दोबारा उद्घाटन करके वहां पत्थर लगा दिया, आप आरयूएचएस में भी यही काम करना चाह रहे हो, आप नई चीज लेकर आते।

Msk/Rtm/03.09.25/1710/3f

आरयूएचएस वह जगह हमने बनायी जो कोविड के समय में राजस्थान की लाइफलाइन बनी। (समय समाप्ति सूचक घंटी) सभापति महोदय, बोलने तो दें।

श्री सभापतिः विराजें, यह संशोधन विधेयक है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): शुरू तो करने दें, अभी तो इंजन ने गति ही नहीं पकड़ी। मैं यह कह रहा हूं कि आरयूएचएस वह जगह थी जहां आम जनता ही नहीं, कांग्रेस-बीजेपी सब के विधायक भर्ती रहे, इलाज हुआ, कोविड के समय में। आप उसी में करना चाह रहे हैं। आपकी कोई भी मंशा है, हम स्वागत करेंगे, आप नयी जगह उसको अलॉट करें। नयी जगह अलॉट करके नयी बिल्डिंग लेकर आयें और नया स्टाफ भर्ती करें। नयी आइडोलॉजी के साथ भर्ती करें। आप पुरानी चीज को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। कम से कम एसएमएस का पेसेंट लोड तो कम करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी में फैसले मत करो। ऐसे बिल मत लाओ, जिनका पिछले बिलों की हश्र हो और बाद में आपको वापस लेने पड़ें, आप सोचने पर मजबूर हो जायें।

श्री सभापति: विराजें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बिल को वापस लें और मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए रिकमंड करता हूं।

श्री सभापति: श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यह डबल इंजन की सरकार नाम बदलने में माहिर है। आपने बहुत सारी योजनाओं के नाम बदल दिये और नाम ही बदला है और योजनाओं का सत्यानाश करने का काम भी आपने किया है। चिरंजीवी जैसी योजना जो कि राजस्थान में चल रही थी, उसका नाम बदलने के साथ-साथ आज राजस्थान में क्या हालात हैं, यह पूरे राजस्थान के लोग देख सकते हैं। आप अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप महाविद्यालयों में से एक को आरयूएचएस महाविद्यालय का ही नाम बदलना चाहते हैं। राजस्थान प्रदेश के अन्दर हॉस्पिटलों की हालत कितनी खराब है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, नर्स नहीं है, सारे भवन जर्जर हैं फिर भी उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय आप फिर नाम बदलने का चक्कर चला रहे हैं। आप जुलाई से यह अध्यादेश लेकर आये हैं, इस पर काम कर रहे हैं। तो क्या आपने अब तक ऐसे महाविद्यालयों को चिह्नित किया है? यदि ऐसे महाविद्यालयों को चिह्नित किया है तो उनकी लिस्ट आपको आज सदन में रखनी चाहिए थी। आपने नहीं रखी, इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री थावर चन्द (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री, उत्तर देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज जो रिम्स के बारे में चर्चा हुई है, यह जो आर्डिनेंस आया है, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आर्डिनेंस को इसलिए उस समय लाया गया, क्योंकि उस समय

विधान सभा के सेशन की कोई डेट तय नहीं हुई थी। इसलिए आर्डिनेंस लाया गया। कोई आनन-फानन में या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हम इसको नहीं लेकर आये। आरयूएचएस के बारे में बात की। जैसे कि आरयूएचएस बन्द हो जायेगा। इस का पूरा जो खर्चा, वह खतम। जो भी परपज आरयूएचएस का है, वह वैसा का वैसा ही रहेगा। हम जो रिम्स को अलग से ले जा रहे हैं। इसके अन्दर आरयूएचएस प्योर यूनिवर्सिटी की तरह से कंटीन्यू करेगा।

जो रीम्स है, सभापति महोदय, हमें एक चीज समझनी होगी। जैसे अभी कई ईश्यूज ये आये कि इसको क्यों लाया जा रहा है? एम्स बनने में, रविन्द्र जी ने अभी बोला था कि जसवंत सिंह जी उस समय पॉवर में थे, केन्द्र में हमारी सरकार थी और वे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर एम्स को ले गये। जोधपुर और उस क्षेत्र को बहुत भारी लाभ हुआ। देखा जाये कि हमारे राजस्थान की पूरी जो इकोनॉमी है, वह जयपुर के 200 किलोमीटर के दायरे/रेडियस के अन्दर है, हमारे राजस्थान का जो रेवेन्यू है। हम चाह रहे हैं कि हम रिम्स को बनायेंगे, वह हमारा पहला कदम होगा। आप आज देख लीजिये, एसएमएस बना है, जब बिल्डिंग बनी थी उस टाइम दो लाख की आबादी थी, आज जयपुर की आबादी 42 लाख हो गयी है। मनोज जी और कई लोगों ने कहा कि वहां पर ओपीडी नहीं है, वहां पर यह नहीं है और वहां हमें ये सर्विसेज नहीं मिलती हैं। एक तरह से यदि देखा जाये, मुख्य मंत्री जी ने जो निर्णय लिया था कि भौगोलिक दृष्टि से जयपुर इतना बड़ा शहर हो गया है कि हम एक दूसरे एरिये के अन्दर एसएमएस जैसी ताकत वाली संस्था को खड़ी करें, जिससे हमारे मरीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो कि वह खाली इतनी दूर एसएमएस के नाम के परिसर में नहीं आये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से आरयूएचएस को बूस्ट दिया गया है, ओपीडी इतनी बढ़ गयी है, एसएमएस का प्रेशर कम हो गया। यह जो 40 एकड़ की जमीन है, यहां पर आज की तारीख पर हमारे पास लगभग 1500 बेड हैं, जिसके अन्दर आरयूएचएस के अन्दर हमारे पास 600 हैं, 500 कैंसर इंस्टीट्यूट में हैं और जयपुरिया में 400 हैं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि एम्स, जोधपुर में खाली 1 हजार बेड हैं। जब हमारे पास 1500 बेड्स हैं, एक नयी चीज बनाने जा रहे हैं।

एक तरह से रिम्स के पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको 1 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। हम तो केन्द्र को यह कहने के लिए तैयार हैं कि हमें केन्द्र से पैसा नहीं चाहिए। हम हमारी ही ताकत में 1 हजार करोड़ में एक और एम्स को खड़ा करेंगे। माननीय सदस्य, जो यहां विराजमान हैं, क्या आप नहीं चाहते कि एम्स की तर्ज पर यहां एक एम्स इस क्षेत्र में आये कि नहीं आये? रफीक खान जी, आप बताइये। You don’t want another AIIMS established here? आपको दिक्कत है? जब हम उस दिशा में जा रहे हैं तो दौड़ते घोड़े के तो चाबुक मत लगाओ। देखिये, यह एक सुपर स्पेशिलिटी का हॉस्पिटल बनेगा।

आपने ऑर्डिनेंस के बारे में कहा, मैंने आपको बता दिया। ये समझ रहे हैं कि हमारे

अन्दर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या कोई दुर्भावना से हम चीज बना रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 40 एकड़ जमीन है, 1500 बेड हैं, अपने पास यह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बन जायेगा, यहां से डिग्रीज जायेंगी और बहुत सुपर स्पेशिलिटी, स्पेशल मशीनें आयेंगी, जो कैंसर का लिनियर एक्सलेरेटर है। हमारे कई डॉक्टर लोग यहां विराजमान हैं। शोभा जी तो नहीं है, वहां पर हमारी मैडम डॉक्टर विराजमान हैं। 30-30 करोड़ रुपये के लीनियर एक्सलेरेटर लगे हुए हैं। टेक्निकली इक्यूपिमेंट-वाइज भी हम इसको बहुत ही बेहतर करना चाह रहे हैं। इसको एसएमएस से भी बड़ा दायरा मिलेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? सब लोग सिटी में एसएमएस में जायें, जाम के थ्रू जायें, कंजस्टेड रोड से जायें। आप कितने लोग भौगोलिक दृष्टि से इस एरिया में रहते हैं, आपको फायदा नहीं होगा? आप अपनी सोच को छोटी मत रखो। एक अच्छा कदम ले रहे हैं, एक अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। आप देखिये कि आपका एनसीआर एरिया कितना डवलप हो रहा है। आज सबसे भारी भौगालिक दृष्टि से भगवान ने हमें जो सौगात दी है, वह Delhi-Mumbai Industrial Corridor. राजस्थान के अन्दर दो-तिहाई तो बालू है। डेजर्ट एरिया है, लेकिन हमारा जो प्रोडेक्टिव एरिया है। यह दिल्ली मुंबई वाला जो हाइवे बन गया है। सभापति महोदय, आप कोटा कितने घंट में पहुंचते हैं?

श्री सभापतिः साढ़े चार।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): साढ़े चार घंटे में। मुंबई के लिए जाते हैं। यह जो कॉरिडोर है, ये जो ट्रेन चलने लग गयी हैं, आपके एनसीआर एरिया में जितने भी लोग, उत्तर साइड में, अलवर साइड की, भरतपुर साइड की जमीनों के भाव कितने बढ़ गये हैं? मेडिकल ट्यूरिज्म इन-थिंग है, आज। आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आबादी भी बढ़ती जा रही है तो रिम्स मेडिकल ट्यूरिज्म को स्ट्रांग करेगा। आपका दिल्ली-मुंबई का जो कॉरिडोर है, एनसीआर एरिया है, उसको मेडिकली स्ट्रेंथन करेगा। यह खराब चीज कैसे है, बुरी चीज कैसे है? कई विधायक महोदय जनरल राजस्थान की हैल्थ के बारे में सीएचसी, पीएचसी पर आ गये। यह जो बिल है, this does not pertain to CHCs, PHCs, or Sub-Centres. यह चीज अलग से है। राइजिंग राजस्थान के अन्दर कितना पैसा आये, आप देखिये मेडिकल ट्यूरिज्म के अन्दर और किस क्षेत्र में आया है? जोधपुर में तो नहीं गया, बाड़मेर में तो नहीं गया। सब इस क्षेत्र में आ रहा है।

mdp/rtm/03.09.25/17:20/3g

.

इस सीकर से लेकर ये बेल्ट, आपका कोटा तक जितना भी एरिया है, जयपुर, अजमेर जो है, आपको खुश होना चाहिए कि ऐसी सुविधा आएगी जो आपके टूरिज्म को बूस्ट देगी, जो आपकी इकोनोमी को बूस्ट देगी, जो आपके मेडिकल को बूस्ट देगी।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक एम्स बनने में 5 से 10 साल लगते हैं, from beginning to end, और एक एम्स की तर्ज पर एक आईआईटी टाइप का जो मॉडल, वह

एक टाइप का मॉडल है, हम 2 साल में लाकर खड़ी कर देंगे, फिर भी आप लोगों को इसके अन्दर अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर सुभाष ने मुझे बोला कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री पर, but I am not a doctor. आप लोग डाक्टर हैं। आपके जो सुझाव हैं, those are very good suggestions. आपने अच्छे सुझाव दिए, लेकिन आप, please avoid criticising just for the sake of criticising. ये चीज आपको बता रहा हूं, आप तो अभी थे नहीं डाक्टर साहब, 1500 बेड होंगे हमारे रिम्स के अन्दर, जबकि एम्स के अन्दर आपके हैं 1000 बेड। ये भी आपने नहीं सुना, आप चाय पीने चले गये कि हमारे पास 1000 करोड़ रुपये हैं इसमें खर्च करने के लिए। केन्द्र से हम कहेंगे कि हमें केन्द्र से पैसे नहीं चाहिए। हम इसको एम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। This is the first step towards making RIMS into AIIMS. अब यहां पर हाउस में कोई बोल दे कि हमें एम्स नहीं चाहिए या जयपुर में एम्स नहीं होना चाहिए तो मैं आपकी सब सुनने को तैयार हूं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): क्रिटिसाइज की बात नहीं है, सजेशंस, सबमिशंस होते हैं। मेरी आशंका वह नहीं है। मेरी आशंका यह है कि जनरली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में ये प्रयास हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कहते हैं ना कि 'Old wine in a new bottle' वह वाली चीज न हो जाए। मैं आपकी मंशा पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल एक प्रोफेसर होने के नाते केवल यह कह रहा हूं कि इसको प्रोफेशनल-वे में डवलप किया जाए। बहुत अच्छा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मंत्री महोदय, बोलने वालों की सूची में एक भी डॉक्टर नहीं है। वक्ताओं की सूची में एक भी डाक्टर नहीं है सुझाव देने वाले।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): I can assure you, this is not old wine in a new bottle; it is truly new wine in a new bottle. ठीक है, आप थोड़ा-सा बड़ा सोच रखिए इसके अन्दर। इसको हम दो साल में खड़ा कर देंगे। जो मां योजना है, मा योजना के अन्दर हमने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर पोर्टेबिलिटी जो खोल दी है। हमने पोर्टेबिलिटी वह खोली है जिसके अन्दर हमारे प्रदेश के अन्दर कोई भी आकर इलाज करा सकता है। हॉस्पिटल्स को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मा योजना से 70 प्रतिशत हॉस्पिटल्स का बिजनेस, मा योजना में है बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स का और इंडिया के किसी भी क्षेत्र से कोई भी आ सकता है और यहां पर इलाज करा सकता है।

दूसरी पोर्टेबिलिटी हम खोल रहे हैं जब यहां से हमारे जो लोग हैं, वह भी बाहर जाकर अपना इलाज करा सकेंगे। मां योजना के जो हमारे लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम कमा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कमा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो और मां योजना के लोगों को पूरे इंडिया से हम ले सकें? आप थोड़ा-सा इसके बारे में सोचिएगा। क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है? क्या लोग ज्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं? लोगों की लाइफ स्टाइल, हैबिट्स खराब नहीं होती जा रही हैं? लोग ज्यादा बीमार नहीं होते जा रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या आप कह रहे हैं कि जब हम आगे के गियर में जा रहे हैं तो आप ऐसे, देखिए साहब ऐसा है कि आपको क्रिटिसाइज करना है तो कीजिए, लेकिन एक चीज है कि, please avoid criticising just for the sake of criticising.

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में आपको इतना ही कहूंगा कि सरकार की कोई दुर्भावना नहीं है। हम सही दिशा में चल रहे हैं। आप प्लीज हमें दो साल दे दीजिए। दो साल के बाद मेरा जो स्पीच यहां रिकॉर्ड होगा, वह सुन लेना। ये रिम्स जो है, हम आरयूएचएस को मार नहीं रहे हैं, हम इसको एक नये सिरे से एक बच्चे को खड़ा कर रहे हैं जो बड़ा होकर उसका कद मिल जाए और वह एक एम्स बन जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जावे।

विधेयक का पारण

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति जी, एक मिनट बोलूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अब तो रख दिया।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजिए। प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे पहले।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय मंत्री जी, रखने के बाद भी बोला जा सकता है। प्रस्ताव रखने के बाद ही, सेकण्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, अलग-अलग हैं। सभापति जी के जो निर्देश हैं, वे मान्य हैं।

माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि एम्स की तर्ज पर हम राजस्थान के अन्दर रिम्स लेकर आएंगे। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने हम सब लोगों से ये जानना भी चाहा था कि आप लोग चाहते हैं या नहीं कि एम्स यहां पर बने या नहीं बने। सब लोग चाहते हैं, 200 के 200 विधायक और पूरे प्रदेश की जनता चाहती है, लेकिन संशय एक ही है कि जो कांग्रेस पार्टी के समय आरयूएचएस बना, जिसने कोविड के समय में प्रदेश की जनता की जो सेवा की और अपना शानदार काम वह कर रहा है। हां, कुछ भी मान सकते हैं आप, फाइव स्टार कह सकते हैं, सुविधाएं सुपर हैं वहां पर। आपने अभी बात की 1500 बेड हमारे पास हैं, जो भी बातें कहीं, वह सब चीज तो ऑलरेडी पहले से ही है तो रिम्स के नाम पर हम अलग से उसमें क्या करने जा रहे हैं, वह जानना चाहूंगा। क्या इसके अन्दर 150 एमबीबीएस की जो सीटें हमारी हैं, उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या जो स्टॉफ वहां पर लगा हुआ है, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और ये रिम्स का आप 1000 बेड का, 1500 बेड का, 2000 बेड का अलग से खोलेंगे या जो ये बेड हैं, इन्हीं को ही आप करेंगे? क्योंकि पिछली जो बजट घोषणा थी 750 करोड़ की, आपने इसको सुपर स्पेशियलिटी बनाने की घोषणा थी। आपकी सरकार की थी। उसमें से तो मुझको लगता नहीं है कि आपने एक रुपया भी खर्च किया हो। वह पैसा खर्च नहीं कर पाये इसलिए एक नया झमेला और कर दिया कि भाई इसको रिम्स कर दो ताकि ये काम और आगे सरक जायेगा, क्योंकि आईपीडी टॉवर बनाने तक का पैसा नहीं है। हालत ये है कि दावे बहुत बड़े-बड़े हो गये। सरकार ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर दीं। मुझे खुशी होगी कि आप एम्स की तर्ज पर जो रिम्स बने, शानदार आप हॉस्पिटल बनाइए। आप अलग से बना रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है आईपीडी टॉवर बनाने के? अभी तो काम चल रहा है और पेमेंट हम दे रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभी बता रहा हूं। मैं नाम बता रहा हूं। पांच-पांच महीने से ट्रेजरी के अन्दर बिल पड़े हैं और वे अधिकारी ये कहते हैं कि बजट नहीं है इसलिए वापस कर रहे हैं। हकीकत है।

Ans/rtm 17.30 3h 03.09.2025

हकीकत है चाहे पेंशन के हो या डिपार्टमेंट के हो, पूरे प्रदेश की हालत यही है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। पैसे हैं तो आप आज तक उसको पूरा क्यों नहीं कर पाये, यह भी बता दे।

मंत्री जी, मेरा इतना सा ही निवेदन है कि हम चाहते हैं कि आरयूएचएस अपने आप में एक नाम है, एक संस्थान है, आप उसको खतम ना करें। रिम्स बनाइये, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप नये सिरे से रिम्स तैयार कीजिये, जनता को एक और सुविधा मिलेगी। आरयूएचएस की तो मिल ही रही है, रिम्स की भी मिलेगी, यही निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)... आप लोग बोलने ही नहीं देते हो। चुप करो भई। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप लोग पारीक साहब को बोलने नहीं देना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारा एसएमएस है, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि एम्स से भी अच्छी सुविधाएं एसएमएस हॉस्पिटल दे रहा है। उसकी समस्या सिर्फ इतनी है कि ऑवर क्राउडेड है। यदि एसएमएस रेफरल होता तो निश्चित रूप से एम्स के मुकाबले की सर्विस मिलती। मैं मेरी शंका जाहिर कर रहा हूं।

आपने राजमेस स्थापित किया। राजमेस में आपके पास फैकल्टी का अभाव था। फैकल्टी के लिये आपने वहां के वर्किंग डॉक्टर्स थे उनको डेजिगनेटेड करके आपने उनको वहां लगाया। मैं आपसे सीकर का अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। 4-5 साल की लगातार सर्विसेज से सीकर ने आज तीन बार लगातार राजमेस के कॉलेजेज हैं उनमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। इसके बावजूद भी एक ही कॉलेज में, राजमेस के कॉलेज में कितने कैडर हैं, राजमेस का कैडर अलग है, डेजिगनेटेड का कैडर अलग है, तो आप रिम्स के नाम से अलग से बनाना चाह रहे हैं, क्या इतनी फैकल्टी आपके पास उपलब्ध है? जब फैकल्टी नहीं होगी तो फिर वर्किंग डॉक्टर को आप उसमें डेजिगनेट करके उसमें लगाएंगे फिर एक नया कैडर खड़ा हो जाएगा कि रिम्स का कैडर अलग है, डेजिगनेट का कैडर अलग है, राजमेस का कैडर अलग है, तो यह शंका निश्चित रूप से ही है। मैं चाहूंगा कि एक तो आप इसका समाधान करें। वर्तमान में राजमेस के जो कॉलेजेज हैं उनमें डेजिगनेटेड का और अनडेजिगनेटेड का, आपका राजमेस का कैडर और डेजिगनेटेड का कैडर है उसका समाधान करिये। आपको साधारण सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकालना है, उसमें लगातार विलम्ब हो रहा है। वह प्रोफेसर्स जिन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं देकर कॉलेज का नाम कमाया वह आज इस पीडा में हैं कि एक ही कॉलेज में पढ़ाने वाले दो प्रोफेसर एक का कैडर अलग है और एक का कैडर अलग है, तो यह है।

मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपकी सोच सर्वोत्तम है। आपकी सोच सिर्फ इस बात के लिये है कि अच्छी मानक और उच्च स्वास्थ्य सेवाएं आप राजस्थान के वासियों

को उपलब्ध करवाना चाहते हैं, यह सराहनीय कदम है। साथ-साथ में हमारा वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है, स्टेट्स है, वर्तमान में जो स्थितियां है, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, सीकर में 2022 में कैथलैब स्वीकृत हुआ, आज हम 2025 में आ गये लेकिन कैथलैब चालू नहीं हो रहा है। भवन उपलब्ध करवाने के लिये कहा, भवन उपलब्ध करवा दिया। यह छोटी-छोटी शंकाएं हैं। हर व्यक्ति जो इस सदन में बैठा है वह दिल से यह चाहता है कि राजस्थान में उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, लेकिन कैसे उपलब्ध होगी, इसके लिये आपको मन बनाना पड़ेगा और अपने अधिकारियों के साथ बैठकर बात करके इसको, evaluate करना कि कहां क्या प्रोब्लम है, कहां किस तरह की समस्या है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज राजमेस के जितने भी कॉलेजेज हैं फैकल्टी की कितनी कमी है उनमें। फैकल्टीज की कमी की वजह से सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय जी, नेता प्रतिपक्ष जी आरयूएचएस की जो सर्विसेज है, अभी मेडीकल सर्विसेज 150-200 लोग रन कर रहे हैं, आरयूएचएस जब रन करेगा तो उसमें दो हजार लोग होंगे। टेन टाइम्स मोर। अब आप इमेजिन कर लो कि उसका स्कोप क्या होगा।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: इनफोर्मेशन नहीं। ...(व्यवधान)... पहले आपको बोलना है,इस मुद्दे पर बोलिये। पाइंट आफ आर्डर कोई देना है, इनफोर्मेशन देनी है ना, ...(व्यवधान)... पहले यहां भेजोंगे, लायक है या नहीं तब अनुमति दूंगा। पाइंट आफ इनफोर्मेशन किसी को बोलना है एक स्पिल पर लिखकर भेज दे, उसकी परमिशन बाद में मिलती है तब जरूर बोलो। यह तुरंत खड़े होकर क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं लगेगा।

सूचना

जैसलमेर के डांगरी गांव में हत्या

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): जैसलमेर के डांगरी गांव में अभी हत्या हुई है, बाड़मेर मोर्चरी के आगे हज़ारों लोग धरने पर बैठे हैं। मेरा तो प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आरोपियों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें। इस तरह की घटनाएं आये दिन हो रही है। निवेदन है कि आप मजबूत कदम उठाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डॉ. शिखा मील।

विधेयक का पारण

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, धन्यवाद।

यह विधेयक है इसे देखकर सरकार ने फिर से सिद्ध कर दिया कि यह एक नामकरण संस्कार वाली ही सरकार है। पहले योजनाओं के नाम बदले अब इंस्टीटयूट्स के नाम बदले जा रहे हैं। डेफीनेटली मंत्री साहब का रिम्स का आइडिया है बहुत ही अच्छा है, सुंदर है और आमजन के हित में भी है। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि एक छोटे बच्चे को वह बड़ा करना चाह रहे हैं। तो आपने जब यह आइडिया कंसीव किया है तो आप एक नवजात शिशु को बड़ा कीजिए ना। एक 10-12 साल का बच्चा है उसका नाम बदलकर उसको क्यों बड़ा करना चाह रहे हैं?

आरयूएचएस बहुत अच्छा इंस्टीटयूट है, हमारे लिये कोविड ऐरा में संजीवनी साबित हुआ था, तो उस इंस्टीटयूट को हम डवलप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। बार-बार हर सत्र में यह बात आ रही है कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं जाना चाह रहे। एसएमएस का बर्डन उसे हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल पूरे देश में जाना जाता है, सबसे ज्यादा वहां का ओपीडी रहता है। मेरा पेरेंट इंस्टीटयूट है। पहले सत्र से आईपीडी टॉवर की बात आ रही है, क्यों नहीं हम उस आईपीडी टॉवर को शुरू करके एसएमएस की सुविधाएं बेहतर कर सके। आरयूएचएस को उसका एक सिस्टर इंस्टीटयूट बनाकर उसका बर्डन है वह शेयर कर सके। अभी इस बिल में यह भी क्लियर नहीं है कि आरयूएचएस में 150 एमबीबीएस की सीट्स हैं उनका स्टेट्स क्या रहेगा, तो यह चीज भी इस बिल में इंक्ल्यूड की जाए कि वह एमबीबीएस की सीटें हैं उनको खतम कर दिया जाएगा या उन्हें भी कंटीन्यू किया जाएगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा अभी राजस्थान में जो भी अस्पताल हैं उनका 70 परसेंट शेयर मा योजना से आ रहा है। एक बार यह स्पष्ट किया जाए कि चिरंजीवी योजना से कितना शेयर आ रहा था, क्या मा योजना में आज जो आ रहा है उससे कम आ रहा है, यह भी एक बार स्पष्ट किया जाए।

मंत्री महोदय की सरकार की यह मंशा अच्छी मानी जा रही है कि आरजीएचएस में घोटाले थे, जो भी इर्रेगूलेटरीज थी उन पर ध्यान दिया गया, उनको पकड़ा गया। पर दिक्कत यह है कि उनको पकड़ने पर जो अस्पताल सही काम कर रहे हैं, जो फार्मेसी सही काम कर रही है उनके पेमेंट्स टाइम पर क्यों नहीं हो रहे हैं? राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, बेनीफिशरीज हैं उनको फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो गलत है उन पर आप कार्यवाही कीजिये परन्तु जो लोग सही है कम से कम बेनीफिशरीज को तो फायदा मिलता रहे।

आपने रिम्स का बिल पेश किया है, इसमें मैम्बर्स लिये हैं आईआईटी, आईआईएम, पीजीआई, एम्स, आईआईएमएचआर, सभी के हैड्स को लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि एमबीबीएस सीट्स का स्टेट्स क्लियर नहीं किया गया।

पाइंट नम्बर 7-डी में कहा गया है, आपका ऑब्जेक्टिव है, to attain self-sufficiency in postgraduate medical education. पर जब वहां पर फैकल्टी अभी ही जाने को तैयार नहीं है, वह बार-बार चाह रहे हैं कि हमें एसएमएस भेज दो, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वहां पर 30 करोड़ की लीनियर एक्सीलेटर है, फिर

भी सिर्फ नाम बदलने से हम क्या उसकी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा देंगे? अभी हमारे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम क्यों वहां पर फैकल्टी को अपाइंट नहीं कर पा रहे हैं? हम परमानेंट सुपर स्पेशिलिटी में क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? कभी एसएमएस से एक डॉक्टर भेजते हैं, कभी एक यूनिट को भेज देते हैं। परन्तु उसके साथ जो दूसरा डिपार्टमेंट चाहिये उसकी यूनिट नहीं है।

VPS-RTM-03.09.2025-17.40-3j

यह सारी चीजें सिर्फ नाम बदलने भर से नहीं होंगी। पहले भी मेरे जो साथी विधायक हैं उन्होंने कहा है कि खाली नाम बदलने से, जो भी कहा गया अभी, खाली नाम बदलने से आर.यू.एच.एस. को आर.आई.एम.एस. करने से हम सुविधाएं डवलप नहीं कर पाएंगे। एक पाइंट में यह कहा गया quaternary referral center पर अभी tertiary referral center के तौर पर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है जो आर.यू.एच.एस. है वह। इसे आर.यू.एच.एस. को जो संजीवनी साबित हुआ, उसे विकसित किया जाये। एक उसमें यह पाइंट दिया गया है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है डॉक्टर्स को और टीचर्स को, वह अलाउ नहीं किया जायेगा तो इसमें यह स्पष्ट किया जाये कि उन्हें स्ट्रिक्टली प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ की जायेगी या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने पर जो Non-Practicing Allowance है, वह दिया जायेगा। अभी ऑलरेडी वहां पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो आपने रिक्रूट कर दिये हैं आर.यू.एच.एस. में अगर उसी को आप आर.आई.एम.एस. में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर पहले से जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो काम कर रहे हैं, उन्हें अपाइंट किया गया है तो वे क्वालीफाइड हैं इसलिए अपाइंट किया गया है तो उनकी वापस से स्क्रीनिंग करके आप उनके फ्यूचर पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो इस चीज को पॉजिटिवली कंसीडर किया जाये। अगर यह बिल पास होता है और यह ही आर.आई.एम.एस. बनता है तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाये और मेरा तो यह कहना है कि आप एक नया इंस्टीट्यूट ही डवलप करें। आर.यू.एच.एस. जो है, उसे और डवलप किया जाये जो हमारे लिए हमेशा एक बहुत ही सुन्दर और अच्छा इंस्टीट्यूट रहा है।

अतः मेरा यह मत है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आपको कुछ कहना है?

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक ...(व्यवधान)... आप बैठिये अपने स्थान पर। माननीय सदस्य, मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर ही बैठिये। माननीय विपक्ष के नेता, मतलब वे आदेश

की अवहेलना कर रहे हैं। फिर मैं अगली कार्यवाही कर दूंगा, फिर मुझे मत कहना। जब कह रहा हूं कि वहां पर ही बैठो। बैठिये। अपने-अपने स्थान पर बैठिये।

सदन की बैठक, ...(व्यवधान)... वे तो अपने स्थान से जा रहे हैं। You should take care of it. कल बात करेंगे।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.42 बजे गुरुवार, दिनांक 04 सितम्बर 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

....